

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority

अधिनियम, नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों, विनियमों
एवं अन्य अधिसूचनाओं का सार-संग्रह

(मार्च 2014 तक अध्यतन)

Compendium of
Act, Rules, Guidelines, Regulations and
Other Notifications

(Updated upto March 2014)



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority
चेन्नै - Chennai - 600 006



**The copyright of this publication is vested with the Coastal Aquaculture Authority.
Reproduction of this publication is permitted only for educational,
research and non-profit purposes. For bibliographic purpose, this
publication should be cited as Coastal Aquaculture Authority – Compendium of Act, Rules,
Guidelines, Regulations and Other Notifications, Updated – March 2014, pages 244**

ISBN 81-901701-0-5

First Reprint : September 2006

Updated : March 2014

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष
Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार कृषि मंत्रालय
शास्त्री भवन अनेक्स दूसरी मंजिल
सं. 26, हड्डोस रोड, चेन्नै-600 006.
तमिलनाडु, भारत.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No.26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

FOREWORD

Coastal aquaculture, collectively involves land based and water based brackish and marine aquaculture. The extent of its impacts varies with the location, local conditions of farming sites, types of culture systems, intensity of culture, quality and optimal quantity of inputs used, management practices and the awareness of the stakeholders associated with this activity. Sustainability of aquaculture depends on the management and conservation of the natural resource base and the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for the present and future generations. The contributions from the coastal aquaculture sector to the growth of nation's economic development in the coastal areas and its social empowerment and sustainability can only be achieved through proper policies and goals. There is therefore, an imperative need to regulate these activities under the framework of a legislation.

In India, coastal aquaculture, especially shrimp farming and its unregulated growth during the nineties resulted in the intervention of the Supreme Court to protect the coastal environment from the indiscriminate exploitation of this resource as the interactions between aquaculture and environment are inevitable. The consequent development is the enactment by the Parliament of India, the "Coastal Aquaculture Authority Act", which received the assent of the President on 23rd June, 2005. The Coastal Aquaculture Authority (CAA) was accordingly established on 22nd December, 2005 under the provisions of this Act for regulating the activities connected with coastal aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

Responsibilities for the regulated growth of this sector need to be shared by all interest groups, viz., Government authorities, aqua farmers, manufacturers, input providers, processors, traders, researchers, professional associations and non-governmental organizations and others, to minimize the potential social conflicts and environmental problems.

The present attempt to bring out this Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines, Regulations and other related Notifications under 'one fold' is aimed to provide the required information relating to the existing coastal aquaculture laws and regulatory measures that are in force as a ready reference for the benefit of all stakeholders and planners involved in this activity. I hope that this Compendium will educate all those concerned with the development of coastal aquaculture and create the required awareness to comply with the legislative provisions towards achieving the goal of social, economic and environmental sustainability in the field of coastal aquaculture in the country.

A handwritten signature in green ink, appearing to be 'K. Raviraja Pandian', written in a cursive style.

(Justice K. Raviraja Pandian)

डॉ. आर. पाल राज
सदस्य सचिव

Dr. R. Paul Raj
Member Secretary

दूरभाष / Phone : +91 44 2823 4683

फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552, 2825 0956

ईमेल / e-mail : aquaauth@vsnl.net

वेबसाइट / Website : <http://www.caa.gov.in>



भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

Government of India

Ministry of Agriculture

(Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

PREFACE

Shrimp farming is the most important coastal aquaculture activity in the Maritime States and Union Territories along the 8,118 km coastline of India. Since late Nineteen Eighty's the shrimp farming sector witnessed a boom resulting in many entrepreneurs opting for setting up of hatcheries, feed mills and integrated farms in many parts of the coastal states. However, the unregulated growth of shrimp farming since 1990 posed a number of social, ecological and economic issues mainly due to improper planning and lack of regulatory frame-work. The setting up of the Coastal Aquaculture Authority in 2005 by the Central Government under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 paved the way to regulate all the coastal aquaculture activities in the notified coastal areas and to promote responsible and sustainable aquaculture.

The major problem faced by the farmers practicing the black tiger shrimp, *Penaeus monodon*, culture was the lack of quality seed. Viral infections, which plagued the shrimp sector, could not be contained and the shrimp production in the country declined to a level of 76,000 MT in 2008-09 from 1.4 lakh MT in 2005-06. Consequently, the area under shrimp culture declined; many developed farms were abandoned; and several hatcheries were closed. This was reflected in the decline in feed production and usage of other inputs, decline in exports of shrimps, and loss of labour and the consequent impact on the livelihood of dependent coastal people. Crisis in the shrimp aquaculture sector prompted the farmers and hatchery operators to look for alternative species for culture and strategies to tide over the crisis. Considering the success of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in many of the Southeast Asian countries and China, Government of India decided to introduce

दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन अनेक्स, सं.26, हड्डोस रोड, चेन्नै-600 006, तमिलनाडु, भारत.


2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, No.26, Haddows Road, Chennai - 600 006, Tamil Nadu, INDIA.

the species in India initially on experimental basis, and based on the results of the experimental culture and risk analysis study, Government of India decided to allow commercial scale farming of SPF *L. vannamei*, after formulating guidelines.

In view of the regulations, SPF *Litopenaeus vannamei* is taking strong roots in India and the results achieved thus far have been spectacular. Identification of broodstock suppliers based upon evaluation of genetical as well as disease status ensured supply of quality SPF broodstock to Indian shrimp hatcheries. Low productive aquaculture farms have been utilized for high productive SPF *L. vannamei* farming with adequate biosecurity and Effluent Treatment Systems. Cluster farming system was introduced in order to facilitate farmers having small farm holdings by having common ETS and biosecurity measures. Many abandoned shrimp farms, closed hatcheries and feed mills have been revived after the introduction of SPF *L. vannamei*. All these have culminated in Indian shrimp production and exports reaching all-time high levels with substantial increase in productivity, increase in employment generation, and promoted many ancillary industries dealing with inputs, equipment and processing.

In order to fully harness the advantage of coastal aquaculture sector, all the stakeholders need to comply with the notified statute, rules, guidelines and regulations of CAA and ensure that biosecurity is not compromised in hatcheries and farms, and that Good Aquaculture Practices are adopted to prevent, introduction and spread of diseases and negative impacts on the coastal environment.

The updated version of the Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Regulations, I am sure will be a source of information to all those who are involved and connected with Coastal Aquaculture.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R Paul Raj', written over a horizontal line.

(R Paul Raj)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority

**अधिनियम, नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों, विनियमों एवं
अन्य अधिसूचनाओं का सार-संग्रह**

**Compendium of
Act, Rules, Guidelines, Regulations
and Other Notifications**

विषयसूची

क्रम सं.		पृष्ठ संख्या
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005	... 1
2.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005	... 15
3.	तटीय जलकृषि का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त	... 37
4.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण का विनियमन, 2008	... 93
5.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण संबंधित अन्य अधिसूचनाएँ	... 105

CONTENTS

Sl. No.		Page No.
1.	The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005	... 117
2.	The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005	... 131
3.	CAA Guidelines for Coastal Aquaculture	... 153
4.	The Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008	... 209
5.	Other Notifications related to Coastal Aquaculture Authority	... 221

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005
(2005 का 24)**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005

धाराओं का क्रम

धारा सं.		पृष्ठ संख्या
अध्याय I - प्रारंभिक		
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	... 3
2.	परिभाषाएं	... 3
अध्याय II - केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियां		
3.	पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां	... 4
अध्याय III - तटीय जलकृषि प्राधिकरण		
4.	प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति	... 4
5.	सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्यता	... 5
6.	पुनःनियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता	... 6
7.	प्राधिकरण की बैठकें	... 6
8.	प्राधिकरण में रिक्ति से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	... 6
9.	प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति	... 6
10.	प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण	... 6
अध्याय IV - प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य		
11.	प्राधिकरण के कृत्य	... 7
12.	प्रवेश करने की शक्ति	... 7
13.	तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण	... 8
14.	रजिस्ट्रीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने के लिए दंड	... 10
15.	अपराध का संज्ञान	... 10
अध्याय V - वित्त, लेखा और संपरीक्षा		
16.	प्राधिकरण को संदाय	... 10
17.	प्राधिकरण की निधि	... 10
18.	बजट	... 11
19.	वार्षिक रिपोर्ट	... 11
20.	लेखा और संपरीक्षा	... 11
अध्याय VI - प्रकीर्ण		
21.	प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना	... 11
22.	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	... 11
23.	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	... 11
24.	केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति	... 12
25.	प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति	... 13
26.	नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना	... 13
27.	विधिमान्यकरण	... 13

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005¹

(2005 का 24)

तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 है।

(2) धारा 27 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख² को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएँ**.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्राधिकरण" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "तटीय जलकृषि" से तटीय क्षेत्रों में, तालों, बाड़ों और अहातों में या अन्यथा नियंत्रित दशाओं के अधीन लवणीय या खारे जल में श्रिम्प (चिंगर), झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ताजा जल में जलकृषि नहीं है;

(घ) "तटीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में तत्समय तट विनियमन जोन के रूप में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य क्षेत्र भी है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

³['समुद्र, नदियों, क्रीकों तथा बैकवाटर की हाई टाइड लाइन (एच टी एल) से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर की भूमि का क्षेत्र।']

-
1. 23 जून 2005 की भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई - 23 जून 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड I, अंक 27 में प्रकाशित
 2. धारायें 2 से 26, 16.12.2005 के प्रभाव से लागू हुई, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3(ii) में दिनांक 16.12.2005 को प्रकाशित का.आ. 177(अ) देखिए
 3. का.आ. 74(अ) दिनांक 23.1.2006 द्वारा शामिल

टिप्पणि :- 1. नदियों, क्रीकों तथा बैकवाटर के साथ-साथ परिसीमा को दर्शाना उस सीमा तक शासित होगा जहां तक ज्वारीय प्रभाव देखा जाता है तथा जहां लवणता सांद्रण प्रति हजार 5 भाग (पी पी टी) से कम नहीं है। इस उद्देश्य के लिए लवणता को वर्ष के सबसे सूखी अवधि के दौरान मापा जाएगा।

टिप्पणि :- 2. चिलका झील तथा पुलिकट झील जैसे परिस्थिति भंगुर क्षेत्रों के मामले में, तटवर्ती क्षेत्र झीलों की सीमा से दो किलोमीटर तक की दूरी तक बढ़ाया जाएगा।

- (ड) **“सदस्य”** से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी हैं;
- (च) **“विहित”** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और
- (छ) **“विनियम”** से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में (1986 का 29) परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय II

केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ

3. **पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उपाय करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ.**— केन्द्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण का कोई अहित कारित नहीं होगा, मार्ग दर्शक सिद्धांत विहित करके तटीय जलकृषि के विनियमन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे और मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उत्तरदायी तटीय जलकृषि की संकल्पना का तटीय क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की जीविका का संरक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि क्रियाकलापों को विनियमित करने में अनुसरण किया जाएगा।

अध्याय III

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

4. **प्राधिकरण की स्थापना और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति.**— (1) ऐसी तारीख¹ से, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के नाम के एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

(2) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार विनिश्चित करे।

1. दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 का का.आ. 1803(अ) देखिए

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :-

- (क) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;
- (ख) एक सदस्य, जो तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो;
- (ग) एक सदस्य, जो तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के समुद्र विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (घ) एक सदस्य, जो पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जिसे केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (ङ) केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;
- (च) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य;
- (छ) तटीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य चक्रानुक्रम के आधार पर;
- (ज) एक सदस्य-सचिव।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(5) सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

5. **सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्यता.**— कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह -

- (क) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; या
- (ख) अनुन्माचित दिवालिया है; या
- (ग) विकृतचित का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
- (घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या
- (ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा उसके कृत्यों का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

6. **पुनःनियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता.**— धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो सदस्य नहीं रहा है, ऐसे सदस्य के रूप में दो क्रमवर्ती पदावधियों से अनधिक के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

7. **प्राधिकरण की बैठके.**— (1) प्राधिकरण ऐसे समयों और स्थानों पर बैठके करेगा और अपने बैठकों में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में, (जिसके अंतर्गत ऐसे बैठकों में गणपूर्ति भी है), प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।

(2) यदि किसी कारण से, अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो प्राधिकरण के किसी बैठक के समक्ष आएँ, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

8. **प्राधिकरण में रिक्ति से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.**— प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि -

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

9. **प्राधिकरण के अधिकारियों, परामर्शियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.**—(1) प्राधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जो वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) प्राधिकरण, समय-समय पर, किसी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शी के रूप में जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

10. **प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण.**— प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और लिखित, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय IV

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

11. **प्राधिकरण के कृत्य.**— (1) धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण¹ निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) तटीय क्षेत्रों के भीतर जलकृषि फार्मों के सन्निर्माण और प्रचालन के लिए विनियम बनाना;
- (ख) जलकृषि फार्मों का, तटीय जलकृषि द्वारा कारित उनके पर्यावरणीय प्रभाव को अभिनिश्चित करने की दृष्टि से, निरीक्षण करना;
- (ग) तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करना;
- (घ) ऐसे किसी तटीय जलकृषि फार्मों को, जो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, फार्म के अधिभोगी को सुनने के पश्चात् हटाने या ढहा देने का आदेश देना; और
- (ङ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विहित किए जाएं।

(2) जहां प्राधिकरण, उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी तटीय जलकृषि फार्म को हटाने या ढहा देने का आदेश देता है वहां उक्त फार्म के कर्मकार को ऐसे प्रतिकार का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक व्यक्ति वाले प्राधिकारी के माध्यम से कर्मकारों और प्रबंध-मंडल के बीच तय किया जाए और ऐसा प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियों का, जो विहित की जाएं, प्रयोग कर सकेगा।

12. **प्रवेश करने की शक्ति.**— इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जहां कहीं इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा, और :-

- (क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच कर सकेगा;
- (ख) उसमें की किसी संरचना को हटा सकेगा या ढहा सकेगा;
- (ग) ऐसे अन्य कार्य या बात कर सकेगा जो विहित की जाएं:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश ऐसी जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते के अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटे पूर्व ऐसा करने के अपने आशय की लिखित रूप में सूचना दिए बिना नहीं करेगा।

1. दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 का का.आ. 1803(अ) देखिए

13. **तटीय जलकृषि के लिए रजिस्ट्रीकरण.**— (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति तटीय क्षेत्र में तटीय जलकृषि या ऐसे परंपरागत तटीय जलकृषि फार्म में, जो उपधारा (9) में निर्दिष्ट तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और नियत दिन को जिसका उपयोग तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, परंपरागत तटीय जलकृषि तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा जब तक कि उसने अपने फार्म को, यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में प्राधिकरण के पास रजिस्टर न कराया हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले तटीय जलकृषि में लगा हुआ है, उस दिन से तीन मास की अवधि तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बिना, और यदि वह तीन मास की उक्त अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदन के निपटारे की उसे संसूचना तक ऐसा क्रियाकलाप करता रह सकेगा।

(3) उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किया गया रजिस्ट्रीकरण—

(क) पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा;

(ख) समय-समय पर उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा;

(ग) ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी शर्तों के अध्याधीन होगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) कोई व्यक्ति, जो तटीय जलकृषि करने का आशय रखता है, प्राधिकरण के समक्ष अपने फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे फार्म (प्रारूप) में करेगा और जिसके साथ ऐसी फीस होगी, जो उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विहित की जाए।

(5) प्राधिकरण, उपधारा (4) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, उस आवेदन पर विहित रीति से विचार करेगा और आवेदन पर विचार करने के पश्चात् या तो फार्म को रजिस्टर करेगा या आवेदन को नामंजूर कर देगा:

परंतु प्राधिकरण आवेदन को, ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध किए बिना नामंजूर नहीं करेगा।

(6) प्राधिकरण, उपधारा (5) के अधीन फार्म को रजिस्टर करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को, जिसने ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, विहित फार्म में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(7) ऐसे फार्म की दशा में जिसमें दो हेक्टेयर से अधिक जलमग्न क्षेत्र समाविष्ट है, तटीय जलकृषि से संबंधित कोई क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई आवेदन उपधारा (5) के अधीन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे फार्म का रजिस्ट्रीकरण तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होगा।

- (8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, -
- (क) कोई भी तटीय जलकृषि उच्च ज्वार सीमाओं से दो सौ मीटर के अंदर नहीं की जाएगी; और
 - (ख) कोई भी तटीय जलकृषि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन तत्समय घोषित तट विनियमन जोन के अंदर संकरी खाड़ियों, नदियों और अप्रवाही जलों में नहीं की जाएगी:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे तटीय जलकृषि फार्म की दशा में, जो नियत दिन को विद्यमान है और सरकार के या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित या उसके द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित गैर वाणिज्यिक और प्रयोगात्मक तटीय जलकृषि फार्म को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्राधिकरण, पहले प्रावधान के अधीन छूट प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, समय समय पर तटीय जलकृषि फार्मों की विद्यमानता और उसके क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस धारा के उपबंध ऐसे पुनर्विलोकन को ध्यान में रखते हुए तटीय जलकृषि फार्मों को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च ज्वार सीमा" से भूमि पर ऐसी सीमा अभिप्रेत है जिस तक बहुत ज्वार के दौरान उच्चतम जल लहरें पहुंचती हैं।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसा परंपरागत तटीय कृषि फार्म जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ.114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा घोषित तट विनियमन जोन के अंदर पड़ता है और जिसका उपयोग नियत दिन को तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, प्राधिकरण के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे फार्म का स्वामी है, ऐसे स्वामित्व का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर किया जाएगा जिसके न हो सकने पर ऐसे फार्म को उपधारा (5) के अधीन रजिस्टर नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसे फार्म का एक वर्ष के भीतर तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(10) ऐसा व्यक्ति जिसका आशय उपधारा (5) के अधीन या उपधारा (9) के अनुसरण में किए गए फार्म के रजिस्ट्रेशन को नवीकृत कराने का है, प्राधिकरण को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से पूर्व दो मास के भीतर विहित फार्म (प्रारूप) के विहित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा और प्राधिकरण, ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करेगा और उस प्रयोजन के लिए उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए ऐसे फार्म से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर अपनी मुद्रा सहित प्रविष्टि करेगा।

(11) यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसे रजिस्ट्रीकरण किया गया था, ऐसे फार्म का तटीय जलकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में असफल रहा है या उसने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों

के किसी उपबंध का या धारा 11 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अतिक्रमण किया है तो प्राधिकरण उपधारा (10) के अधीन फार्म के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इंकार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नियत दिन” से प्राधिकरण की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 – शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (10) और उपधारा (11) में प्रयुक्त, “रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करना” पद का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण को और नवीकृत करना है।

14. रजिस्ट्रीकरण के बिना तटीय जलकृषि करने के लिए दंड.— यदि कोई व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि करेगा या तटीय जलकृषि या परंपरागत तटीय जलकृषि कराएगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

15. अपराध का संज्ञान.— कोई भी न्यायालय धारा 14 के अधीन अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके अधिकारी द्वारा फाइल किए गए लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा।

अध्याय V

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

16. प्राधिकरण को संदाय.— केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए।

17. प्राधिकरण की निधि.— (1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी और ऐसी सभी धनराशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर संदत्त की जाएं तथा प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां (जिनके अंतर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जो कोई राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण को सौंपे) उक्त निधि में जमा की जाएंगी और प्राधिकरण द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

(2) निधि के सभी धन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि व्यय कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी धनराशि को प्राधिकरण की निधि में से संदेय व्यय माना जाएगा।

18. बजट.— प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे फार्म (प्रारूप) में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाएगा, बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

19. वार्षिक रिपोर्ट.— प्राधिकरण प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार ऐसे फार्म (प्रारूप) में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

20. लेखा और संपरीक्षा.— (1) प्राधिकरण, अपने लेखाओं के संबंध में ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए, लेखा बहियां और अन्य बहियां रखवाएगा।

(2) प्राधिकरण, अपने वार्षिक लेखे बंद करने के पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसे प्रारूप में एक विवरण तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भेजेगा, जो केन्द्रीय सरकार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अवधारित करे।

(3) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से की जाएगी जो वह ठीक समझे।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

21. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना.— प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे (1860 के 45)।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी विनियम या नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के विरुद्ध या अध्यक्ष या अन्य सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

23. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

24. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) धारा 3 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांत;
- (ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;
- (ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड के अधीन प्राधिकरण के अन्य कृत्य;
- (घ) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां;
- (ङ) वे नियम जिनके अधीन रहते हुए, धारा 12 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस धारा के अधीन किसी तटीय जलकृषि भूमि, ताल, बाड़े या अहाते में प्रवेश कर सकेगा;
- (च) धारा 12 के खंड (ग) के अधीन अन्य कार्य और बातें;
- (छ) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन का फार्म और उसके साथ दी जाने वाली फीस;
- (ज) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन पर विचार करने की रीति;
- (झ) धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का फार्म;
- (ञ) धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन आवेदन का फार्म और उसके साथ दी जाने वाली फीस;
- (ट) धारा 18 के अधीन बजट तैयार करने का फार्म और समय;
- (ठ) धारा 19 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का फार्म और समय;
- (ड) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में रखी जाने वाली लेखा बहियां और अन्य बहियां तथा ऐसी लेखा बहियों और अन्य बहियों का फार्म और उन्हें बनाए रखने की रीति; और
- (ढ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

25. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.— (1) प्राधिकरण, साधारणतया इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों के समय और स्थान तथा इन बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए (उसके लिए गणपूर्ति सहित) अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ख) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें;
- (ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार या परामर्शी की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें;
- (घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन तटीय क्षेत्रों के भीतर तटीय जलकृषि फार्मों का संनिर्माण और प्रचालन;
- (ङ) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का फार्म (प्रारूप) और शर्तें;
- (च) साधारणतया तटीय जलकृषि का बेहतर विनियमन।

26. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना.— इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27. विधिमान्यकरण.— (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) में या पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की तारीख 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं.का.आ. 114(अ) में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) पैरा 2 के उपपैरा (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा और वह सदैव 19 फरवरी, 1991 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“(xiv) इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात तटीय जलकृषि को लागू नहीं होगी।”

(2) उक्त अधिसूचना सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगी और सदैव ऐसे प्रभावी समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई तटीय जलकृषि जो की गई थी या हाथ में ली गई थी अथवा जिसका किया जाना या हाथ में लिया जाना तात्पर्यित है उक्त अधिसूचना के उल्लंघन में नहीं समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार ऐसे की गई और सदैव की जा रही समझी जाएगी मानो इस धारा के पूर्वगामी उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और पूर्वोक्त रूप में किसी बात के होते हुए भी पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई डिक्री या आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा किसी तटीय जलकृषि संबंधी क्रियाकलाप को हटाने या बंद करने का अथवा तद्धीन संबंधित किसी संरचना को ढहा देने का, जिसको, यदि इस धारा के पूर्वगामी उपबंध उन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे होते तो हटाए जाने, बंद किए जाने या ढहा दिए जाने की इस प्रकार आवश्यकता नहीं होती, निदेश देते हुए दिए गए किसी निदेश के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005¹

नियमों का क्रम

अध्याय I – प्रारंभिक

धारा सं.		पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	17
2.	परिभाषा	17

अध्याय II – मार्गदर्शक सिद्धान्त

3.	अधिनियम की धारा 3 के अधीन तटीय जलकृषि का नियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त इन नियमों के साथ यथासंलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे	18
----	---	----

अध्याय III – प्राधिकरण और इसकी समितियां

4.	अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन	18
5.	प्राधिकरण के कृत्य	20

अध्याय IV – एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य

6.	एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य	22
7.	किसी भी तटीय जलकृषि भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति	22
8.	ऐसे कार्य या वस्तुएं जो अधिनियम की धारा 12 के खंड (ग) के अधीन किए जाने हैं: प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित किया जायेगा	23

अध्याय V – रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण

9.	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अधीन संदत की जाने वाली फीस	23
10.	रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर विचार करने की रीति	24
11.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का उपयोग करने के लिए प्रारूप	26
12.	रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन तथा संपत की जाने वाली फीस	26
13.	बजट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय	27
14.	वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप तथा समय	27
15.	प्राधिकरण के लेखों का रखरखाव करने का प्रारूप और रीति	28
	प्रारूप I	29
	प्रारूप II	32
	प्रारूप III	34

1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 740(अ), कृषि मंत्रालय, (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) दिनांक 22 दिसम्बर 2005. तदवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 की 24) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने नियमों को बनाया एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2005 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3(i) पृष्ठ 62 में प्रकाशित किया ।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 होगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- ¹(गअ) "फार्म" का आशय है लवणीय या खारा जल में स्थानीय या विदेशी झींगा प्रजातियों, मत्स्य या अन्य जलीय पशुओं के पालन के उद्देश्य से तटवर्ती जलकृषि फार्म;¹
- (घ) "फीस" से इन नियमों में नियत कोई फीस अभिप्रेत है;
- (ङ) "प्रारूप" से इन नियमों में उपबंध प्रारूप अभिप्रेत है;
- (च) "मार्गदर्शक सिद्धान्त" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन बताए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत है;
- ²(चअ) "हैचरी" का अर्थ है ³[***] फार्मों को आपूर्ति किए जाने के लिए बीज उत्पादन हेतु प्रजनन के लिए लवणीय या खारा जल स्थानिक या विदेशी (***)³ प्रजातियों, मत्स्य या किसी अन्य जलीय पशु के पालन के उद्देश्य से (***)³ हैचरी;
- (छ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव भी हैं;
- (छअ)⁴ []
- (ज) "विनियम" से प्राधिकरण द्वारा बताए गए विनियम अभिप्रेत है;

1. सा.का. नि. 302(अ) दिनांक 30.4.2009 द्वारा शामिल

2. सा.का. नि. 302(अ) दिनांक 30.4.2009 द्वारा शामिल

3. शब्द "झींगा" को सा.का.नि. 280(अ) दिनांक 23.3.2012 द्वारा हटा दिया गया

4. "संगरोध" का अर्थ है पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों में दी गई प्रक्रिया" - सा.का.नि. 302(अ) दिनांक 30.4.2009 द्वारा शामिल किया गया एवं सा.का.नि. 280(अ) द्वारा हटा दिया गया।

- (झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ज) इसमें उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्ति तथा जिनको परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित किया गया हो, उक्त अधिनियम में क्रमशः अभिप्रेत होगा।

अध्याय II

मार्गदर्शक सिद्धान्त

3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन तटीय जलकृषि का नियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त इन नियमों के साथ यथासंलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे।

कृपया पृष्ठ संख्या 37 देखिए।

अध्याय III

प्राधिकरण और इसकी समितियां

4. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार होंगी :-

- (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों तथा अवकाश, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों के प्रति पात्र होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के सचिव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- (2) प्राधिकरण का सदस्य सचिव ऐसे वेतन और भत्तों तथा अवकाश, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों के प्रति पात्र होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के अपर सचिव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे। वे इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन और भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे सिवाय इसके कि गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित बैठक फीस और दैनिक भत्ते, मंहगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे।
- (4) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य यदि वह कारण समाप्त हो जाता है जिसके कारण वे सदस्य नियुक्त किए गए हों तो वे सदस्य नहीं रहेंगे।

- (5) अध्यक्ष केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है/ दे सकती है और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार कर लेने के बाद अध्यक्ष को अपने पद से मुक्त माना जाएगा।
- (6) कोई भी सदस्य अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है/ दे सकती है। सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिस तारीख को सदस्य का त्यागपत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा अथवा अध्यक्ष को त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी पहले हो, व्यतीत हो जाएगी।
- (7) केन्द्र सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जो अधिनियम की धारा 5 के अधीन अनर्हक हो जाएगा।
- (8) केन्द्र सरकार किसी भी सदस्य को तब भी हटा सकती है जब वह सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना प्राधिकरण की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है।
- (9) सदस्य सचिव प्राधिकरण अथवा इसके द्वारा गठित समितियों द्वारा किए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने का जिम्मेदार होगा और नियमों के अधीन उसे सुपुर्द किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (10) सदस्य सचिव अध्यक्ष से परामर्श करते हुए प्रत्येक बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान निर्धारित करेगा तथा कार्यसूची भी तैयार करेगा।
- (11) सदस्य सचिव को सामान्य अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त होंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगी :-
 - (क) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना।
 - (ख) प्राधिकरण के सभी प्रभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना ;
 - (ग) नियमों के अधीन लेखे और संग्रह के स्थान अथवा यथापेक्षित कारोबार के दस्तावेज और रिकार्ड मंगवाना तथा निरीक्षण करना या करवाना ;
 - (घ) आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं के लिए तथा प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए व्यय की मंजूरी देना ;
 - (ङ) यथा व्यवहार्य यथाशीघ्र प्राधिकरण के समक्ष सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामले प्रस्तुत करवाना ; और
 - (च) प्राधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने की पद्धति के निदेश जारी करना।

5. प्राधिकरण के कृत्य.— प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा :—

- (i) यह सुनिश्चित करना कि कृषि भूमि, लवण पटल भूमि, कच्छ वनस्पति, आर्द्र भूमि, वन भूमि, ग्राम के सामान्य प्रयोजन की भूमि और जन प्रयोजन की भूमि तथा राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों को तटीय जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए ताकि तटीय समुदाय की जीविका का संरक्षण किया जा सके;
- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसे बनाए गए कार्यों सहित तटीय जलकृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कार्य करना ;
- (iii) देश के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यावरण अनुकूल तटीय जलकृषि विकास हासिल करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने हेतु परामर्श देना ;
- (iv) तटीय जलकृषि में पर्यावरण अनुकूल तथा सतत् विकास हासिल करने के लिए आम अवसंरचना अर्थात् तटीय जलकृषि फार्मों और आम स्रोत उपचार प्रणाली द्वारा आम जल एकत्रण और प्रसार की गई नहरों का निर्माण करने हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को परामर्श और समर्थन प्रदान करना ;
- (v) जल जीवों और उनमें पालन किए गए कीटाणुओं तथा जलाशयों के रखरखाव के लिए सभी तटीय जलकृषि आदानों अर्थात् बीज, चारा, विकास अनुपूरक तथा रसायनों/ औषधियों के लिए मानक निर्धारित करना ;
- (vi) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्वेषण और अध्ययन/ स्कीमें चलाना तथा प्रायोजित करना और तटीय जलकृषि में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना ;
- (vii) तटीय जलकृषि से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक सूचना एकत्र करना और इनका प्रसार करना ;
- (viii) तटीय जलकृषि के सतत् विकास और इससे संबंधित गतिविधियों के संबंध में मैनुअल, संहिता और श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना ;
- (ix) जलकृषि के प्रयोजनार्थ तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग और उचित तथा सामान्य भागीदारी के बारे में एक व्यापक कार्यक्रम मीडिया तथा संचार के अन्य माध्यमों के जरिए आयोजित करना ;
- (x) जलकृषि प्रयोजनों के लिए तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए/ लग सकने वाले व्यक्तियों की योजना बनाना और उनके लिए प्रशिक्षण आयोजन करना ;
- (xi) तकनीकी मैनुअल, आचार संहिता आदि तैयार करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों/ राज्य सरकारों/ नागरिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्न तकनीकी समितियों, उप समितियों, कार्यसमूहों, उप समूहों का गठन करना ;

- (xii) फार्म के स्वामियों को स्टॉक रखने के घनत्व, अवशिष्ट स्तर/ एंटीबायोटिक, रसायनों और अन्य औषधीय सक्रिय यौगिकों के उपयोग सहित तटीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए ऐसे उपान्तर करने के लिए निदेश देना;
- (xiii) तटीय जलकृषि पद्धतियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फार्मों को मौसमी बंद करने के आदेश देना;
- (xiv) पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने और जीविका का संरक्षण करने के हित में या तटीय पर्यावरण के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से तटीय जलकृषि फार्म को बंद करने के आदेश देना;
- (xv) उन मामलों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना जिनमें इस बात की संतुष्टि हो कि किसी व्यक्ति ने गलत सूचना देकर नियम 11 के उप नियम(1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा उसने इन नियमों के किसी उपबंध या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले कर सकेगा :
- परन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र को रद्द करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर देगा,
- परन्तु यह भी कि आदेश की प्रति के साथ, रद्द करने के कारणों की सूचना संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।
- (xvi) तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लिए पद सृजन करने हेतु भर्ती नियम बनाना और उस समय तक आदेश जारी करना कि इन पदों पर भर्ती केन्द्र सरकार में समतुल्य पदों के लिए लागू भर्ती नियमों के आधार पर की जाएगी;
- (xvii) प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवाओं के लिए वेतन, अवकाश, भत्ते और अन्य शर्तें तथा निबंधने निर्धारित करना, परन्तु कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सभी कर्मचारियों के संबंध में वेतन, अवकाश, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें और सुविधाएं तथा वेतन अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण और आदि जैसी रियायतें ऐसे नियमों और आदेशों के अनुसार नियमित की जाएंगी, जो उन स्थानों पर तैनात तत्स्थानी श्रेणी अथवा स्तर के केन्द्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए उस समय लागू होंगी, यह स्थिति तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अलग से नियम बनाने तक लागू रहेगी;
- (xviii) प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय आदि में परिवर्तन को ध्यान देकर तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों में ऐसे परिवर्तन समाहित करके समय-समय पर नियम 3 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को संशोधित करने के लिए सरकार को उचित सिफारिश करना ताकि पर्यावरण संरक्षण और तटीय समुदायों की जीविका सुनिश्चित रह सके।

अध्याय IV

एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य

6. एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य.—

- (क) अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (2) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले एक सदस्य प्राधिकारी को कर्मचारों और प्रबंधन के बीच तय की गई क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (ख) कार्मिकों को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति तय करते समय कर्मचारों के लिए आय में होने वाली संभावित कमी, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर और नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता को हिसाब में लिया जाए।
- (ग) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि तय की गई क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारों को अदा की जाती है, एक सदस्य प्राधिकारी संबंधित राज्य के भू राजस्व नियमों के अधीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

7. किसी भी तटीय जलकृषि भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति.— किसी भी तटीय जलकृषि भूमि, तालाब, पटल, अथवा परिसर पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की शक्तियां निम्नलिखित के अधीन होंगी :-

- (i) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को धारा में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए पुलिस कर्मचारियों सहित एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को साथ ले जाने की शक्ति प्राप्त होगी;
- (ii) किसी प्रकार का निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करने और किसी ढांचे को हटाने या गिराने के प्राधिकरण के निर्णय की सूचना तटीय जलकृषि भूमि, तालाब, पटल या परिसर के स्वामी या उसके प्रतिनिधि को लिखित में कम से कम 24 घंटे अग्रिम में देनी होगी और यह सूचना उसे रजिस्ट्रीकृत डाक या संदेशवाहक द्वारा देनी होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना को तटीय जलकृषि फार्म के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर भी चिपकाना होगा। यदि ऐसे नोटिस को स्वीकार करने से कोई स्वामी इंकार करता है तो चिपकाया गया नोटिस उसे दिया गया नोटिस समझा जाएगा;
- (iii) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित गतिविधियां स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति, यदि वह ऐसा चाहता है तो, में चलाई जाएंगी। स्वामी को निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच में सहायता करने के लिए अपने कर्मचारी (दो से अधिक नहीं) को साथ रखने की अनुमति भी दी जाए;
- (iv) किसी ढांचे को हटाने अथवा गिराने का कार्य पंचनामे के अधीन किया जाना चाहिए और जहां कहीं संभव हो, वहां स्थानीय निकाय के एक प्रतिनिधि को दल में शामिल करना चाहिए तथा पंचनामे में उसके हस्ताक्षर करवाने चाहिए;

- (v) अधिनियम की धारा 12 के खंड (क) और (ख) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति (यों) द्वारा यह कृत्य केवल दिन में अर्थात् सूर्योदय के बाद तथा सूर्यास्त से पहले, किया जाएगा।
- (vi) अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (यों) का यह प्रयास होगा कि ऐसा कृत्य नागरिक ढांचों, उपकरणों, मशीनों अथवा खड़ी फसल को कोई क्षति पहुंचाए बिना किए जाएं।

8. ऐसे कार्य या वस्तुएं जो अधिनियम की धारा 12 के खंड (ग) के अधीन किए जाने हैं: प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित किया जायेगा :-

- (1) प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स, रसायनों और अन्य औषधीय सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ जल, मृदा और पाले जा रहे पशुओं के नमूने लेना और इन्हें एकत्र करने, विश्लेषण करने, सूचना देने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाना।
- (2) नियम 7 के उपबंधों के अधीन किसी ऐसे तटीय जलकृषि फार्म को हटाना अथवा ध्वस्त करना जो प्रदूषण फैला रहा हो और जिसे अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन पारित आदेश देने के बाद हटाया अथवा ध्वस्त न किया गया था।
- (3) ऐसे तटीय जलकृषि फार्म से पानी निकाल देना अथवा फसल नष्ट कर देना जो प्रदूषण फैला रहा हो और जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन पारित उचित आदेश की अनुपालना न की गई हो।
- (4) प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स रसायनों और अन्य औषधीय सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए मृदा, जल, पालतू पशुओं और अन्य पालतू जल जीवों को विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशालाएं प्राधिकृत करना/ इन्हें मान्यता देना।

अध्याय V

रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अधीन संदत्त की जाने वाली फीस :-

- (1) तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्राधिकरण द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति को **प्रारूप - I** में दिया जाएगा, जो जिला स्तरीय समिति के कार्यालय या प्राधिकरण के कार्यालय से मिलेगा अथवा प्राधिकरण के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

- (2) निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन भेजे जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट फीस भेजी जाएगी।

सारणी

(1)	(2)
1. 5.0 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्र	200 रुपये प्रति हैक्टेयर (या एक हैक्टेयर के अंश के लिए), बशर्ते कि न्यूनतम 500 रुपये हो।
2. 5.1 से 10 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्र	1000 रुपये + 5 हैक्टेयर से अधिक के लिए 500 रुपये प्रति हैक्टेयर (अथवा एक हैक्टेयर के अंश के लिए)।
3. 10.1 हैक्टेयर और इससे अधिक जल प्रसार क्षेत्र	3500 रुपये + 10 हैक्टेयर से अधिक अधिक जल प्रसार क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर (अथवा एक हैक्टेयर के अंश के लिए)।

- (3) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस प्राधिकरण द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के संयोजक सदस्य के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।

10. रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर विचार करने की रीति.—

(1) नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति फार्म के आकार को ध्यान में रखे बिना सभी तटीय जलकृषि फार्मों के संबंध में आवेदन में दिए गए ब्यौरों का सत्यापन करेगी और

(क) 2.0 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्रों के तटीय जलकृषि फार्मों के मामलों में इस आवेदन में दी गई सूचना से समाधान होने पर जिला स्तरीय समिति आवेदन की संस्तुति रजिस्ट्रीकरण करने के विचारार्थ सीधे प्राधिकरण को भेजेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को इसकी सूचना देगी।

(ख) 2.0 हैक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलकृषि फार्मों के मामले में जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित फार्म का निरीक्षण करेगी कि फार्म तटीय जलकृषि फार्मों के स्थल के विनिर्दिष्ट प्रतिनिर्देश में मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विहित मानदंडों को पूरा करता है और ऐसे आवेदनों की राज्य स्तर समिति को संस्तुति करेगी, जो संतुष्ट होने पर इनकी संस्तुति आगे रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को करेगी।

(2) आवेदन में कोई त्रुटि पाए जाने पर आवेदक का ध्यान विहित अवधि के अंदर त्रुटि दूर करने का अनुरोध करते हुए लिखित में आकृष्ट किया जाएगा और यदि ऐसी अवधि के अंदर त्रुटि दूर करने में आवेदक विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण के लिए इंकार कर दिया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने की समय अनुसूची विनियमों में यथा-निर्दिष्ट होगी।

(4) इस नियम के प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों की संरचना निम्नानुसार होगा :-

क. जिला स्तरीय समिति

(क) जिला कलेक्टर	- अध्यक्ष
(ख) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
(ग) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कृषि विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
(घ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य
(ङ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की जिला परिषद का प्रतिनिधि	- सदस्य
(च) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग का सहायक निदेशक/ जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारी	- सदस्य- संयोजक

ख. राज्य स्तरीय समिति

(क) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का मत्स्य सचिव प्रभारी	- अध्यक्ष
(ख) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व सचिव प्रभारी	- सदस्य
(ग) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का पर्यावरण सचिव प्रभारी	- सदस्य
(घ) समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि	- सदस्य
(ङ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का मत्स्य निदेशक/ आयुक्त प्रभारी	- सदस्य- संयोजक

(5) जिन मामलों में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर इंकार कर दिया जाता है उनमें ऐसे इंकार के कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे और इन कारणों की प्रति सहित आदेश की प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

(6) प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदक से विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है जिसे वह रजिस्ट्रीकरण/ नवीकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझता हो और हरेक आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

(7) यदि आवेदक मांगी गई सूचना देने में विफल रहता है अथवा गलत सूचना देता है तो प्राधिकरण आदेश द्वारा किसी तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण/ नवीकरण के आवेदन को इंकार कर सकता है; इंकार के आदेश तथा इसके कारण की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

(8) उप नियम (5) में कुछ भी आवेदक को इस नियम के अधीन अस्वीकृति के 6 माह बाद रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन करने से नहीं रोकता है, यदि आवेदक ने त्रुटियां सुधार ली हों और उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों की पूर्ण अनुपालना कर सकता है तो नया आवेदन कर सकता है।

(9) यदि तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान उसका स्वामी फार्म में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 30 दिन अग्रिम में प्राधिकरण को आवेदन देना होगा और प्राधिकरण इन परिवर्तनों को प्रभावित करने के आदेश पारित करने से पूर्व यथा आवश्यक जांच करेगा। जिन मामलों में प्राधिकरण परिवर्तन के लिए सहमत हो जाता है उनमें ऐसे परिवर्तनों के ब्यौरों की रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में प्रविष्टि की जाएगी।

(10) कोई भी व्यथित व्यक्ति नियम 10 के उप नियम (5) के अधीन इन्कार करने के आदेश के खिलाफ इन्कार या रद्द करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है, जो या तो इसकी पुष्टि कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है।

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का उपयोग करने के लिए प्रारूप.-

जब रजिस्ट्रीकरण आवेदन को इन्कार नहीं किया जाता है तब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रारूप-II में मंजूर किया जाएगा और यह प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबंधनों के अधीन होगा।

12. रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन तथा संपत की जाने वाली फीस.-

(1) तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से 2 माह पूर्व प्राधिकरण को **प्रारूप-III** में दिया जाएगा और प्राधिकरण अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए देय फीस नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट फीस के समान ही होगी।

(3) तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रत्येक आवेदन जिला स्तरीय समिति को दिया जाएगा जो जांच करके इसे राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से प्राधिकरण को भेजेगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण पर विचार करने की समय-सीमा अनुसूची विनियमों में यथा निर्दिष्ट होगी।

(5) जहां प्राधिकरण उस बात से संतुष्ट है कि उक्त तटीय जलकृषि फार्म को आगे जारी रखना तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इन्कार करेगा:

परन्तु, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इन्कार करने से पूर्व प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति को सुनवाई करने का एक अवसर देगा :

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के इन्कार करने के कारणों सहित आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(6) कोई भी व्यथित व्यक्ति नवीकरण के इन्कार करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर इसके खिलाफ अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है, जो या तो इसकी पुष्टि कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है।

13. बजट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय.-

(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लिए बजट तैयार करेगा और इसे मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निश्चित तारीख को या उससे पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा बजट को मंजूरी दिए जाने तक और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त खर्च के लिए मंजूरी प्राप्त होने तक कोई खर्च वहन नहीं किया जाएगा।

(3) बजट निम्नलिखित प्रारूप में या केन्द्र सरकार द्वारा यथा निदेशित प्रारूप में तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा :-

- (क) अनुमानित अथशेष;
- (ख) अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) में उल्लिखित अनुमानित प्राप्तियां;
- (ग) निम्नलिखित व्यापक शीर्षों या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के अनुसार ऐसे अन्य शीर्षों के अधीन वर्गीकृत अनुमानित खर्च।
 - (i) प्रशासन;
 - (ii) विकास;
 - (iii) सांख्यिकीय;
 - (iv) निरीक्षण/ निर्माण कार्य;
 - (v) वित्तीय और अन्य सहायता/ राजसहायता स्कीम;
 - (vi) अन्य

टिप्पणी : जहां कहीं लागू हो, प्रत्येक व्यापक शीर्ष के लिए विभिन्न उप शीर्षों के अधीन पूर्ण ब्योरे दिए जाएंगे जिसमें अधिकारियों के वेतन, स्थापना का वेतन, भत्ते, मानदेय, आकस्मिकता खर्च और इसी प्रकार के खर्च सहित अनुमानित खर्च दर्शाए जाएंगे।

(4) खर्च के अनुपूरक अनुमान, यदि कोई हो, ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख को केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जो इस संबंध में यथा निर्देशित हों।

14. वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप तथा समय.-

(1) अध्यक्ष अथवा इस कार्य के लिए यथा प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद यथाशीघ्र वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों का लेखा-जोखा शामिल किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होंगी :-

- (क) कारपोरेट का विवरण प्राधिकरण के प्रचालनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य
- (ख) उप नियम (1) की पृष्ठभूमि में विभिन्न गतिविधियों में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य और भौतिक तथा वित्तीय शर्तें एवं इन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक कार्यनिष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- (ग) पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और उन गतिविधियों का लेखा-जोखा, जिनके अन्य गतिविधियों के साथ चलाए जाने की संभावना है।
- (घ) पूर्व वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट के वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश
- (ङ) महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन और किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे विशिष्ट उपाय जिनसे प्राधिकरण के लाभ या कार्यकरण प्रभावित हुए हैं या प्रभावित होने की संभावना है।
- (च) परिकल्पित नई प्रस्तावित या विस्तार स्कीमें जिनके साथ उनके लाभ, वित्तीय जटिलताएं और कार्यनिष्पादन के कार्यक्रम दिए जाएं;
- (छ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ज) नियोजक-कर्मचारी संबंधों पर रिपोर्ट तथा प्राधिकरण की कल्याण गतिविधियां; और
- (झ) ऐसे अन्य विविध विषयों पर रिपोर्ट, जो बाद में रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।

(2) वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखा जाएगा और इस पर अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत 2 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इसे प्राधिकरण की आम मोहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा एवं इसकी अपेक्षित प्रतियां अगले वर्ष दिसम्बर की 31 तारीख तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगीं।

15. प्राधिकरण के लेखों का रखरखाव करने का प्रारूप और रीति. -

- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के संबंध में सभी प्राप्तियों और खर्चों के लेखे रखेगा।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के वास्ते एक अलग बैंक खाता रखा जायेगा।
- (3) किसी विशेष वित्तीय वर्ष में वहन किया गया खर्च अलग-अलग शीर्षों और उप शीर्षों के अधीन दर्शाया जाएगा।
- (4) आदिशेष, यदि कोई हो, का इसी प्रकार अलग से उल्लेख किया जाएगा।
- (5) वर्ष का इतिशेष खर्च की ओर लेखों के पाद पर दर्शाया जाएगा।
- (6) लेखों के संबंध में लेखा बही, अन्य बहियों का रखरखाव उस समय लागू विभिन्न सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय खजाना नियमों, इन नियमों में अन्यथा के सिवाय समय-समय पर प्रवृत्त प्राप्ति और भुगतान नियमों, केन्द्रीय खजाना नियमों के प्रावधानों, वित्तीय शक्ति प्रदत्त नियमावली, 1958 और केन्द्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 1962 में समय पर प्रवृत्त किया जाएगा, जो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनमें दिए गए प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों की शर्त के अध्याधीन होगा तथा प्राधिकरण के समस्त वित्तीय कारोबार के लिए लागू होगा।

प्रारूप - I

(नियम 9 देखिये)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण**कृषि मंत्रालय****तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

1. आवेदक (आवेदकों)/ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/ संस्था का नाम (स्थायी पते सहित) :
2. पत्राचार का पता :
3. क्या आवेदन
 - (क) तटीय क्षेत्र में पहले से चल रहे जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए है : हाँ/नहीं
 - (ख) नए निर्माण किए जाने वाले जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए है : हाँ/नहीं
4. उस भूमि के ब्यौरे जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया गया है :
 - (क) राज्य :
 - (ख) जिला :
 - (ग) तालुक/ मंडल :
 - (घ) राजस्व ग्राम :
 - (ङ) सर्वेक्षण संख्या :
 - (च) स्वामित्व का अधिकार (क्या फ्रीहोल्ड है अथवा लीज होल्ड है) :
 - (छ) फार्म का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :
 - (ज) जल प्रसार का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :
5. यदि उपर्युक्त भूमि सम्पूर्ण रूप में अथवा उसका का भाग निम्नलिखित किसी श्रेणी में आता है तो कृपया ब्यौरे दें :

श्रेणी	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(क) कृषि भूमि			
(ख) वन भूमि			
(ग) ग्राम के आम प्रयोजन की भूमि			
(घ) जन प्रयोजन की भूमि			
(ङ) आर्द्र भूमि			
(च) कच्छ वनस्पति			
(छ) लवण पटल			

6. निम्नलिखित से इकाई स्थल की दूरी का उल्लेख करें :
- (क) ज्वार रेखा :
- (ख) निकटतम पेय जल स्रोत :
- (ग) कृषि भूमि :
- (घ) कच्छ वनस्पति :
- (ङ) समुद्री संरक्षित क्षेत्र :
- (च) निकटवर्ती जलकृषि फार्म :
- (छ) मानव रिहायश(रिहायश की आबादी का उल्लेख करें) :
- (ज) राष्ट्रीय पार्क :
- (झ) अभयारण्य :
- (ञ) आरक्षित वन :
- (ट) प्रजनन अण्डजनन स्थल और अन्य जल जीव जीवन :
- (ठ) बालू तट :
- (ड) प्रवाल-भित्ति :
- (ढ) विरासत क्षेत्र :
7. जल कृषि इकाई के लिए जल स्रोत :
- (क) समुद्र : हाँ/ नहीं
- (ख) संकरी खाड़ी/ नदी मुख/ नहर/ दूरवर्ती जल : हाँ/ नहीं
- (ग) यदि जल स्रोत का उल्लेख उपर्युक्त (ख) में किया गया है तो स्रोत का नाम लिखें :
8. विद्यमान जलकृषि फार्म के प्रचालन शुरू होने की तारीख :
9. * निम्न ब्यौरे देते हुए परियोजना रिपोर्ट दें, प्रचालन में/ प्रस्तावित जलकृषि फार्म के डिजाइन और ले-आउट का रेखाचित्र (पैमाने पर) तथा प्रचालनात्मक ब्यौरे, जल प्राप्ति तथा दूषित जल उपचार सुविधा के ब्यौरे भी दें :
- 10 क्या जलकृषि फार्म के संबंध में इसके पड़ोस में अन्य भूमि के उपयोग के संदर्भ में और परियोजना रिपोर्ट में यथा-उल्लिखित इकाई के प्रचालनात्मक ब्यौरों के आधार पर जलकृषि फार्म के पर्यावरण पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.)/ पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) का कार्य किया गया था, कृपया विशिष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या :-

- (क) जलकृषि गतिविधि का प्रभाव निकटवर्ती :
क्षेत्रों में जल जमाव के रूप में या पेयजल स्रोतों को प्रदूषित करने के रूप में पड़ेगा।
- (ख) अनुपूरक चारे/ औषधियों/ दवाओं आदि का :
उपयोग करने के परिणामस्वरूप अवसादन बढ़ेगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा।
- (ग) ऐसी गतिविधि से गाद जमा होगी, जल गंदला :
होगा, जिससे स्थानीय जीवन और वनस्पति पर खराब प्रभाव पड़ेगा
- 11 * यदि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) :
किया गया है तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करें
- 12 * यदि पर्यावरण प्रबंधन योजना(ई.एम.पी.) :
तैयार की गई है तो कृपया ब्यौरे दें
- 13 * यदि एफल्यूएंट उपचार प्रणाली (ई.टी.एस.) :
प्रचालन में है/प्रस्तावित है, तो कृपया रेखाचित्र (ले-आउट), डिजाइन और तकनीकी ब्यौरे दें
- 14 अनुदेशिका शुल्क प्रेषित करने के ब्यौरे :

घोषणा

मैं/हम , पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
....., निवासी

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे/ हमें पूर्ण जानकारी है कि यदि यह पता चलता है कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है अथवा उनमें कुछ छिपाया गया है/ उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिन पर प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है तो जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या तो निलम्बित कर दिया जाए अथवा रद्द कर दिया जाए।

तारीख :

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

स्थान :

* 2 (दो) हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाले फार्मों के लिए लागू।

प्रारूप - II

(नियम 11 देखिये)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण**कृषि मंत्रालय****तटीय जलकृषि फार्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 13 और तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियमावली, 2005 के नियम 11 के अधीन

रजिस्ट्रीकरण संख्या..... तारीख.....

श्री/ श्रीमती/ सुश्री

पुत्र/ पुत्री/ पत्नी

निवासी का तटीय जलकृषि फार्म

दिनांक की संख्या

द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

इकाई और अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

1. फार्म का स्थल

राज्य

जिला

तालुक/मंडल

राजस्व ग्राम

2. सर्वेक्षण संख्या

3. फार्म का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :

(क) फार्म का कुल क्षेत्रफल :

(ख) जल प्रसार का कुल क्षेत्रफल:

4. पालन की जाने वाली प्रजातियां :

5. स्टॉक रखने का घनत्व :

6. प्रति वर्ष फसल संख्या :

स्थान :

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले

तारीख :

अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्राधिकरण की मुहर)

तटीय जलकृषि फार्म के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

1. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियमावली, 2005 और तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2005 तथा इनके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों की शर्त के अधीन अनुदत्त किया जाता है।
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय है।
3. ले आउट, डिजाइन, क्षेत्रफल और स्टाक रखने, घनत्व (अथवा) अन्य मामले में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
4. पर्यावरणीय अपेक्षाएं मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा समय-समय पर तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
5. तटीय जलकृषि फार्म का स्वामी ऐसे अन्य अनुदेशों/ शर्तों का भी अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएंगी।

प्रारूप - III

(नियम 12 देखिये)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण**कृषि मंत्रालय**

झींगा जलकृषि करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन

1. आवेदक(आवेदकों)/ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/ स्थापना का(के) नाम :
2. पत्राचार का पता :
3. फार्म का स्थान/ भूमि के ब्यौरे जिसके लिए अनुमोदन जारी किया गया था :
 - (क) कुल क्षेत्र और प्रसार क्षेत्र :
 - (ख) फार्म/ तालाब की सर्वेक्षण संख्या :
 - (ग) ग्राम :
 - (घ) तालुक :
 - (ङ) जिला :
 - (च) अपनाया गया स्टाक रखने का औसत घनत्व(संख्या/ वर्ग मीटर में) :
 - (छ) प्राप्त औसत उत्पादन(किलोग्राम/ हैक्टेयर/ फसल):
 - (ज) अपनाई गई प्रौद्योगिकी :
 - (झ) प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख (प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमोदन की फोटोप्रति संलग्न की जाए)
4. अनुदेशिका शुल्क प्रेषित करने के ब्यौरे :

घोषणा

मैं/हम
 पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
 निवासी

एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरे/ हमारे द्वारा चलाए गए झींगा पालन प्रचालन से न तो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है और ना ही निकटवर्ती क्षेत्र की पारिस्थितिकी को क्षति हुई है। मुझे/ हमें इस बात की पूर्ण जानकारी है कि यदि यह पाया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना गलत है और उसमें कुछ छिपाया गया है/उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है जिन पर प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया था तो मुझे/हमें अनुदत्त किया गया प्राधिकार/नवीकरण निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है।

तारीख :

स्थान :

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

तटीय जलकृषि का विनियमन
करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

मार्गदर्शक सिद्धांत

(तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम 2005 का अध्याय II)

अनुबंधों का क्रम

क्रम. सं.		पृष्ठ सं.
1.	उपाबंध I : तटीय जलकृषि का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त	... 39
2.	अनुबंध II : लिटोपिनियस वेन्नामई की शुरुआत के लिए हैचरियों तथा फार्मों को विनियमित करने के संबंध में दिशानिर्देश	... 71
	भाग I: हैचरियों के प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक और विनियम	... 71
	भाग II : फार्मों के अनुमोदन तथा प्रचालन के लिए मानक तथा विनियम	... 74
3.	अनुबंध III : विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) पीनियस मोनोडान बीज उत्पादन और पालन के लिए दिशानिर्देश	... 79
4.	अधिसूचना – भारत में (एसपीएफ) लिटोपिनियस वेन्नामई के आयात के लिए जलीय संगरोध के संछालन	... 88

मार्गदर्शक सिद्धान्त

(तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम 2005 का अध्याय II)

¹[उपाबंध I]

(नियम 3 देखिये)

तटीय जलकृषि का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

विषय-वस्तु

- 1.0 प्रस्तावना
- 2.0 झींगा जलकृषि
- 3.0 झींगा जलकृषि पद्धतियां
- 4.0 स्थान का चयन
- 5.0 झींगा फार्मों का निर्माण और तैयारियां
- 6.0 जल क्वालिटी और इसका प्रबंधन
- 7.0 बीज उत्पादन
- 8.0 बीज का चयन और स्टॉक रखना
- 9.0 चारा और चारा प्रबंधन
- 10.0 झींगा का स्वास्थ्य प्रबंधन
- 11.0 रसायनों और औषधियों का उपयोग
- 12.0 हारवेस्ट और पोस्ट हारवेस्ट
- 13.0 दूषित जल प्रबंधन
- 14.0 फार्म की साफ-सफाई और प्रबंधन
- 15.0 पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण
- 16.0 पर्यावरण मानीटरिंग और प्रबंधन योजना
- 17.0 समूह प्रबंधन, रिकार्ड का रखरखाव और नेटवर्किंग
- 18.0 एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन
- 19.0 विभिन्न तटीय समुदायों की जीविका का संरक्षण

परिशिष्ट

तटीय जलकृषि नियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1.0 प्रस्तावना :

- 1.1 तटीय जलकृषि में घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ लवणीय अथवा खारे पानी के क्षेत्र में जीवाणुओं की प्रबंध की गई कृषि अथवा पालन आवश्यक होता है। व्यापक रूप में तटीय जलकृषि में झींगा, प्रान, समुद्री झींगा, केकड़ा जैसे

1. सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 30.4.2009 द्वारा संलग्नक को संलग्नक I पुनः क्रमांकित किया गया है।

क्रस्टेशियंस और ग्रुंपर्स, सी ब्रीम, मुलेट्स जैसी फिन फिश और क्लाम, मसल्स और उइस्टर जैसे मोलस्क का पालन शामिल होता है।

- 1.2 ये मार्गदर्शक सिद्धांत देश में झींगा जलकृषि के सुव्यवस्थित और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य पर्यावरण रूप से जिम्मेदार तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृषि करवाना है और उस सकारात्मक योगदान को बढ़ाना है जो तटीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ, जीविका सुरक्षा और गरीबी उपशमन करने के लिए झींगा कृषि और जलकृषि के अन्य रूप प्रदान कर सकते हैं।
- 1.3 वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांत झींगा फार्म प्रबंधन के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करने तथा झींगा फार्मों से निकलने वाले दूषित जल के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, ऐसे कचरे का उपचार करने तथा पर्यावरण पर ऐसे कचरे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सामाजिक द्वेष को हल करने को कवर करने के लिए हैं, जिससे झींगा जलकृषि का सतत विकास हो सके। मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य किसानों की अच्छी प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में सहायता करना है।
- 1.4 ये मार्गदर्शक सिद्धांत झींगा किसान, तटीय समुदाय, राज्य मत्स्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत तथा राज्यों की सरकारों के मंत्रालयों और विभागों सहित सभी हितधारकों के उपयोग के लिए हैं।

2.0 झींगा जलकृषि :

- 2.1 झींगा जलकृषि तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक आम और लोकप्रिय कृषि पद्धति है। 2004 के अंत तक अनुमानतः 12 लाख हैक्टेयर के जलकृषि योग्य तटवर्ती क्षेत्र में से केवल लगभग 1,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर ही झींगा कृषि की जाती है जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 1,20,000 टन झींगा का उत्पादन होता है। पिनियस मोनोडॉन अत्यंत आम प्रजाति है जिसके लिए प्रौद्योगिकी भी सुस्थापित है। फिलहाल, देश में झींगा पालन गतिविधियों का लगभग 80 प्रतिशत भाग परंपरागत/ व्यापक प्रणालियों के अधीन है।
- 2.2 झींगा जलकृषि के परिणामस्वरूप बीज उत्पादन, चारा उत्पादन और प्रोसेसिंग यूनिटें तथा जलकृषि मशीनें/ उपकरण उत्पादन जैसी कई आनुषांगिक/ सहयोगी गतिविधियों का भी विकास हुआ है। कुल मिलाकर इन गतिविधियों ने तटीय क्षेत्रों में जीविका के विकल्पों और रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान दिया है।

3.0 झींगा जलकृषि पद्धतियां :

- 3.1 झींगा जलकृषि की प्रौद्योगिकी, पैमाना और सघनता ही उत्पादन और उत्पादकता तथा तटवर्ती पर्यावरण पर पर्यावरणीय और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव निर्धारित करते हैं। फिलहाल, परंपरागत और वैज्ञानिक व्यापक झींगा कृषि पद्धतियां बहुत सामान्य हैं तथा देश के तटीय क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपनाई गई हैं। परंपरागत/ उन्नत परंपरागत प्रणालियों की विशेषताएं कम घनत्व का स्टाक रखना और अनुपूरक चारा तथा उर्वरकों का सीमित उपयोग

करना है। वैज्ञानिक व्यापक कृषि में अनुपूरक बीज और चारे को तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि और जल संसाधनों के उपयोग को अधिक प्रभावी रूप से एकीकृत साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

- 3.2 झींगा कृषि की अन्य प्रौद्योगिकियां जैसे कि अर्ध गहनता और गहनता की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि इनमें बीज के स्टॉक के उच्च घनत्व का उपयोग और अधिक मात्रा में चारे तथा उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ऐसी पद्धतियों में सामान्यतः प्राकृतिक संसाधनों की अधिक मांग होती है और इसके परिणामस्वरूप उच्चतर कार्बनिक भार पड़ता है जिससे तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण तथा सामाजिक कुप्रभाव होता है। अतः झींगा कृषि की केवल परंपरागत/ उन्नत परंपरागत तथा वैज्ञानिक विस्तार प्रणालियों की अनुमति दी जानी चाहिए।

4.0 स्थान का चयन :

- 4.1 जलकृषि में स्थान का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इससे अक्सर छोटे अथवा बड़े झींगा फार्म की सफलता अथवा विफलता निर्धारित हो सकती है। झींगा फार्म स्थापित करने के लिए स्थल को अंतिम रूप देते समय जलकृषि के प्रौद्योगिकीय (जैविकीय, भौतिक और रासायनिक) पहलुओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मुद्दों को कवर करने वाले सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाना होता है। यह भी आवश्यक है कि स्थल की पर्याप्तता और फार्म की निर्माण की लागत तय करने के लिए स्थल के पिछले उपयोग और स्थलाकृति को देखा जाए।
- 4.2 स्थल चयन के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि झींगा फार्म सुव्यवस्थित रूप से स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक तालमेल में एकीकृत हों। उन सीमाओं की पहचान करके जो स्थल की उपयोगिता को प्रभावित करती हैं, फार्म डिजाइन में सुधारात्मक उपाय करना संभव होता है और इन सीमाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों के लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करना भी संभव होता है।
- 4.3 वृहद पैमाने पर झींगा जलकृषि से भू-संसाधनों की व्यापक मांग उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप बहुउपयोगकर्ता में टकराव हो सकता है। झींगा फार्म कृषि भूमि पर बनना शुरू हो सकते हैं। राज्यों को ऐसी भूमि/ क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होती हैं और झींगा कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र का आवंटन करना चाहिए। उन्हें जलकृषि के लिए कृषि भूमि के परिवर्तन को हतोत्साहित करना चाहिए। केवल खेती के लिए अनुपयुक्त छोटे भूखंड पर झींगा तालाब के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, झींगा फार्म स्थापित करने के लिए अनुमोदन देते समय विभिन्न संबंधित क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धी और सहकारी गतिविधियों पर भी विचार करना चाहिए।
- 4.4 सामान्यतः मटियार दुमट मृदा को तरजीह दी जाती है। बलुई क्षेत्र में फार्म का रखरखाव करने में उच्च पूंजीगत और प्रचालनात्मक लागत आएगी, क्योंकि बलुई मृदा में से जल रिसाव उच्च होता है और इससे होने वाली संभावित पर्यावरणीय क्षति से बचना चाहिए। इसके अलावा, मृदा की स्थलाकृति और इसकी रूपरेखा को जल ग्रहण और जल निकासी के मुद्दों तथा

निर्माण लागत के संबंध में सुनिश्चित करना चाहिए। बेहतर स्थल वह होता है जिसमें पूर्णतया खाली किए जा सकने वाले तालाब का निर्माण करने के लिए कम पूंजीगत निवेश होता है।

- 4.5 मृदा की गुणवत्ता मृदा पी.एच., पासगम्यता, सह्य क्षमता और भारी धातु तत्व के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। 5 पी.एच. से कम वाली मृदा (उदाहरण एसिड सल्फेट मृदा) से बचना चाहिए। इसी प्रकार भारी धातुओं की उच्च सान्द्रता वाली मृदा से भी बचना चाहिए। झींगा फार्म के निर्माण के लिए आदर्श विशेषता वाली उपयुक्त मृदा निम्नानुसार होती है:-

पी.एच.	जैविक कार्बन	कैल्सियम कार्बोनेट	उपलब्ध नाइट्रोजन	उपलब्ध फास्फोरस	विद्युत संचालकता
7-8	1.5-2.5%	> 5%	50-75 मिलीग्राम/ 100 ग्राम मृदा	4-6 मिलीग्राम/ 100 ग्राम मृदा	> 4 माइक्रो म्हो

- 4.6 प्रस्तावित क्षेत्र के जल के संबंध में मौसम संबंधी आंकड़े फार्म के डिजाइन के विकास के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि फार्म में स्वीकार्य गुणवत्ता के जल की उपलब्धता हो। इस संबंध में अपेक्षित महत्वपूर्ण आंकड़े वर्षा, ज्वारभाटा उतार-चढ़ाव, हवा की दिशा और गति, बाढ़ का स्तर, तूफान, चक्रवात, हिम तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवर्ती और पुनरावृत्ति के समय के संबंध में होते हैं। चक्रवात प्रवण क्षेत्रों और ऐसे स्थानों पर फार्मों के निर्माण करने से बचना चाहिए जहां बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।

- 4.7 कच्छ वनस्पति मृदा को बांधने में पोषण तत्वों के चक्र के एक स्रोत के रूप में, बफर के रूप में और अनेक प्रदूषणों के प्राकृतिक जैविक फिल्टर के रूप में तथा प्रजनन स्थल के रूप में और अनेक महत्वपूर्ण फिन तथा शैलफिसिस के लिए पालन क्षेत्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि कच्छ वनस्पति को हटाने से पोस्ट-लार्वा की कम उपलब्धता के जरिए खुले जल में फिन तथा शैलफिसिस की वृद्धि में गिरावट आती है। कच्छ वनस्पति का अब देश के पर्यावरण कानून के अधीन कानूनी रूप से संरक्षण किया जाता है।

कच्छ वनस्पति के क्षेत्रों में झींगा फार्मों की अधिक गहनता विश्व में अन्यत्र स्थिर सिद्ध नहीं हुई है। कच्छ वनस्पति की मृदा संभावित अम्ल सल्फेट मृदा होती है और झींगा फार्मों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है। राज्यों को प्राकृतिक कच्छ वनस्पति क्षेत्रों अथवा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमि, दलदल आदि के अंदर झींगा फार्मों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- 4.8 झींगा फार्म के लिए स्थल का चयन करते समय सड़क, विद्युत, प्रजननकों की निकटता, चारा निर्माण यूनिकों/चारा खुदरा विक्रेताओं, बर्फ के प्लान्टों, प्रोसेसिंग प्लान्टों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये पालन प्रचालनों की मितव्ययता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

- 4.9 स्थल का चयन करने और बाद में सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों से भी बचने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत जो अनिवार्य हैं, अपनाए जाने चाहिए :-

- झींगा कृषि के लिए कच्छ वनस्पति, कृषि भूमि, लवण पटल भूमि और अभयारण्य, समुद्री जीव पार्क आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- झींगा फार्म 500 से कम आबादी वाले ग्रामों/ निवासों से कम से कम 100 मीटर दूर और 500 से अधिक आबादी वाले ग्राम/निवासों से 300 मीटर से अधिक दूर स्थित होने चाहिए। बड़े कस्बों अथवा विरासतीय क्षेत्रों में यह दूरी लगभग 2 किलोमीटर होनी चाहिए।
- सभी झींगा फार्मों को निकटतम पेय जल स्रोत से 100 मीटर की दूरी रखनी चाहिए।
- झींगा फार्म प्राकृतिक नालों, नहरों/बाढ़ के नालों के आर-पार स्थित नहीं होने चाहिए।
- संकरी खाड़ी, नहर, समुद्र आदि जैसे आम संपदा संसाधनों का उपयोग करते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि कृषि गतिविधि से मछली पकड़ने आदि जैसी किसी अन्य परंपरागत गतिविधि में हस्तक्षेप न हो।
- निकटवर्ती झींगा फार्मों के बीच की दूरी स्थान विशिष्ट के अनुसार हो सकती है। छोटे फार्मों में 2 निकटवर्ती फार्मों के बीच कम से कम 20 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए ऐसा विशेष रूप से जनता को मछली निकालने के केन्द्रों और अन्य आम सुविधाओं तक पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए। फार्म के आकार पर निर्भर करते हुए 2 फार्मों के बीच यह दूरी अधिकतम 100-150 मीटर निर्धारित की जा सकती है। मृदा की बेहतर बनावट होने के मामले में ज्वार नदमुख आधारित फार्म के लिए बफर जोन 20-25 मीटर हो सकता है। समुद्र आधारित फार्मों के मामले में प्रत्येक 500 मीटर के लिए 20 मीटर चौड़ाई की दूरी तथा नदीमुख आधारित फार्मों के लिए प्रत्येक 300 मीटर फासले के लिए 5 मीटर चौड़ाई का फासला प्रदान किया जा सकता है ताकि वहां सुगमता से पहुंचा जा सके।
- बड़े फार्मों की स्थापना समूहों में की जा सकती है जिसमें समूहों के बीच पहुंचने की व्यवस्था की जा सकती है।
- निकटतम कृषि भूमि (मृदा स्थिति पर निर्भर करते हुए), नहर अथवा जल निकासी के किसी अन्य स्रोत और झींगा फार्म के बीच न्यूनतम दूरी 50-100 मीटर रखी जानी चाहिए।
- किसी फार्म का जल प्रसार क्षेत्र भूमि के कुल क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष 40 प्रतिशत का उपयोग उपयुक्त रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जहां कहीं संभव हो पेड़ लगाए जा सकते हैं।
- जिन क्षेत्रों में पहले ही अधिक संख्या में झींगा फार्म हों उनसे बचना चाहिए। ग्रहण करने वाले जलाशय की रखरखाव/ समाहित करने की क्षमता का अध्ययन करने के बाद ऐसे क्षेत्रों में नए फार्मों की अनुमति दी जा सकती है।

5.0 झींगा फार्मों का निर्माण और तैयारियां :

5.1 फार्म का डिजाइन और निर्माण: झींगा फार्म के सक्षम प्रबंधन और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनका उचित डिजाइन बनाना और निर्माण करना आवश्यक होता है। बाढ़, स्तर, तूफान, अपरदन, सीपेज, जलग्रहण और निकासी स्थलों के संबंध में समस्याओं से बचने के लिए अच्छे स्थान का चयन करना और फार्म के डिजाइन में न्यूनीकरण की विशेषताएं समाहित करना बेहतर तरीके होते हैं। झींगा फार्म के डिजाइन और निर्माण के लिए स्थल विशिष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है क्योंकि स्थल विशेषताएं स्थान-दर-स्थान बहुत भिन्न होती हैं। झींगा फार्म का डिजाइन बनाने और निर्माण करते समय निम्नलिखित चेकलिस्ट पर विचार करना चाहिए :-

फार्म के डिजाइन और निर्माण के लिए चेकलिस्ट

- बाढ़ तथा अपरदन से बचने के लिए ज्वार-भाटा के आयाम, जल प्रवाह की तेजी, वायु की दिशा, लहर का आयाम और चक्रवातों/ तूफानों के दौरान क्षेत्र में बाढ़ आने के पिछले इतिहास पर विचार करके तटबंधों का डिजाइन तैयार करना चाहिए।
- जो मृदाएं सीपेज प्रवण हैं उनके डिजाइन में अधिक ठोसपन के साथ बांध में अंदर मिट्टी की सतह शामिल करनी चाहिए और फार्म के चारों ओर खाई बनानी चाहिए ताकि निकटवर्ती भूमि में लवणीय जल के प्रवेश में कमी लाई जा सके।
- तालाब की निचली सतह, निकासी नहर और निकास स्थल की ऊंचाई इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए कि फार्म से जल पूर्णतया और आसानी से गुरुत्वाकर्षण के जरिए निकाला जा सके।
- तालाबों में अलग-अलग इनटेक और आउटलेट ढांचे होने चाहिए ताकि भराव और निकासी पर नियंत्रण रखा जा सके।
- तालाबों में कम से कम 80-100 सेंटीमीटर गहरा पानी होना चाहिए।
- भरने और खाली करने की नालियां अलग-अलग होनी चाहिए ताकि जल आपूर्ति और दूषित जल का मिश्रण न हो। जिन क्षेत्रों में ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है उनके संबंध में यह सराहनीय होगा कि डिजाइन में दूषित जल उपचार तालाब शामिल किए जाएं।
- फार्म के डिजाइन से जल प्रवाह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए अथवा बाढ़ का पानी नहीं रूकना चाहिए।
- नालियों के मुहाने वाटर टाइट होने चाहिए और इनमें जाली के फिल्टर लगे होने चाहिए।
- जहां कहीं संभव हो वनस्पति बफर जोन, तटवर्ती वनस्पतिकरण और रिहायस गलियारे बनाए जाने चाहिए तथा खुली भूमि पर वनस्पति उगाई जानी चाहिए।
- पम्प इनटेक्स को रक्षावरण देना चाहिए, पम्प स्टेशनों के आसपास वनस्पति का बफर प्रदान करना चाहिए और ईंधन के बिखराव को रोकने के लिए रूकावट खड़ी करनी चाहिए।

5.2 इनटेक रिजर्वार और एफल्यूएंट तालाबों का निर्माण: जिन क्षेत्रों में स्रोत जल तत्वों से गंदला होता है वहां इनटेक रिजर्वार ग्राद बैठने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में झींगा फार्म की बहुलता होती है वहां इनटेक तथा निकासी एक ही स्रोत (जैसे कि संकरी खाड़ी, नदी का मुहाना, बैक वाटर) से होती है वहां जल के उपचार के प्रावधान सहित इनटेक रिजर्वार आवश्यक होता है। जिन क्षेत्रों में ज्वार-भाटा का प्रवाह तेज होता है और ज्वार की लहरें ऊंची होती है वहां दूषित जल को भाटा लहर के दौरान सीधे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ज्वार-भाटा का प्रवाह कम होता है, वहां यह आवश्यक होता है कि दूषित जल को प्राकृतिक प्रणाली में निकालने से पूर्व एफल्यूएंट उपचार तालाब (ई.टी.पी.) में उपचारित किया जाए। 5 हैक्टेयर से बड़े फार्मों के लिए एक ई.टी.एफ., दूषित जल को रखने और पुनः तैयार करने के लिए रिजर्वार के रूप में, अनिवार्य होता है। फार्म के कुल क्षेत्र का कम से कम 10 प्रतिशत इस प्रयोजन के लिए आरक्षित रखना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि छोटे फार्म जो एक-दूसरे के बहुत निकट (फार्म समूह में) स्थित होते हैं उन्हें आम ई.टी.पी. स्थापित करने पर विचार करना चाहिए ताकि स्व-प्रदूषण और अधिक पोषक तत्वों तथा ठोस पदार्थों को रिलीज करने से बचा जा सके, जो प्राप्त करने वाले जलाशय में यूट्रोफिकेशन कर सकते हैं।

बेहतर जल प्रबंधन के लिए प्रत्येक पालन यूनिट 5 हैक्टेयर क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और फार्म के अंदर ही उपयुक्त फीडर चैनल प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए ताकि वाटर इनटेक का सभी व्यक्तिगत यूनिटों में प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

5.3 तालाब तैयार करना: तालाब तैयार करना पालन पद्धति का आवश्यक भाग है जिसके दौरान पिछले पालन चक्र से मृदा में मौजूद मैटाबोलाइट भार तथा संदूषण (रासायनिक और जैविक) जुताई, निराई तथा सूखाने के जरिए समाप्त किए जाते हैं। तालाब तैयार करने के दौरान जन्तुबाधा और परभक्षी हटा दिए जाते हैं तथा जल और मृदा में पी.एच. तथा पोषक तत्वों का स्तर चूने, कार्बनिक खाद और अकार्बनिक उर्वरकों को डालकर इष्टतम सांद्रता तक लाया जाता है। तालाब तैयार करने और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित चेकलिस्ट सहायता करेगी :-

- पिछले पालन से तालाब तलछट, जिसमें पोषक तत्वों और अन्य संदूषणों का जमाव होने की संभावना होती है, का प्राकृतिक पर्यावरण में निपटान नहीं किया जाना चाहिए। यदि तलछट को हटाना आवश्यक हो तो इसका निपटान फार्म स्थल के अंदर ही किया जाना चाहिए। यह कार्य तलछट को चौड़े बांधों में बनी खाइयों में डालकर किया जा सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह तलछट बहकर बाहर न निकले।
- चूने का उपयोग मृदा और जल के पी.एच. को सुधारने में संदूषणनाशक के रूप में और खनीजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। यदि मृदा पी.एच. 7.5 से कम नहीं है तो एक 300-500 किलोग्राम/ हैक्टेयर की खुराक दी जा सकती है। तथापि, अम्लीय मृदा, जहां पी.एच. कम होता है, में डाली जाने वाली चूने की मात्रा की गणना पी.एच. और उपयोग किए जाने वाले चूने के आधार पर की जानी चाहिए।

- अवांछित और जन्तुबाधा जीवाणु नष्ट कर दिए जाने चाहिए और तालाब की तली को सूखाकर तालाब से समाप्त कर दिए जाने चाहिए। जिन मामलों में पूर्णतः सूखाया जाना संभव नहीं है वहां कार्बनिक, जैविक रूप से अपरदनीय मत्स्यनाशक जैसे कि महुए के तेल की खली (100-150 पी.पी.एम.) चाय के बीज की खली (15-20 पी.पी.एम.) और चूना (अधिमानतः कैल्सियम आक्साइड) का उपयोग किया जा सकता है। किसी रासायनिक मत्स्यनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- कार्बनिक मत्स्यनाशक डालने के बाद इसके विषाक्त प्रभाव को समाप्त करने के लिए कम से कम 10 दिन की अवधि दी जानी चाहिए। जिन तालाबों में तली को सूखाना संभव नहीं है उनमें जन्तुबाधा और रोगजनक को समाप्त करने के लिए क्लोरिन का प्रयोग किया जा सकता है।
- उर्वरकों और खाद का उपयोग संस्तुत खुराक (निम्न सारणी 1) के अनुसार आवश्यकतानुसार न्यायोचित रूप से किया जाना चाहिए। अधिक उर्वरक डालने से बचना चाहिए। तालाब में पादप प्लवक के विकास के आधार पर उर्वरक अनुसूची तय करनी चाहिए। प्लवक विकास के संकेतक के रूप में जल के रंग और पारदर्शिता को लेना चाहिए। पालन की अवधि के दौरान पादक प्लवक के इष्टतम घनत्व को लेना चाहिए।
- कभी भी भारी शैवाल चमक का विकास नहीं होने देना चाहिए क्योंकि शैवाल चमक के टकराव से तालाब में आक्सीजनहीनता की स्थिति हो सकती है, जिससे झींगा का जीवन और विकास प्रभावित होता है।

सारणी-1 परंपरागत और व्यापक प्रणाली की कृषि में उत्पादन में सुधार करने के लिए कार्बनिक खाद और अकार्बनिक उर्वरकों की संस्तुत खुराक

मृदा के जैविक कार्बन तत्व के संबंध में खाद की खुराक		
मृदा में जैविक कार्बन (%)	विहित आधार खुराक	
	गाय का कच्चा गोबर (किलोग्राम/ हैक्टेयर)	मुर्गी की सूखी खाद (किलोग्राम/ हैक्टेयर)
1	500	175
0.5	1000	350
0.25	2000	700

उपलब्ध नाइट्रोजन के संबंध में यूरिया डालना	
मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन (मिलीग्राम/ 100 ग्राम मृदा)	डाला जाने वाला यूरिया (किलोग्राम/ हैक्टेयर)
12.5	100
25.0	50
50.0	25

उपलब्ध फास्फोरस के संबंध में सुपर फास्फेट डालना	
मृदा में उपलब्ध फास्फोरस (मिलीग्राम/ 100 ग्राम मृदा)	डाला जाने वाला सुपर फास्फेट (किलोग्राम/हैक्टेयर)
1.5	100
3.0	50
6.0	25

(स्रोत: जलकृषि प्राधिकरण, 1999)

6.0 जल गुणवत्ता और इसका प्रबंधन :

6.1 वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में खारा जल/समुद्री जल उपलब्ध होना चाहिए। जल का स्रोत बैकवाटर, नहर/संकरी खाड़ी, समुद्र ताल अथवा समुद्र हो सकता है। स्थल में उपलब्ध जल की गुणवत्ता का झींगा फार्म की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पी.एच., लवणता, घुली हुई आक्सीजन और विषैले/प्रदूषित पदार्थों की मौजूदगी जैसे जल गुणवत्ता पैरामीटरों का पता लगाया जाना चाहिए। कम पी.एच. वाले जल से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी और इसी प्रकार लवणता में अधिक उतार-चढ़ाव होने से पालन की जाने वाली प्रजातियों में व्यवधान आएगा। जल स्रोत को प्रौद्योगिक/कृषि प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। संदूषणों की उपस्थिति और उनके स्तर पर सत्यता तथा पालन की जाने वाली प्रजातियों पर इनके उक्त मारक प्रभाव के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। झींगा के बेहतर जीवन और विकास के लिए जल के विभिन्न गुणवत्ता पैरामीटरों के इष्टतम स्तर निम्नलिखित सारणी 2 में दिए गए हैं -

सारणी-2: झींगा फार्मों के लिए जल गुणवत्ता पैरामीटरों के इष्टतम स्तर

क्रम सं.	जल गुणवत्ता पैरामीटर	इष्टतम स्तर
1	तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)	28-33
2	पारदर्शिता (सेंटीमीटर)	25-45
3	पी.एच.	7.5-8.5
4	घुली हुई आक्सीजन (पी.पी.एम.)	5-7 (50% वायु संतृप्तता से अधिक)
5	लवणता (पी.पी.टी.)	15-25
6	कुल क्षारता (पी.पी.एम.)	200
7	घुला हुआ अकार्बनिक फास्फेट (पी.पी.एम.)	0.1-0.2
8	नाइट्रेट-एन. (पी.पी.एम.)	< 0.03
9	नाइट्राइट-एन. (पी.पी.एम.)	< 0.01

क्रम सं.	जल गुणवत्ता पैरामीटर	इष्टतम स्तर
10	अमोनिया-एन. (पी.पी.एम.)	< 0.01
11	कैडमियम (पी.पी.एम.)	< 0.01
12	क्रोमियम (पी.पी.एम.)	< 0.1
13	तांबा (पी.पी.एम.)	< 0.025
14	सीसा (पी.पी.एम.)	< 0.1
15	पारा (पी.पी.एम.)	< 0.0001
16	जस्ता (पी.पी.एम.)	< 0.1

6.2 झींगा पालन तालाबों में उत्पादित पोषक और जैविक कचरे में ठोस तत्व (मुख्यतः खाया न गया चारा, मल पदार्थ और मृत प्लवक) तथा घुले हुए मैटाबोलाइट (मुख्यतः अमोनिया, फास्फेट, कार्बन डाई आक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट) होते हैं। इन्हें सह्य सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रबंधन विधियां अपनाई जाती हैं। इनमें अधिक मितव्ययी जल बदलना है। प्रतिदिन 5-30% जल बदलने का कार्य सामान्यतः जल की उपलब्धता और तालाब के जल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जल तथा मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई रसायन और प्रोबायोटिक्स उपयोग किए जाते हैं।

6.3 निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि इन पद्धतियों के हानिकारण प्रभाव में कमी आए।

- न्यूनतम बर्बादी के साथ जल स्थिर चारे का उपयोग करके जल की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए।
- जल गुणवत्ता के पैरामीटरों की मानीटरिंग नियमित रूप से की जानी चाहिए और जल गुणवत्ता की स्थिति को इष्टतम बनाए रखने के लिए आवधिक जल प्रबंधन आवश्यक होता है। जल बदलने के समय जल की गुणवत्ता में अधिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि झींगा पर अधिक दबाव पड़ने से बचा जा सके और जन्तुबाधा तथा परभक्षी के प्रवेश को रोकने के लिए उचित रक्षाकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रातःकाल में घुली हुई आक्सीजन की सांद्रता मापी जानी चाहिए।
- उर्वरकों और चूने का उपयोग जिम्मेदार तरीके से, वास्तव में अपेक्षित होने पर किया जाना चाहिए।
- पालन जल की लवणता में कमी करने के लिए ताजे पानी के उपयोग से स्थिरता के कारणों के लिए बचना चाहिए; यद्यपि झींगा लवणता की व्यापक रेंज में अनुकूलन कर

सकती है और विकास कर सकती है, लेकिन लवणता के फल्वक्सों से बचना बेहतर होता है ताकि झींगा को दबाव से बचाया जा सके जिससे वे रोगों के लिए अधिक प्रवण हो सकती हैं।

- कम घनत्व वाले पालन में उच्च स्तर का जल परिवर्तन अपेक्षित नहीं होता है। खुले वातावरण में पोषण तत्वों के भार की शिकायत को देखते हुए स्रोत जल में वायरल संदूषण के डर से जल परिवर्तन जरूरत आधार पर किया जाना चाहिए। यदि जल गुणवत्ता इष्टतम सीमाओं के अंदर रहती है तो प्रजनन के पहले 2 माह के अंदर जल परिवर्तन अपेक्षित नहीं होता है।
- रसायनों, बैक्टिरियायुक्त और एंजाइमयुक्त खुराकों, जो पोषक तत्वों में कमी को दूर करते हैं, के अविवेकशील उपयोग, जैविक तत्व, आक्सिकरण और जल तथा मृदा से अमोनिया को हटाने से बचना चाहिए।

7.0 बीज उत्पादन :

- 7.1 सभी झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं को एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा उनके मानदंडों के अनुसार पंजीकरण कराने की जरूरत होती है, जिनकी सूचना प्राधिकरण को बाद में होने वाली इसकी बैठकों में दी जा सकती है। प्राधिकरण को अंडज उत्पत्तिशालाओं की समीक्षा करने तटवर्ती जलकृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- 7.2 सतत झींगा कृषि के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त झींगा बीज का उत्पादन करना प्रथम कदम है। 2004 के अंत तक देश में लगभग 300 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाएं स्थापित की गई थीं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 12 बिलियन पोस्ट लार्वा है। ये अंडज उत्पत्तिशालाएं मुख्यतः देश के पूर्वी तट पर स्थित हैं।
- 7.3 अंडज उत्पत्तिशाला के प्रचालनों को मुख्यतः ब्रूड स्टाक, लार्वा/पोस्ट लार्वा पालन और जीवित चारा प्रबंधन में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। चूंकि रोगमुक्त कृषि के लिए स्वस्थ बीज का उत्पादन करना प्रथम कदम है इसलिए झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए कड़ी सफाई, संगरोध और गुण नियंत्रण प्रबंधन बनाए रखना अपेक्षित होता है ताकि जैव सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। मानक और एक समान गुणवत्ता के बीज जो रोगजनक मुक्त हो, का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए झींगा अंडज उत्पत्तिशाला द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाने चाहिए।
- 7.4 अंडज उत्पत्तिशालाओं को अपनी प्रजनन प्रणाली में जल गुणवत्ता की इष्टतम विशेषताएं अपनाकर समुद्री गुणवत्ता के समुद्री जल की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि लार्वाओं पर पड़ने वाले किसी दबाव से बचा जा सके। यह कार्य अपेक्षित गुणवत्ता के जल वाले अच्छे स्थल का चयन करके किया जा सकता है।

सारणी-3 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए जल के संस्तुत गुणवत्ता पैरामीटर

पैरामीटर	सह्य सीमा	इष्टतम स्तर
तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)	18-38	28-32
लवणता (पी.पी.टी.)	26-34	30-34
पी.एच.	7.0-9.01	8.0-8.4
घुली हुई आक्सीजन (पी.पी.एम.)	3 से अधिक	4 से अधिक
अमोनिया-एन. (पी.पी.एम.)	0.1 तक	0.01 से कम
नाइट्राइट-एन. (पी.पी.एम.)	0.1 तक	0.01 से कम

इसके अलावा, जल का उपचार सभी प्रलंबित ठोस पदार्थों, घुले हुए पोषक तत्व और बैक्टीरियाई तथा वायरल रोगजनकों को हटाने के लिए करना चाहिए। यह कार्य जल के अच्छे उपचार प्रोटोकॉल का अनुसरण करके किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अवसादन
- जल में क्लोरिन मिलाना और क्लोरिन का स्तर कम करना
- बालू के फिल्टरों से छानना
- सक्रिय कार्बन फिल्टर से छानना
- एक माइक्रोन आकार तक के काट्रेज से छानना
- यू.वी. फिल्ट्रेशन/ओजोनेशन

7.5 जलांडक/ब्रूडस्टॉक की गुणवत्ता: मादा झींगा से वायरल रोगजनक का गर्भाशय उत्तकों के जरिये लार्वा में सीधे अंतरण होना अंडज उत्पत्ति प्रणाली में वायरल रोगजनक पैदा होने का एक स्रोत है। इसके अलावा, जलांडकों पर पड़ने वाले किसी दबाव से जलांडक की खराब गुणवत्ता के अंडे उत्पन्न होते हैं। अच्छी गुणवत्ता के अंडे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

- वाणिज्यिक महाजाल प्रचालनों से एकत्र किए गए जलांडक/ब्रूड स्टॉक पर महाजाल में पकड़ने के समय दबाव पड़ता है। इन्हें तत्काल और कोई दबाव/आहत किए बिना अंडज उत्पत्तिशालाओं में भेज देना चाहिए।
- एकत्र किए गए जलांडजों को अलग-अलग असंक्रमित जल में रखना चाहिए तथा इन्हें आक्सीजन की पैकिंग के अधीन तत्काल भेज देना चाहिए। पकड़ने के समय से लेकर जलांडकों का अलग-अलग रखरखाव करने का कार्य महत्वपूर्ण है ताकि वायरल रोगजनकों के साथ इनका संदूषण होने से बचा जा सके।

- ब्रूडस्टॉक का अंडज उत्पत्तिशाला में पहुंचने पर संगरोध किया जाना चाहिए ताकि रोगजनकों के प्रवेश को रोका जा सके। जलांडक/ब्रूडस्टॉक, जिसमें कोई घाव नहीं है, जिसका गिल क्षतिग्रस्त नहीं है, जिसके जन्मजात गुण को नुकसान नहीं पहुंचा है और जिसका रंग लाल नहीं हुआ है, का ही चयन किया जाना चाहिए।
- जलांडक/ब्रूडस्टॉक का रोगनिराधी उपचार अच्छे वातन के अधीन एक घंटे के लिए 50 पी.पी.एम. पर फोरमेलिन से किया जाना चाहिए। यह कार्य स्टॉक को अंडज उत्पत्तिशाला/परिपक्वता प्रणाली में रखने से पूर्व किया जाना चाहिए।
- जलांडक/ब्रूडस्टॉक को अलग-अलग जलवायु के अनुकूल बनाना चाहिए और प्लवपाद के अंतिम शीरे का उपयोग करके डब्ल्यू.एस.एस.वी. की उपस्थिति के लिए तथा मल तत्वों से मोनोडोन बैकुलो वायरस (एम.बी.वी.) के लिए जांच की जानी चाहिए। इन रोगजनकों से मुक्त जलांडकों को ही अंडज उत्पत्तिशाला/परिपक्वता प्रणाली में भेजना चाहिए।

7.6 कैप्टिव परिस्थितियों के अधीन लाई गई परिपक्वता: स्वस्थ, रोगजनक मुक्त, अपरिपक्व, ब्रूडस्टॉक, विल्ड से एकत्रित किए हुए को रोगनिराधी उपचार देने और जलवायु के अनुकूल बनाने के बाद परिपक्वता टैंकों में ले जाना चाहिए तथा पकड़ने और ढुलाई करने के दबाव से रिकवरी करने के लिए 4-5 दिन का समय देना चाहिए। इसके बाद इन्हें आईस्टॉक अपअपरदन के जरिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाकर परिपक्व किया जाता है।

- कठोर कवच युक्त थिलिकम में स्पर्ममैटोफोर्म वाले रोग और घाव से मुक्त स्वस्थ मादा झींगा का चयन आईस्टॉक अपअपरदन के लिए करना चाहिए।
- मादा को आकार में 100 ग्राम से अधिक होना चाहिए ताकि अच्छी गुणवत्ता के अंडे सुनिश्चित किया जा सके।
- हाल ही में केंचुली उतारे हुए और केंचुली उतारने के लिए तैयार मादा झींगा के लिए आईस्टॉक अपअपरदन करने से बचा जाना होता है।
- इलेक्ट्रोकोट्रिजेशन अपक्षरित आईस्टॉक का सर्वोत्तम तरीका है क्योंकि इससे न्यूनतम दबाव पड़ता है।
- अपक्षरित मादा झींगा को 4 नग प्रति वर्गमीटर की दर पर अपक्षरित न हुए नर के साथ परिपक्वता टैंक में रखा जाता है। मादा और नर को 2:1 के अनुपात में रखने से सर्वोत्तम मैटिंग होती है।
- झींगा, पोलिचीट कृमि, बहु-असंतुप्त वसा अम्लों की लम्बी श्रृंखला में आरटिमिया बायोमास पुष्ट की तरह अमिनो अल्म प्रोफाइल वाले क्लाम (मेरिट्रिक्स प्रजाति), मुसेल (परना विरिडिस) और स्कविड(लोलिगो प्रजाति) जैसे ताजे चारे का उपयोग परिपक्वता चारे के रूप में किया जाता है। आँख से देखकर ही पर्याप्त मात्रा में चारा दिया जाना चाहिए। केकड़े का मांस जैसे चारे, जो रोगजनकों का वाहक होते हैं, से बचा जाना चाहिए।

- जीवित चारे की वस्तुओं के अलावा अराचिडानिक अम्ल, इकोसोपैन्टाईनोइक अम्ल और डीकैशोहैक्जाईनोइक अम्ल जैसे बहुसंतृप्त वसा अम्लों के साथ पुष्ट गोली बने हुए चारे का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अच्छी गुणवत्ता के अंडे सुनिश्चित हो सके।
- जल का 100% से 200% तक रोजाना परिवर्तन करके इष्टतम परिस्थितियों के अधीन जल गुणवत्ता का रखरखाव करना चाहिए।
- कम रोशनी होनी चाहिए और परिपक्वता टैंक के आसपास मानवों की आवा-जाही कम होनी चाहिए और अपक्षरित झींगा को व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

7.7 जलांड पैदा करना और अंडज उत्पत्ति करना :

- अविवाचित जलांडक/ परिपक्व बनाए गए स्टाक को जलांडक टैंको में अलग-अलग रखने से पूर्व फोरमेलिन उपचार से असंक्रमित किया जाना चाहिए।
- जलांडक टैंको में चारा नहीं देना चाहिए।
- जलांडकों को एकत्र करना चाहिए, पूर्णतः धोना चाहिए और फोरमेलिन में डूबाकर तथा अंडज उत्पत्ति के लिए ताजे समुद्री जल में रखकर असंक्रमित करना चाहिए।
- जलांडकीकरण के बाद 2 घंटे के अंदर अंडों की गुणवत्ता उस समय आंकलित करनी चाहिए जब उर्वरक और अनुर्वरक अंडों की पहचान करना सुगम होता है।
- यदि अंडों की गुणवत्ता खराब होती है तो उन्हें अस्वीकार कर देना सराहनीय होता है।
- केवल सकारात्मक रूप से सक्रिय फोटो टैक्टिक नौपली को लार्वा प्रजनन टैंक में भेजने के लिए एकत्र किया जाना चाहिए।

7.8 लार्वा पोषण/नर्सरी पोषण: :

- एकल जलांडक से नौपली का पालन अलग करना चाहिए ताकि आपसी संदूषण से बचा जा सके।
- नौपली का स्टॉक रखने का घनत्व लार्वा पालन टैंको में 50 प्रति लीटर रखा जाना चाहिए।
- नौपली के जोड़्या 1 में बदलने से पूर्व शैवाल चारा देना शुरू करना चाहिए।
- जो पालन विकास की घातीय अवस्था में है उन्हें अपेक्षित मात्रा में शैवाल चारा देना चाहिए।
- शैवाल चारे को सांद्रित करना चाहिए ताकि शैवाल पालन जल की अधिक मात्रा को इसके पोषाहार भार के साथ शामिल करने से बचा जा सके।
- लार्वा पालन में जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग अमोनिया, नाइट्राइट और बैक्टिरियाई भार के लिए की जानी चाहिए।

- 1 एयर डिफ्यूजर स्टोन्स को प्रति वर्ग फीट पर 1 की दर से रखकर टैंक के सभी हिस्सों में एक समान वातन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे टैंक में लार्वा और शैवाल चारा एक समान रूप से संवितरित रहेगा।
- जल परिवर्तन के दौरान जल निकासी के लिए उचित आकार की जाली के जाल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लार्वा पर दबाव डाले बिना मल पदार्थ हटाए जा सके।
- आरटिमिया नौपली/फलेक आहार का इस्तेमाल आवश्यक रूप से शैवाल खुराक के साथ माइसिस-2 अवस्था से करना चाहिए।
- एंटीबायोटिक और अन्य औषधियों का रोगनिरोधी उपयोग नहीं करना चाहिए और केवल अनुमत एंटीबायोटिक्स, रसायनों आदि का उपयोग करना चाहिए। अधिकतम संभव सीमा तक प्रोबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए।
- पी.एल.-5 पर लार्वा पालन टैंको में से लार्वा निकाल लेना चाहिए, फोरमेलिन में डूबोकर असंक्रमण उपचार करना चाहिए और इसे 15-20 प्रति लीटर की दर पर बाहर रखे नर्सरी टैंको में रखना चाहिए।
- नर्सरी पालन की बाद की अवस्था के दौरान आरटिमिया नौपली के साथ क्लाम मांस जैसी अन्य जीवित चारा वस्तुओं अथवा संतुलित यौगिक चारे का उपयोग किया जा सकता है।
- अपेक्षित लवणता स्तर तक अनुकूलन पालन की नर्सरी अवस्था में धीरे-धीरे किया जाना चाहिए।
- केवल पी.एल.-20 को मोनोडोन बैकुलो वायरस (एम.बी.वी.) और व्हाइट स्पॉट सिन्ड्रोम वायरस (डब्ल्यू.एस.एस.वी.) की उपस्थिति के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के बाद ही किसानों को बेचा जाना चाहिए। यदि पालन की किसी अवस्था में डब्ल्यू.एस.एस.वी. का पता चलता है तो सम्पूर्ण टैंक के लार्वा को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- लम्बी दूरी तक ढुलाई करने के लिए बीज को कम तापक्रम पर थर्मोकॉल के बक्सों में पैक करना चाहिए।
- अनुपूरक चारा और रॉ सामग्री को उचित रूप से हैंडल करना चाहिए तथा इनके बिखराव से बचने के लिए इनका संग्रह करना चाहिए।

7.9 शैवाल पालन :

- शैवाल पालन मकान के अंदर शुद्ध रूप में, तापक्रम नियंत्रित कमरों में करना चाहिए और इनका उपयोग बाह्य बहुलता पालन के लिए शुरुआती पालन के रूप में करना चाहिए।
- शैवाल के शुद्ध पालन के लिए यू.वी. उपचारित जल का उपयोग करना सराहनीय होगा ताकि संदूषण रोका जा सके।
- लार्वा पालन टैंको में चारा देने से पूर्व वृहद पालन की गुणवत्ता का परीक्षण करना चाहिए।

7.10 आरटिमिया अंडज उत्पत्ति :

- आरटिमिया कृमि कोष को अंडज उत्पत्ति के लिए रखने से पहले असंक्रमित करना चाहिए।
- लार्वा पालन टैंको में चारे के रूप में उपयोग करने से पूर्व अंडज उत्पन्न आरटिमिया नौपली को कृमि कोष कवच और अंडज उत्पन्न न करने वाले कृमि कोषों से अलग करना चाहिए।
- केवल पौषणिक रूप से बेहतर इनस्टार 1 नौपली का चारे के रूप में उपयोग करना चाहिए।

7.11 सामान्य जैव सुरक्षा प्रक्रियाएं :

- झींगा अंडज उत्पत्ति के स्वस्थ प्रचालन के लिए दिए जाने वाली पानी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों से लिए गए प्रदूषण मुक्त जल को छान लेना चाहिए और संभवतः उपयोग से पहले इसका निषेचन करना चाहिए।
- अंडज उत्पत्तिशाला के विभिन्न खंडों के बीच मानव, सामग्री और व्यक्तिगत सामान की आवा-जाही को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि संदूषण से बचा जा सके।
- पाद गड्ढे, बॉश बेसिन, टॉयलेट आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अंडज उत्पत्तिशाला के परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई सुनिश्चित की जा सके।
- एफल्यूेंट जल को बाहर निकालने से पूर्व एफल्यूेंट उपचार प्रणाली में उपचारित करना चाहिए।
- पर्यावरण मानक सुनिश्चित करने के लिए एफल्यूेंटों की नियमित मानिट्रिंग विहित की जाती है।
- अंडज उत्पत्तिशाला में विभिन्न अवस्थाओं में बूडर/बीज की स्वस्थ स्थिति की जांच करने के लिए माइक्रो जैविक/पी.सी.आर. सुविधाओं जैसी पैथालॉजी प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
- रूग्ण अथवा मृतप्राय झींगा का निपटान सुरक्षापूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि स्टॉक के संदूषण से बचा जा सके।
- साफ-सफाई की वस्तुओं का उपयोग करके जैव फिल्टरों, टैंको, बाल्टियों, जालियों आदि की पूर्ण धुलाई और सफाई करनी चाहिए तथा इसके बाद इन्हें सूखाना चाहिए। जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से असंक्रमणीकरण करना चाहिए।
- अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए अक्सर अपने एफल्यूेंट की मानीट्रिंग करना अपेक्षित होता है ताकि जल गुणवत्ता मानक सारणी-5 में विहित सीमा के अंदर बने रहें। एफल्यूेंट निकासी मानक बनाए रखने की जरूरत पर विचार करते हुए एफल्यूेंट उपचार प्रणाली सभी अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए अनिवार्य होगी।
- यह आवश्यक है कि अंडज उत्पत्तिशालाओं में विभिन्न खंडों में उनकी गतिविधियों का उचित रिकार्ड रखा जाए ताकि पर्यवेक्षण एजेंसियां इनका सत्यापन कर सकें और इनका पता लगाना तथा बाजार तक सुगम पहुंच बनाना सुनिश्चित किया जा सके।

7.12 झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं के लिए अपने दैनिक प्रचालनों हेतु समुद्री जल की बहुत अधिक मात्रा अपेक्षित होती है। अंडज उत्पत्तिशाला में उपयोग किया गया जल और बाहर निकाले गए पदार्थों में घुले हुए और अधुलनशील कार्बनिक तत्व, पोषक तत्व, रसायन, एंटीबायोटिक्स आदि का संदूषण हो सकता है। जब संदूषित जल खुले में निकाला जाता है तो इसे पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना रहती है जो अंडज उत्पत्तिशाला के प्रचालनों के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि पानी प्राप्त करने वाले और बाहर निकालने वाले स्थल पास-पास होते हैं। अतः एफ्ल्यूएंटों का उचित उपचार करना आवश्यक होता है ताकि निकाला गया जल पर्यावरण मानकों के अनुरूप हो।

8.0 बीज का चयन और स्टॉक रखना :

8.1 बीज की गुणवत्ता का पाले हुए झींगों के जीवन और विकास के साथ सीधा संबंध होता है और स्टॉक रखने के घनत्व का तालाब में उत्पन्न कचरे के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक स्टॉक रखने का घनत्व होगा उतनी ही उपयोग किए जाने वाले चारे की मात्रा अधिक होगी। स्टॉक रखने का घनत्व उच्च होने से जन्तुओं पर दबाव पड़ता है जिससे रोग फैलने की अधिक घटनाएं होती हैं। अधिक स्टॉक और चारे की दर वाले तालाबों में दूषित जल सामान्यतः घटिया गुणवत्ता का होता है और इससे अधिक उचित घनत्व के स्टॉक वाले तालाबों से निकलने वाले दूषित जल की तुलना में अधिक जल प्रदूषण होता है। अतः यह आवश्यक है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

- स्टॉक रखने के लिए पंजीकृत अंडज उत्पत्तिशालाओं से लेकर केवल स्वस्थ और रोगजनक बीज का उपयोग करना चाहिए।
- झींगा बीज के स्वास्थ्य स्तर की पी.सी.आर. सहित मानक परीक्षण प्रक्रियाओं के जरिए जांच करनी चाहिए।
- प्राकृतिक संसाधनों से बीज एकत्र करने पर राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए ताकि बहुत अधिक मात्रा में फिन और शेलफिश प्रजातियों को नष्ट होने से बचाया जा सके।
- स्टॉक रखने से पूर्व बीज का प्रचलित तापक्रम, लवणता और तालाब में पी.एच. स्थिति के लिए अनुकूलन करना चाहिए, ऐसे बीज को धीरे-धीरे मिलाकर किया जा सकता है। बहुत कम लवणता वाले क्षेत्रों में 4-5 दिन की अवधि तक लवणता समायोजन किया जाना होता है और यह कार्य अंडज उत्पत्तिशालाओं में ही करना चाहिए।

8.2 कृषि पद्धतियों की सततता पर स्टॉक रखने के घनत्व के अधिक प्रभाव को देखते हुए झींगा जलकृषि में केवल कम घनत्व के स्टॉक की अनुमति दी जाएगी। तथापि, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के लिए स्टॉक रखने के घनत्व तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार होंगे।

9.0 चारा और चारा प्रबंधन :

- 9.1 सभी झींगा चारा निर्माण यूनिटों को उनके मानदंडों के अनुसार एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा पंजीकृत करने की जरूरत है जिसकी सूचना प्राधिकरण को इसकी बाद में होने वाली बैठकों में दी जाए। प्राधिकरण के पास चारा मिलों के पंजीकरण की समीक्षा करने और तटवर्ती जलकृषि क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुसार उचित निर्णय लेने की शक्तियां होंगी।
- 9.2 झींगा कृषि में इष्टतम पैदावार स्तर के लिए चारा आधार होता है। देश में 2004 के अंत तक 1,50,000 टन चारे की उत्पादन क्षमता के साथ लगभग 33 झींगा चारा मिल स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, स्थानीय यूनिटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चारा निर्माण की छोटी यूनिटें मौजूद हैं।
- 9.3 तथापि, झींगा उन्हें प्रदान किए गए सम्पूर्ण चारे को नहीं खाता है और खाए गए चारे का केवल एक भाग ही झींगा मांस में परिवर्तित होता है। बिना खाया चारा, मल और चया-अपचयी कचरा दूषित जल में पोषाहार भार को बढ़ाता है। जैसे-जैसे चारा देने की दर बढ़ती है, वैसे-वैसे तालाब के जल की गुणवत्ता और मृदा गुणवत्ता सामान्यतः खराब होती है।
- 9.4 ताजा आहार झींगा तालाब में नाइट्रोजन भार को बढ़ाता है। अक्सर उन क्षेत्रों में तालाब की तली में मलबे और कचरे की काफी मात्रा जमा हो जाती है, जहां परिसंचलन धीमा होता है जिससे अधिक बीओडी बन जाता है और हानिकारक जैसे निकलती हैं जिनसे तली में रहने वाले झींगों पर दबाव पड़ सकता है। इसके विपरीत गोली बने हुए आहार का नियमित चारा दिए जाने से झींगे का अधिकतम विकास और दूषित जल में पौषणिक पुष्टता कम हुई पाई गई है।
- 9.5 चारे की गुणवत्ता और रूपान्तरण अनुपात/ सक्षमता का कचरे के स्तर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। चारे में फासफोरस तत्व की कमी चया-अपचयी के संबंध में आहार की नाइट्रोजन का नियंत्रण और आकर्षकता, जल स्थिरता, बनावट और उचित आकार के चारे जैसी भौतिक विशेषताओं में सुधार करने से काफी हद तक पोषाहार भार में कमी करने में सहायता मिलेगी।
- 9.6 सफल झींगा कृषि के लिए सावधानीपूर्ण चारा प्रबंधन आवश्यक है। तालाब में उचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के चारे, जल और मृदा गुणवत्ता का उपयोग करके इष्टतम स्थितियां बनी रहती हैं। इससे झींगा पर कम दबाव पड़ता है, रोग होने की संभावना कम होती है और वे चारे का उपयोग चारा रूपांतरण अनुपात के रूप में अधिक सक्षमता से करते हैं तथा चारे की लागत न्यूनतम होती है। तालाब में बेहतर गुणवत्ता के जल से दूषित जल में पोषाहार का भार न्यूनतम होता है और पानी गिरने वाले जलाशयों में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की संभावनाएं घटती हैं।
- 9.7 चारा आदान की मानीटरिंग करना चारे की बर्बादी को न्यूनतम रखने के लिए अपेक्षित होता है। इसी प्रकार तालाब में खड़े स्टॉक की सावधानीपूर्वक मानीटरिंग करने से यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है कि चारा देने का सही स्तर अपनाया गया है। निर्माता द्वारा विहित की गई चारा देने की दर, चारे की गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। निम्नलिखित सारणी-3 में दी गई चारा देने की दरों की संस्तुति की जाती है। तथापि, इसको चैक ट्रे अवलोकनों के आधार पर नियमित करना चाहिए।

सारणी-4 झींगा के विभिन्न आकारों के लिए संस्तुत चारा दर

झींगे का आकार (ग्राम)	शरीर भार के प्रतिशत के रूप में दैनिक चारा
2-5	4.0-3.0
5-10	3.0
10-15	3.0-2.5
15-20	2.5-2.0
20-35	2.0

9.8 झींगा कृषि में चारा और चारा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाए जाने चाहिए :

- चारा तत्वों में संदूषक, पोषणरोधी तत्व, सूक्ष्म जैविक विष, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स और अन्य अपमिश्रक पदार्थ नहीं होने चाहिए।
- फार्म पर तैयार किए गए गीले आहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, जब गीले आहार का उपयोग किया जाता है तब इसमें शामिल तत्व के रूप में क्रस्टेशियन से बचना चाहिए।
- इष्टतम जल स्थिरता के साथ केवल शुष्क, पौषणिक रूप से संतुलित गोली बनाए हुए चारे का उपयोग करना चाहिए।
- यथासंभव सीमा तक ताजे चारे का उपयोग करना चाहिए। यदि चारे का संग्रह 2 माह से अधिक समय के लिए किया गया हो तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फफूंद और अन्य संदूषण को रोकने के लिए चारे को शीत, शुष्क स्थान पर संग्रह करना चाहिए।
- मानक फीड कर्व/चार्ट (उपर्युक्त सारणी-4) से चारा दर तय की जानी चाहिए और साप्ताहिक आधार पर झींगा जैवमास के लिए समायोजित की जानी चाहिए।
- चारा देने की दर को नियमित करने के लिए चारा चैक ट्रे का उपयोग करना चाहिए। चारा चैक ट्रे को तालाब में व्यापक रूप से वितरित करना चाहिए।
- अधिक चारे और कम चारे, दोनों से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि झींगा दिए गए अनुपूरक चारे की अधिकतम मात्रा का उपभोग करता है क्योंकि खाया न गया पड़ा हुआ अधिक चारा सड़ जाएगा और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, झींगा पर दबाव पड़ेगा और परिणामतः रोग होने का खतरा बढ़ेगा।
- चूंकि झींगे के लिए चारे को पचाने हेतु लगभग 4 घंटे की जरूरत होती है इसलिए चारा देने की आवर्ती दिन में 4-6 बार होनी चाहिए। चूंकि झींगा रात्रिचर होता है इसलिए 60 प्रतिशत से अधिक चारा रात्रि के दौरान खिलाया जाना चाहिए।

- चारा रूपांतर अनुपात (एफ.सी.आर.) की मानीटरिंग करनी चाहिए। सावधानीपूर्वक बनाई गई चारा देने की अनुसूची के जरिये एफ.सी.आर. में कमी करने से उत्पादन सक्षमता में सुधार होगा और कचरा भार में गिरावट आएगी।
- उच्च स्वीकार्यता, उच्च पचनीयता और समाहित होने की सक्षमता वाले चारे से कचरा उत्पादन और पोषाहार भार में गिरावट आएगी। इसके अलावा, इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी क्योंकि चारा वहन की जाने वाली लागत का 50 प्रतिशत से अधिक होता है।
- झींगा किसानों को दैनिक चारा अनुसूची का पूर्ण रिकार्ड रखना चाहिए ताकि एफ.सी.आर. का मूल्यांकन किया जा सके, जिसका उपयोग चारा खिलाने की सक्षमता बढ़ाने और चारा बर्बादी में कमी करने के लिए किया जाना चाहिए।

10.0 झींगा का स्वास्थ्य प्रबंधन :

- 10.1 वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से झींगा में प्रमुख रोग होते हैं। व्हाइट स्पॉट सिन्ड्रोम वायरस (डब्ल्यू.एस.एस.वी.) द्वारा पैदा किए गए श्वेत चित्तीदार रोग, जिससे अन्य स्थानों की तरह भारत में झींगा कृषि में गंभीर हानि हुई थी, सर्वाधिक प्रचलित वायरस रोग है; एक और प्रचलित वायरस रोग पीला शीर्ष रोग है, जिसकी सूचना भारत में होने की नहीं मिली है लेकिन यह थाइलैण्ड और एशिया के अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। झींगा कृषि में बैक्टीरिया से उत्पन्न विब्रिओसिस, गिल जैसा प्रोटोजोआ रोग और जूथामनियम द्वारा उत्पन्न बाह्य बदबूदार रोग भी समस्या पैदा करते हैं।
- 10.2 झींगा पालन प्रणाली में रोग फैलने का संबंध जल गुणवत्ता में गिरावट, तलछट और स्व-प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय घटकों में होता है। इनका उपचार तभी किया जाना चाहिए जब विशिष्ट रोग का निदान हो जाता है और यह पता चल जाता है कि इस रोग का उपचार किया जा सकता है। फार्म स्टॉक और प्राकृतिक स्टॉक के बीच रोग फैलने को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी उपाय भी करने चाहिए।
- 10.3 निम्नलिखित दिशा-निर्देशों में रोग रोकथाम गतिविधि के साथ उपयुक्त गतिविधि के रूप में स्वास्थ्य प्रबंधन की एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में परिकल्पना की गई है। इस दृष्टिकोण में रोगमुक्त बीज का कम मात्रा में स्टॉक करना, बेहतर हैंडलिंग करना, तालाब का पर्यावरण अच्छा रखना और दबाव कम करने तथा अत्यधिक संक्रमित और असंक्रमित रोगों को रोकने के लिए इष्टतम चारा प्रबंधन करना शामिल है।
 - झींगा के स्वास्थ्य की लगातार मानीटरिंग करनी चाहिए और जिनमें निम्नलिखित एक अथवा अधिक स्थिति का निदान होता है उनमें कुछ-न-कुछ रोग होता है:

निष्कृत्यता और सुस्ती, रिक्त आहार नाल, नीला/काला रंग, शरीर पर फफोले, बड़े हुए गिल, जन्मजात गुणों की कमी, काली/ श्वेत चित्तियां, रंगीन गिल और अपारदर्शी मांसपेशियां।

- प्रशिक्षित पैथालॉजिस्ट/ सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक की सहायता से तत्काल किसी भी रोग का निदान किया जाना चाहिए।
- जिस रासायनिक उपचार से जन्तुओं पर दबाव पड़ता हो वह नहीं करना चाहिए।
- जलकृषि में उत्पन्न होने वाली समस्याएं प्रमुखतः पर्यावरण गिरावट के कारण होती हैं और अधिकांश रोगजनक स्वरूप में वैकल्पिक रोगजनक होते हैं। अतः रोग रोकथाम और नियंत्रण के लिए तालाब पर्यावरण का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। तालाब की स्थितियों से संबंधित असंक्रमणीय रोग के लिए जन्तुओं का उपचार किया जाना चाहिए अथवा तालाब की स्थितियां सुधारनी चाहिए।
- हल्के संक्रामक रोग, जिसके फैलने की संभावना होती है, के लिए तालाब को संगरोध किया जाना चाहिए और रोग उपचार के लिए सर्वोत्तम विकल्प अपनाना चाहिए।
- गंभीर संक्रमित रोग, जो व्यापक रूप से फैल सकता है, के लिए तालाब को अलग-थलग कर देना चाहिए, शेष झींगों को जाल से पकड़ लेना चाहिए और तालाब में से पानी निकाले बिना इसे असंक्रमित करना चाहिए।
- मृत और रोगी झींगों का स्वच्छ तरीके से निपटान करना चाहिए जिससे रोग का प्रसार हतोत्साहित होगा।
- जब तालाब में रोग उत्पन्न हो जाता है तो झींगा, उपकरण अथवा जल का अंतरण किसी अन्य तालाब में करने से बचना चाहिए।
- औषधि, एंटीबायोटिक्स और अन्य रासायनिक उपचार संस्तुत पद्धतियों के अनुसार किए जाने चाहिए तथा सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

11.0 रसायनों और औषधियों का उपयोग :

- 11.1 जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायनों और औषधियों में वे पदार्थ शामिल होते हैं जो ढांचागत सामग्री, मृदा और जल उपचार, बैक्टिरिया रोधी एजेंट, चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, जन्तुबाधनाशियों, चारा अनुपूरकों, अनेस्थेटिक्स, असक्राम्य-उत्तेजक और हार्मोनों के साथ मिले होते हैं। फिलहाल प्रयोग में लाए जा रहे रसायन और औषधियां अधिकांशतः कृषि/पशु चिकित्सा के क्षेत्र से ली जाती हैं और इनका कभी भी विशिष्ट रूप से जलीय पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने के संबंध में परीक्षण/आंकलन नहीं किया गया है।
- 11.2 कुछ रसायन और एंटीबायोटिक झींगा के मांस में जमा हो सकते हैं और इनसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है तथा व्यापार की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कुछ रसायन अवशिष्ट के रूप में एफ्ल्यूएंट में मौजूद हो सकते हैं और प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन एजेंटों और

रसायनों के उपयोग में कमी करने से पर्यावरण कार्यनिष्पादन में तो सुधार होगा ही साथ ही झींगा फार्मों के प्रचालनों की लागत में भी कमी आएगी। झींगा स्वास्थ्य प्रबंधन में रोग उपचार की बजाय अच्छे पोषाहार, ठोस तालाब प्रबंधन और समग्र दबाव में गिरावट के जरिए रोगों की रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

- 11.3 *रसायनों का उपयोग:* रोगों की रोकथाम अथवा उपचार करने के लिए, चारा अनुपूरक के रूप में, संक्रमणरोधक के रूप में, अन्य मछली हटाने के लिए या मृदा अथवा जल का उपचार करने के लिए झींगा तालाबों में रसायनों का उपयोग करने से बचना चाहिए। तथापि, अंडज उत्पत्तिशालाओं में रसायन अपेक्षित हो सकते हैं। अंडज उत्पत्तिशाला के प्रचालकों को अंडज उत्पत्तिशालाओं से प्राकृतिक जल में ऐसे रसायनों के होने वाले प्रवेश की सावधानीपूर्वक मानीटरिंग करनी चाहिए और उन्हें दूषित जल में से ऐसी सामग्री को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- 11.4 *उर्वरकों का उपयोग:* मत्स्य खाद्य जीवाणुओं की वृद्धि को बढ़ावा देने, विशेषरूप से लार्वा उपरांत की अग्रिम अवस्था के लिए बढ़ावा देने हेतु झींगा पालन में कार्बनिक और अकार्बनिक, दोनों उर्वरकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इससे जिस जल में एफल्यूएंट मिलता है उसमें पोषाहार भार बढ़ सकता है। अतः जहां तक संभव हो, ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल जैविक खाद/उर्वरक और अन्य पादप उत्पादों का उपयोग करना चाहिए।
- 11.5 *मत्स्यनाशकों का उपयोग:-* इसी प्रकार मत्स्यनाशक और नाशक चूर्ण का व्यापक उपयोग झींगा तालाबों से परभक्षी और प्रतिस्पर्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। जल किसानों के यह सराहनीय होगा कि वे इस प्रयोजन के लिए जैविक रूप से सड़ सकने वाले जैव पादपों के रसों का ही उपयोग करें क्योंकि ये रसायनिक एजेंटों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। रसायनिक मत्स्यनाशकों के उपयोग से बचना चाहिए।
- 11.6 *रसायनिक चिकित्सा के सामान (कैमोथेरापियुटेन्ट्स) का उपयोग:* रसायनिक चिकित्सा की कुछ वस्तुएं, जैसे कि फौरमेलिन और मालाचिट, जो संक्रमण नाशकों के रूप में आमतौर से प्रयोग की जाती हैं, विषाक्त होती हैं और इनसे तालाब पारिस्थितिकी प्रणाली, बाहरी जल आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा इसीलिए पालन प्रणाली में इनके उपयोग से बचना चाहिए।
- 11.7 *एंटीबायोटिक्स/औषधियों का उपयोग:* झींगा पालन में एंटीबायोटिक का उपयोग कड़ाई से निषेध है क्योंकि इनके उपयोग से ऐसी दवाइयों के प्रतिरोधी रोगजनक विकसित हो सकते हैं और इन रोगजनकों के मानव शरीर में अंतरित होने के परिणामस्वरूप मानव रोगजनकों में प्रतिरोध विकसित हो सकता है। अब तक झींगा पालन में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित 20 एंटीबायोटिक्स/औषधीय सक्रिय पदार्थों की सूची सारणी 4 में दी जाती है। यह प्रतिबंध समय-समय पर सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किए गए अन्य पदार्थों के लिए भी लागू होगा।

सारणी-5 झींगा जलकृषि में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स और अन्य औषधीय सक्रिय पदार्थ

क्रम संख्या	एंटीबायोटिक्स और अन्य औषधीय सक्रिय पदार्थ
1	क्लोरामफेनिकोल
2	नाइट्रोफुरेन्स: फ्यूरालटेडोन, फ्यूराजोलिडोन, फ्यूरीलफ्यूरामाइड, नाइट्रोफ्यूरेटेल निफुरोक्साइम, निफुराप्राजाइम, नाइट्रोफ्यूरेनटाइन, नाइट्रोफुरेजोन सहित
3	नियोमाइसिन
4	नेलिडाइक्सिक अम्ल
5	सल्फामेथोक्साजोल
6	एरिस्टोलोचिआ एस.पी.पी. और उसका सम्पाक
7	क्लोरोफोर्म
8	क्लोरप्रोमैजिन
9	कोलचिसाइन
10	डैपसोन
11	डाइमेट्रिडाजोल
12	मेट्रोनिडाजोल
13	रोनिडाजोल
14	इन्प्रानिडाजोल
15	अन्य नाइट्रोआइमीडाजोल्स
16	क्लेनबुटेरोल
17	डाईथीलस्टिलबेस्ट्रोल (डी.ई.एस.)
18	सुल्फोनामाइड औषधियां (अनुमोदित सुल्फाडाईमैथोक्साइन, सल्फाब्रोमोमेथाजाइन एंड सल्फाइथोजाईपाइरिडेजाइन को छोड़कर)
19	फ्लुरोक्विनोलोन्स
20	ग्लाइकोपेप्टिडेस

11.8 मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न एंटीबायोटिक्स और अन्य औषधीय सक्रिय पदार्थों के लिए अधिकतम अनुमेय अवशिष्ट स्तर इन दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं। झींगा किसानों और आदान-प्रदानकर्ताओं को इन निर्धारकों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए, जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

12.0 हारवेस्ट और पोस्ट – हारवेस्ट :

12.1 हारवेस्टिंग के दौरान अधिकतम प्रलंबित कणों के खुले जल में रिलीज हो जाने की संभावना होती है। अतः ऐसे रिलीज को रोकने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। किसानों को फसल की हारवेस्टिंग करते समय निम्नलिखित मानदंड अपनाने का परामर्श दिया जाता है :-

- तालाब को गुरुत्वाकर्षण द्वारा अथवा पम्प के जरिए पूर्णतया खाली करके हाथ से पकड़कर या जाल में फंसाकर हारवेस्टिंग की जा सकती है।
- हारवेस्टिंग के लिए निकाले गए पानी को कचरा स्थिरीकरण तालाब में भेजना चाहिए और इसे खुले पानी में रिलीज करने से पहले बैठने के लिए कुछ दिन रखना चाहिए।
- हारवेस्ट के तत्काल बाद बर्फ लगाना चाहिए।
- सामान्यतः प्रोसेस करने वाले/क्रेता फार्म स्थल से हारवेस्ट लेते हैं और इसे रेफरीजरेटिड वैन में ले जाते हैं। जब ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो और उत्पाद को लम्बी दूरी तक ले जाना है तब झींगे का सिर काट देना चाहिए और खराब होने से बचाने के लिए बर्फ में संग्रह करना चाहिए।

13.0 दूषित जल प्रबंधन :

13.1 झींगा तालाब के कचरे में मुख्यतः प्रलंबित ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें उपभोग न किया गया चारा, मल पदार्थ और प्लवक तथा घुलनशील पोषक तत्व जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट, फासफोरस, कार्बन डाइ आक्साइड, हाइड्रोजन सलफाइड शामिल होते हैं। पहले तत्व चारे और उर्वरकों की भौतिक गुणवत्ता का परिणाम होते हैं जबकि पोषक तत्व चारे के तत्वों तथा उर्वरकों के रासायनिक संघटक द्वारा प्रभावित होते हैं। झींगा तालाब के कचरे में पोषक तत्व और जैविक तत्व के निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना होती है:-

- ग्रहण करने वाले जल में आक्सीजन की घुली हुई कम मात्रा, इसका कारण घुली हुई कम आक्सीजन के दूषित जल को निकालना और घुले हुए तथा विविक्त जैविक पदार्थों और अन्य बेकार पदार्थों (बी.ओ.डी. और सी.ओ.डी.) का टूटना होता है;
- ग्रहण करने वाले जल का हाइपर नाइट्रिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक उत्पादकता (पादप प्लवक चमक के संभावित खतरे के साथ) बढ़ती है, जैविक समुदाय ढाचें और द्वितीयक उत्पादकता में परिवर्तन होता है; और
- जैविक पदार्थों के कारण तलछट बढ़ता है, जिससे उत्पादकता और नितलस्थ सामुदायिक ढाचें में परिवर्तन होता है तथा गाद जमने की संभावना होती है।

13.2 ऐसे प्रभाव बाहर निकाले जाने वाले दूषित जल की मात्रा और कचरा सामग्री को समाहित करने की पर्यावरण की क्षमता पर निर्भर करते हैं। अतः यह वांछनीय होता है कि पर्यावरण की कचरा सामग्री को स्वीकार करने की क्षमता के अनुसार इस भार को निकाला जाए। निम्नलिखित चेक लिस्ट से झींगा किसानों का जिम्मेदार कचरा प्रबंधन करने में और जल तथा भू-संसाधनों का संरक्षण करने में मार्गदर्शन होगा।

दूषित जल प्रबंधन के लिए चेक लिस्ट

- स्वतंत्र इनटेक और निकासी के साथ फार्म का उचित डिजाइन बनाने से पोषक तत्वों के भार में गिरावट आएगी।
- बंधों पर वनस्पति उगाकर उचित रूप से ठोस बनाया जाना चाहिए जिससे अपरदन में गिरावट आएगी।
- तालाब तैयार करने की उचित विधि से पोषक भार में गिरावट आएगी।
- पालन तालाब में उचित जल और मृदा गुणवत्ता प्रबंधन करने से दूषित जल में पोषक तत्वों के भार में गिरावट आएगी।
- जिम्मेदार चारा प्रबंधन से चारा बर्बादी में गिरावट आएगी।
- हारवेस्ट के दौरान तलछट के पुनः जमा होने से बचाव करके पानी की निकासी सावधानीपूर्वक करनी चाहिए।
- झींगा तालाब के दूषित जल को ताजे जल के क्षेत्र अथवा कृषि भूमि में नहीं निकालना चाहिए।
- तालाब की तली से तलछट निकालने से बचना चाहिए। इसमें स्वस्थान सुधार करना चाहिए।

- 13.3 झींगा फार्म और अंडज उत्पत्तिशालाओं से कचरे की सीधी निकासी से समुद्र तट के जल की गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है। कम मात्रा में रसायनों, सूक्ष्म जीवाणुओं और निवारित पदार्थों सहित घुले हुए और विविक्त पोषक तत्व तथा जैविक पदार्थ जल की गुणवत्ता में काफी सीमा तक परिवर्तन कर सकते हैं और इसलिए ऐसे कचरे को खुले पानी अथवा ड्रेनेज नाली में निकालने से पूर्व उचित रूप से उपचारित करना होगा। ऐसे दूषित जल का उपयोग द्वितीय जलकृषि परियोजनाओं, विशेषरूप से मुसेल्स, ओइस्टर, सीवीड, अन्य फिनफिशिज आदि के पालन के लिए भी किया जा सकता है। ऐसी एकीकृत परियोजना से दूषित जल की गुणवत्ता में सुधार करने, जैविक और पोषाहार हानि में कमी लाने तथा एक अतिरिक्त नकदी फसल का उत्पादन करने की संभावनाएं भी पैदा होंगी। दूषित जल के इस जैविक सुधार के अलावा ड्रेनेज नालियों के साथ सेटलमेंट/तलछट बनने के तालाबों का निर्माण भी किया जाए। ड्रेनेज नालियों का डिजाइन इस प्रकार बनाया जा सकता है कि वे इतनी चौड़ी हों कि तालाब से निकलने वाले पानी का प्रवाह पर्याप्त धीमा हो जाए ताकि इसमें मौजूद प्रलंबित ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाएं।
- 13.4 5 हैक्टेयर से बड़े फार्मों के लिए एफ्लुएंट उपचार प्रणाली (ई.टी.एस.) अनिवार्य होती है। तालाब के कुल क्षेत्रफल का कम से 10 प्रतिशत भाग ई.टी.एस. के लिए रखना चाहिए जिसका उपयोग द्वितीयक जलकृषि परियोजनाओं, विशेषरूप से मुसेल्स, ओइस्टर, सीवीड, अन्य फिनफिशिज आदि के पालन के लिए किया जा सकता है। ऐसी एकीकृत परियोजना से दूषित जल की गुणवत्ता में सुधार करने, जैविक और पोषाहार हानि में कमी लाने तथा एक अतिरिक्त नकदी फसल का उत्पादन करने की संभावनाएं भी पैदा होंगी।

- 13.5 सारणी-6 में दिए गए मानक जलकृषि प्रणाली, अंडज उत्पत्तिशालाओं, चारा मिलों और प्रोसेसिंग प्लांटों से निकलने वाले दूषित जल के लिए विहित किए जाते हैं। तथापि, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है।

सारणी-6 जलकृषि फार्मों, अंडज उत्पत्तिशालाओं, चारा मिलों और प्रोसेसिंग प्लांटों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार के मानक

क्र. सं.	पैरामीटर	अंतिम डिस्चार्ज स्थान	
		तटीय समुद्री जल	संकरी खाड़ी अथवा नदीमुख स्थल जब उसी स्थल जल का उपयोग स्रोत और निपटान स्थल के रूप में किया जाता है।
1	पी.एच.	6.0-8.5	6.0-8.5
2	सस्पेन्डेड सोलिड्स मिलीग्राम/लिटर	100	100
3	डिसोल्व्ड आक्सीजन मिलीग्राम/लिटर	3 से कम नहीं	3 से कम नहीं
4	फ्री अमोनिया (एन.एच. 3-एन) मिलीग्राम/लिटर	1.0	0.5
5	बायोकेमिकल आक्सीजन मांग-बी.ओ.डी. (20 सी. की दर से 5 दिन) अधिकतम मिलीग्राम/लिटर	50	20
6	केमिकल आक्सीजन मांग-सी.ओ.डी. मिलीग्राम/लिटर अधिकतम	100	75
7	घुला हुआ फास्फेट (फासफोरस के रूप में) मिलीग्राम/लिटर अधिकतम	0.4	0.2
8	कुल नाइट्रोजन (नाइट्रोजन के रूप में) मिलीग्राम/लिटर	2.0	2.0

- 13.6 तालाब की तली में जमी हुई तलछट को हटाने के बजाय हारवेस्टों के बीच तालाब को सूखने देना सराहनीय होता है। संभवतः यह विधि तलछट को अविवेकशील रूप से हटाने की तुलना में पर्यावरणीय रूप से कम नुकसानदेह है। यदि झींगा स्टॉक रखने का घनत्व कम (15 पी.एल. प्रति वर्ग मीटर से कम) रखा जाता है तो तलछट को हारवेस्टों के बीच तालाब की तली सूखाकर साधारण रूप से अच्छी हालत में रखा जा सकता है। तालाब के कीचड़ और मृदा की छीलन सहित फार्मों के ठोस कचरे का निपटान पानी में बहाकर नहीं किया जाना चाहिए। कचरे का निपटान पर्याप्त उपचार देने के बाद और इसे नालियों में बहाए बिना फार्म के परिसर के अंदर किया जाएगा।

14.0 फार्म की साफ-सफाई और प्रबंधन :

- 14.1 झींगा कृषि पद्धतियों का उद्देश्य तालाब के जिम्मेदार प्रचालनों और अच्छी प्रबंधन पद्धतियों के जरिए उपभोक्ताओं के लिए संदूषण मुक्त उत्पादों का उत्पादन करना है जिनसे मानव

स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले रासायनों, औषधियों और रोगजनकों के स्तर को रोका, समाप्त, अथवा उचित रूप से कम किया जा सके। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाने चाहिए।

- सभी कचरा सामग्री का निपटान सैनिटरी तरीके से करना चाहिए।
- जलकृषि के लिए स्थल की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में उन रसायनों, औषधियों और रोगजनकों का परीक्षण किया जाना शामिल होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और जिनकी स्थल पर मिलने की संभावना होती है।
- मानव तथा अन्य पशुओं से विषाक्त होने की संभावनाओं से बचना चाहिए तथा जन्तुबाधनाशकों, वनस्पतिनाशकों और औषधियों के अक्सर उपयोग तथा ईंधन तेल या किसी अन्य रासायनिक संदूषकों के पिछले संदूषण से बचना चाहिए।
- चारे में रासायनिक अथवा सूक्ष्म जैविक संदूषण नहीं होने चाहिए। बिना पके जीवाणुओं अथवा बिना पके जीवाणुओं से लिए गए पोषक तत्व को खिलाया जाना हतोत्साहित किया जाता है।
- झींगा उद्योग और व्यक्तिगत उत्पादकों को उन रोगजनकों, औषधियों और रासायनिक संदूषणों की सूची तैयार करने के लिए सरकार के साथ काम करना चाहिए जो मौजूदा अथवा संभावित रूप में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं तथा इन खतरों पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।
- झींगा कृषि स्थल पर अथवा इसके निकट किसी रासायनिक उत्पाद का उपयोग करते समय झींगा किसानों को मानव स्वास्थ्य के खतरे के बारे में उत्पाद के लेवल पर दी गई सूचना पर ध्यान देना चाहिए।
- पहचान किए गए रोग को नियंत्रित करने के लिए केवल आवश्यक होने पर ही अनुमोदित औषधियों अथवा अन्य रसायनों का उपयोग करना चाहिए।

15.0 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन :

- 15.1 40 हैक्टेयर से अधिक आकार की सभी जलकृषि यूनिटों द्वारा योजना बनाने की अवस्था पर ही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) किया जाना चाहिए। 10 हैक्टेयर और उससे अधिक के लिए विस्तृत योजना में एक विवरण दिया जाना अपेक्षित होगा। तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा गठित जिला/राज्य स्तरीय समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रस्ताव तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए संस्तुत करने से पूर्व जलकृषि यूनिटों द्वारा ऐसा ई.आई.ए. कर लिया गया है।

16.0 पर्यावरण मानीटरिंग और प्रबंधन योजना :

- 16.1 40 हैक्टेयर अथवा अधिक के निवल जल क्षेत्र वाली झींगा पालन यूनिटें निम्नलिखित क्षेत्र कवर करते हुए एक पर्यावरण मानीटरिंग योजना तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.एम.पी.) समाहित करेंगी :

- पास-पड़ोस के जल प्रवाहों पर प्रभाव।
- भू-जल गुणवत्ता पर प्रभाव।
- पेय जल स्रोत पर प्रभाव।
- कृषि गतिविधि पर प्रभाव।
- मृदा और मृदा के लवणीकरण पर प्रभाव।
- दूषित जल उपचार।
- हरित पट्टिका का विकास (स्थानीय प्राधिकारियों की विनिर्दिष्टियों के अनुसार) और
- 10 हैक्टेयर अथवा उससे अधिक के लेकिन 40 हैक्टेयर से छोटे सभी फार्म उपर्युक्त पहलुओं के संबंध में विस्तृत सूचना भेजेंगे।

17.0 समूह प्रबंधन, रिकार्ड का रखरखाव और नेटवर्किंग :

17.1 सामाजिक टकराव से बचने की जागरूकता मौजूद होनी चाहिए और सभी हितधारकों को मिलकर आम समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए तथा उचित प्रबंधन उपाय अपनाने चाहिए ताकि टकराव से बचा जा सके और कृषि प्रणाली की सततता बढ़ाई जा सके।

17.2 किसान एसोशिएसन और स्व-सहायता समूह: झींगा किसानों को प्रौद्योगिकी का विनिमय करने और जल उपयोग तथा कचरा प्रबंधन में सहयोग हासिल करने के लिए सहकारी समितियां, एसोशिएसन अथवा स्व-सहायता समूह बनाने चाहिए। झींगा पालन तकनीकों में भी लगातार सुधार हो रहा है और यह बात महत्वपूर्ण है कि झींगा किसान सतत कृषि तकनीकों के अपने ज्ञान को बढ़ाना जारी रखें।

छोटे किसानों को आदानों की आपूर्ति की सुविधा, समकालिक कृषि प्रचालनों, बीज और चारा गुणवत्ता की मानीटरिंग करने के लिए आम जरूरतों, झींगा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल गुणवत्ता, उत्पाद की बिक्री करने के लिए तथा ऋण जुटाने एवं फसल का बीमा करने के लिए ऐसी सहकारी समितियों अथवा स्व-सहायता समूहों/एसोशिएसनों का गठन करके लाभ उठाना चाहिए। राज्य/जिले में झींगा किसान एसोशिएसन के शीर्ष निकाय का गठन करना सहायक होगा, विशेषरूप से ऋण देने वाली एजेंसियों के साथ बातचीत करने और अन्य प्रमुख संगठनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए सहायक होगा।

17.3 किसानों के लिए नियमित विस्तार कार्य और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। व्यक्तिगत किसानों और स्व-सहायता समूहों/एसोशिएसनों को राज्य मत्स्य विभाग में विस्तार कर्मचारियों, एम.पी.ई.डी.ए., आई.सी.ए.आ.संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों, जैसा भी मामला हो, के साथ बातचीत करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि छोटे किसानों को सहायता मिल सके।

मत्स्य कार्मिकों, विस्तार कर्मचारियों, जलकृषि किसानों और जो लोग सतत जलकृषि की योजना बनाने और प्रचालन चलाने से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं उनके बीच तकनीकी ज्ञान और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए झींगा किसानों और कर्मचारियों के विस्तार कार्य तथा प्रशिक्षण के जरिए उचित जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए।

- 17.4 पद्धतियों और फार्म के लेखों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने की सुविधा करने के लिए झींगा किसानों/स्व-सहायता समूहों को राज्य मत्स्य विभाग के साथ आंकड़े एकत्र, संगठित और इनका मूल्यांकन करने के लिए सहयोग करना चाहिए ताकि दिशा-निर्देश अपनाना प्रदर्शित किया जा सके और इनके उपयोग के लाभ का दस्तावेज बनाया जा सके तथा अन्य सांख्यिकी प्रयोजन पूरे हो सकें।
- 17.5 किसानों को स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर झींगा किसान सूचना नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। झींगा किसानों को देश तथा अन्यत्र में झींगा कृषि में हो रहे विभिन्न विकासों को भी देखना चाहिए। उपलब्ध जलकृषि नेटवर्कों का उपयोग झींगा किसानों/समूहों को अपने ज्ञान और दक्षता में सुधार करने तथा अद्यतन विकास और बाजार प्रवृत्ति जानने के लिए करना चाहिए।

18.0 एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन :

- 18.1 तटीय राज्यों के लिए संबंधित राज्यों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए जोन बनाकर और बफर जोन बनाकर एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। यह कार्य आरंभिक अवस्था में एक रोलिंग योजना (गतिशील) हो सकता है ताकि अन्य क्षेत्रों के साथ जलकृषि की स्थल विशेष बातचीत पर उन्नत डाटाबेस तथा ज्ञान के साथ वार्षिक अथवा द्विवार्षिक रूप से सुधार प्रभावी किया जा सकें।
- 18.2 रिमोट सेंसिंग डाटा, भू-स्तरीय सत्यता के प्रमाणीकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का उपयोग करके जल कृषि के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त भूमि अलग करके संभावित क्षेत्रों का मैक्रो और माइक्रो स्तर पर सर्वेक्षण करके तथा तटीय क्षेत्रों के जोन बनाकर जलकृषि के विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में झींगा तालाब का घनत्व अथवा तालाब का जल सतह क्षेत्र (डब्ल्यू.एस.ए.) पारिस्थितिकी प्रणाली की रखरखाव क्षमता से अधिक है, जिन्हें ग्रहण करने वाले जल की समाहित करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, वहां तालाब घनत्व में गिरावट और इस प्रकार समग्र डब्ल्यू.एस.ए. में गिरावट को प्रभावी करना चाहिए।

19.0 विभिन्न तटीय समुदायों की जीविका का संरक्षण :

- 19.1 तटीय जलकृषि, जो अब मुख्यतः झींगा कृषि तक सीमित है, तटीय समुदायों के तटीय क्षेत्रों में चलाई जाने वाली अनेक गतिविधियों में से एक है। तटीय क्षेत्रों में अधिकांश सामाजिक टकराव सीमित संसाधनों पर अधिक मांग होने के कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न हितधारकों में प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें संसाधनों का मेल-मिलाप से उपयोग करके तटीय समुदायों ने एकीकृत तटीय विकास के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

19.2 झींगा फार्मों की खराब योजना और अनियमित प्रचालन, जैसा कि पहले दर्शाया गया है, फार्मों के क्षेत्र में समुदायों और अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों के बीच पर्याप्त स्तर तक परिहार्य टकराव उत्पन्न कर सकते हैं। झींगा किसानों और अन्य, जो या तो तटीय जोन में रहते हैं अथवा अपनी जीविका के लिए तटीय जोन के संसाधनों पर निर्भर हैं, के बीच भी टकराव हो सकता है तथा झींगा फार्म स्वामियों/प्रबंधकों और कर्मचारियों, विशेषरूप से बड़े फार्मों के मामले में इनके बीच भी टकराव हो सकता है। कुछ और गंभीर अंतरक्षेत्रीय समस्याओं को निम्निलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाकर समग्र शासन और नियमन में दूर किया जाएगा :-

- झींगा फार्म के स्वामियों/प्रबंधकों को सामुदायिक अधिकारों और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए और यदि कोई टकराव होता है तो समुदाय में शांति सुनिश्चित करने तथा झींगा फार्मों की सततता सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं को हल करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। उन्हें समुदाय तथा तटीय संसाधनों के अन्य क्षेत्रीय उपयोगकर्ताओं के साथ पर्यावरणीय परिस्थितिकी और समुदाय कल्याण में सुधार करने के लिए आम प्रयास करने में सहयोग करना चाहिए।
- किसान, विशेषरूप से बड़े किसानों को जहां तक संभव हो, स्थानीय कर्मकारों को रोजगार देना चाहिए।
- कर्मकारों के लिए अच्छी कार्य स्थितियां प्रदान करनी चाहिए और उनकी दक्षता के उन्नयन के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी देना चाहिए।
- जलकृषि यूनिटों द्वारा तटीय समुदायों के लिए समुद्र तट तथा अन्य आम संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र में समुदायों और संगठनों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए।
- यह देखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि प्राकृतिक निकासी नहर, जिनका उपयोग जलकृषि यूनिटों के लिए जल स्रोत के रूप में किया जा सकता है, में रुकावट न हो ताकि निचले क्षेत्रों और ग्रामों में बाढ़ न आए।
- कृषि भूमि, ग्राम और झींगा फार्मों के बीच उपयुक्त बफर जोन प्रदान करके भूमि और पेय जल की लवणता से बचाव करना चाहिए।
- संकरी नदी, नहर आदि जैसी आम संपदा का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से तटवर्ती समुदायों के परंपरागत हित प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- भूजल के लवणीकरण की समस्या से बचने के लिए झींगा जलकृषि के लिए भूजल की निकासी कड़ाई से निषेध है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लवणता प्रवेश की मानीटरिंग करने के लिए अधिमानत 4/ हैक्टेयर के दाब मापी/भूजल मानीटरिंग बोर वेल (तालाब की चारदीवारी के साथ-साथ) स्थापित किए जाते हैं। यदि लवणता बढ़ती है तो तटीय जलकृषि प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि तत्काल फार्म बंद कर दिया जाए।

परिशिष्ट
(नियम 3 देखें)

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए अधिकतम अनुमेय अवशिष्ट स्तर

पदार्थ	अधिकतम अनुमेय अवशिष्ट स्तर (पी.पी.एम. में)
क. एंटीबायोटिक्स और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ	
1. क्लोरामफेनिकोल	शून्य
2. नाइट्रोफुरेन्स: फ्यूरालटेडोन, फ्यूराजोलिडोन, फ्यूरीलफ्यूरामाइड, नाइफ्यूरेटेल निफुरोक्साइम, निफुराप्राजाइम, नाइट्रोफ्यूरेनटाइन, नाइट्रोफुरेजोन सहित	शून्य
3. नियोमाइसिन	शून्य
4. नेलिडाइक्सिक अम्ल	शून्य
5. सल्फामेथोक्साजोल	शून्य
6. एरिस्टोलोचिआ एस.पी.पी. और उसका सम्पाक	शून्य
7. क्लोरोफोर्म	शून्य
8. क्लोरप्रोमैजिन	शून्य
9. कोलचिसाइन	शून्य
10. डैपसोन	शून्य
11. डाइमेट्रिडाजोल	शून्य
12. मेट्रोनिडाजोल	शून्य
13. रोनिडाजोल	शून्य
14. इन्प्रानिडाजोल	शून्य
15. अन्य नाइट्रोआइमीडाजोल्स	शून्य
16. क्लेनबुटेरोल	शून्य
17. डाईथीलस्टिलबेस्ट्रोल (डी.ई.एस.)	शून्य
18. सुल्फोनामाइड औषधियां (अनुमोदित सुल्फाडाईमैथोक्साइन, सल्फाब्रोमोमैथाजाइन एंड सल्फाइथोजाईपाइरिडेजाइन को छोड़कर)	शून्य
19. फ्लुरोक्विनोलोन्स	शून्य
20. ग्लाइकोपेप्टिडेस	शून्य
21. टेट्रासाइक्लीन	0.1
22. ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन	0.1
23. ट्रिमेथोप्रिम	0.05
24. ऑक्सोलोनिक अम्ल	0.3

पदार्थ	अधिकतम अनुमेय अवशिष्ट स्तर (पी.पी.एम. में)
ख. उपचयी प्रभाव वाले पदार्थ और अनधिकृत पदार्थ	
1. स्टिलबेनिस, स्टिलबेनि डेरिवेटिक्स और उनके साल्ट्स तथा इस्टर्स	शून्य
2. स्टिरोइड्स	शून्य
ग. पशु चिकित्सा की औधषियां	
1. क्युनोलोन्स सहित एंटीबैक्टिरियल पदार्थ	शून्य
2. एंटी हेल्मिन्थिक	शून्य
घ. अन्य पदार्थ और पर्यावरणीय संदूषक	
1. पी.सी.बी.एस. सहित ओरगानोक्लोरोन यौगिक	शून्य
2. माइकोटोक्सिन्स	शून्य
3. रंजक	शून्य
4. डाइऑक्सिन्स	4 पिकोग्राम प्रति ग्राम, शुद्ध वजन
ङ. जन्तुबाधनाशी	
1. बी.एच.सी.	0.3
2. एल्ड्रिन	0.3
3. डाइलड्रिन	0.3
4. इन्ड्रिन	0.3
5. डी.डी.टी.	5.0
च. भारी धातु	
1. पारा	1.0
2. कैडमियम	3.0
3. अरसेनिक	75
4. शीशा	1.5
5. टिन	250
6. निकल	80
7. क्रोमियम	12

1 अनुबंध-11**लाइटोपिनियस वेन्नामई की शुरुआत के लिए हैचरियों तथा फार्मों को विनियमित करने के संबंध में दिशानिर्देश**

तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

भाग I**हैचरियों के प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक और विनियम****1. वेन्नामई के प्रजनन के अनुप्रयोग के लिए मापदण्ड :**

² [(1) जलकृषि प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट वांछित जैव सुरक्षा सुविधाओं वाली बीज उत्पादन से जुड़ी अथवा जुड़ने का इरादा रखने वाली हैचरियाँ तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन और इसके तहत बनाए गए नियमों और व्यस्क ब्रूडस्टाक के पालन के लिए एल. वेन्नामई के स्पेसिफिक पैथेजीन मुक्त (एसपीएफ) के ब्रूडस्टाक अथवा एसपीएफ किशोरों (10 ग्राम तक) को पालकर व्यस्क बनाने के लिए आयात करने और एल. वेन्नामई का उत्पादन करने और एल. वेन्नामई के पोस्ट लार्वा बेचने के पात्र होंगे।]

(2) एल. वेन्नामई के पालन के लिए हैचरियों का अनुमोदन तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के विधिवत निरीक्षण के पश्चात दिया जाएगा।

(3) हैचरी सुविधाएं पूरी से जैव सुरक्षा के अनुकूल होंगी - विभिन्न प्रकार की उत्पादन सुविधाओं का वास्तविक पृथकीकरण/अलगाव एक अच्छी हैचरी डिजाईन का गुण है। बिना वास्तविक अलगाव के मौजूदा हैचरियों में, प्रभावकारी अलगाव को बैरियर के निर्माण तथा प्रक्रिया के क्रियान्वयन एवं उत्पाद फ्लो नियंत्रण के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

(4) पशुओं तथा अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी सुविधाओं को चारों ओर पर्याप्त उंचाई वाली दीवार अथवा बाढ़ से घेरना चाहिए। इससे इस रूट द्वारा पैथोजन के प्रवेश के जोखिम को कम करने में सहायता मिलने के साथ-साथ पूरी तरह से सुरक्षा बेहतर हो सकेगी।

2. स्वच्छता अपेक्षाएं :

(1) हैचरी में प्रवेश को केवल उन्हीं कार्मिकों तक सीमित रखा जाए जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और सुरक्षा कार्मिक द्वारा इस क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में रिकार्ड रखना चाहिए।

(2) हैचरी स्टाफ को शावर अथवा ड्रेसिंग रूम के जरिए प्रवेश करना चाहिए, जहां वे अपने रास्ते वाले कपड़े उतारकर नहाएंगे फिर दूसरे कमरे में पहुंचकर वे काम करने वाले कपड़े और जूते पहनेंगे। काम करने की शिफ्ट के बाद इस कार्य को उल्टे क्रम में किया जाएगा।

1. सा.का.नि. 302(अ) दिनांक 30.4.2009 द्वारा शामिल

2. सा.का.नि. 280(अ) दिनांक 23.3.2012 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) यहां पर वाहन के टायरों (गेट के पास टायरों को धोना) पैरों (हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन > 50 पी.पी.एम. सक्रिय अवयव), और हाथों {(आयोडीन – पी.वी.पी. (20 पी.पी.एम. तथा/अथवा 70% अल्कोहल की बोटल)} को संक्रमण मुक्त करने के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए जिसका उपयोग यूनिट में प्रवेश एवं निकास के समय किया जाएगा।

3. जल ग्रहण :

(1) हैचरी की प्रत्येक कार्यरत यूनिट के पास अपनी जल उपचार सुविधा होनी चाहिए और इस अन्य जल आपूर्ति प्रणाली से अलग होना चाहिए। जल के उपयोग को कम करने तथा जैव सुरक्षा में सुधार, विशेषकर उच्च जोखिम के क्षेत्रों में हैचरी की प्रत्येक कार्यरत यूनिट के उपयोग के लिए अलग पुनः परिचालन प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।

(2) स्रोत जल में मौजूद वैक्टर तथा पैथोजन के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी के जल को छान कर किया जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा। इसे अर्द्ध रेत वाले कुएं, रेत फिल्टर (ग्रेवटी अथवा दबाव), मैश बैग फिल्टरों को पहले जलाशय अथवा सैटलिंग टैंक में डालकर शुरुआत में प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरिनेशन द्वारा प्राथमिक विसंक्रमित करने और ठहराव के बाद, पानी को बारीक फिल्टर से दोबारा साफ किया जाना चाहिए और उसके बाद अल्ट्रावायल्ट प्रकाश (यूवी) और/ओजोन का प्रयोग करके विसंक्रमित किया जाए।

(3) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टरों, ऐथेलिन डायामीन ट्रेटा एसिटिक एसिड (ईडीटीए) तथा तापमान एवं खारापन नियमन के उपयोग को शामिल किया जा सकता है।

4. जल उपचार तथा अपशिष्ट की निकासी :

(1) हैचरी से निकले हुए पानी को अस्थायी तौर पर रोका जाए और उसका उपचार हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (> 20 पी.पी.एम. सक्रिय क्लोरीन जोकि 60 मिनट से कम न हो) अथवा अन्य प्रभावी विसंक्रमक से किया जाए। यह विशेष रूप से वहां महत्वपूर्ण होगा जहां पर पानी उसी स्थान पर छोड़ा जाता है जहां से उसे निकाला जाता है।

(2) सुविधा में प्रयोग होने वाले समुद्री जल को भंडारण टैंक में अवश्य भेजा जाना चाहिए जहां पर इसका हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (20 पी.पी.एम. सक्रिय अवयव को 30 मिनट से कम नहीं) के साथ उपचार किया जाएगा। इसके बाद इसका उपचार सोडियम थायोसल्फेट (अपशिष्ट क्लोरीन के प्रत्येक पीपीएम के लए 1 पी.पी.एम.) तथा प्रबल एयरेशन के साथ किया जाएगा।

(3) अपशिष्ट जल के बिना क्लोरीनेशन तथा डिक्लोरीनेशन के हैचरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, विशेषकर प्राकृतिक जल में लार्वा के पलायन को रोकना चाहिए। इस प्रावधान को शामिल करने के लिए निस्सारी उपचार प्रणाली (ईटीएस) का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए।

5. उपकरणों को विसंक्रमित कराना :

(1) प्रयुक्त बर्तनों तथा होजों को साफ किया जाना चाहिए तथा उन्हें और आगे प्रयोग से पहले हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (20 पी.पी.एम.) से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

(2) ब्रूडस्टॉक रखने वाले प्रत्येक टैंक के लिए उपकरणों का एक अलग सैट होना चाहिए जिस पर स्पष्ट रूप से निशान लगाया जाना चाहिए तथा उसे टैंक के नजदीक रखना चाहिए। प्रत्येक दिन के अंत में भी उपकरणों को विसंक्रमित करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

1[5. क. संगरोध :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए संगरोध कार्यवाही को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 91) की धारा 3 के उपखंड (1) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) में प्रकाशित 15 अक्तूबर, 2008 के एस.ओ. 2482 (ई) के तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार संकलित किया जाएगा।]

6. हैचरी में ब्रूडस्टाक :

- (1) केवल संगरोध के जरिए अनुमोदित एसपीएक ब्रूडस्टाक को ही हैचरी में बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (2) तालाब में पाले गए ब्रूडस्टाक का उपयोग कड़ाई से प्रतिबंधित है।
- (3) एल. वेन्नामई बीज उत्पादन में लगी हैचरियों के हैचरी परिसर को अन्य प्रजातियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

7. बीज उत्पादन तथा उसकी बिक्री :

- ²[(1) नौपली केवल उन्हीं हैचरियों को बेची जाएगी जिन्हें प्राधिकरण द्वारा उचित जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज के पालन की अनुमति दी गई है। बिक्री के उद्देश्य से नौपली का पीएल चरण तक पालन करने वाले हैचरियों को प्राप्त और बेचे गए नौपली और उत्पादित पीएल की संख्या का रिकार्ड रखना चाहिए और उसे प्राधिकरण के समक्ष नियमित तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर उन हैचरियों को भविष्य में नौपली प्राप्त करने के लिए मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।]
- (2) पोस्ट लार्वा केवल उन मत्स्यपालक को बेचा जाना चाहिए जो तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के साथ विशेषकर एल. वेन्नामई के पालन के लिए पंजीकृत हैं। हैचरी चलाने वाले को जांच के लिए सीएए द्वारा जारी प्रमाणापत्र की प्रति रखनी होगी।
- (3) खरीददार अथवा मत्स्यपालक के नाम तथा पते सहित बीज उत्पादन के साथ-साथ बिक्री का विस्तृत ब्यौरा रखना होगा।

8. रोग की सूचना देना तथा रिकार्ड रखना :

- (1) हैचरी में किसी भी प्रकार की बीमारी के प्रकोप को तत्काल तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

1. सा.का.नि.280(अ) दिनांक 23.3.2012 द्वारा जोड़ा गया
2. सा.का.नि.280(अ) दिनांक 23.3.2012 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

- (2) हैचरियों को आयातित ब्रूडस्टॉक का रिकार्ड रखना होगा जिसमें स्रोत, आयातित मात्रा, मृत्यु की संख्या, उत्पादित अंडों, उत्पादित नौपली, उत्पादित पोस्ट लार्वा, बिक्री किए गए पीएल, उस किसान का नाम तथा पता जिसे बेचा गया है, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण एवं अनुमति प्रमाणपत्र की तारीख एवं संख्या शामिल होगा। इसका ब्यौरा फार्म-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार तिमाही अनुपालन रिपोर्टों में तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

9. निरीक्षण :

ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन तथा बिक्री की स्थिति को जांचने के लिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण का प्राधिकृत कार्मिक समय-समय पर दौरा करेगा।

10. बैंक गारंटी :

अनुमोदित हैचरियां उनके द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करेंगी तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में बैंक गारंटी को जब्त किया जाएगा।

भाग II

फार्मों के अनुमोदन तथा प्रचालन के लिए मानक तथा विनियम

1. फार्मों के लिए पात्रता मानदंड :

¹[(1) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जलकृषि कृषकों द्वारा एल. वेन्नामई पालन की अनुमति के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

बशर्ते कि गैर पंजीकृत कृषकों द्वारा एल. वेन्नामई पालन के उनके उद्देश्य को दर्शाते हुए पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाए और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाए।]

²[(2) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत जांच दल फार्म की जांच करेगा और एल. वेन्नामई के पालन के लिए सुविधाओं की उपयुक्तता के संबंध में उनकी सिफारिशों के आधार पर, एल. वेन्नामई के पालन के लिए फार्मों को अनुमति जारी करने के लिए प्राधिकरण के विचार के लिए सदस्य सचिव द्वारा आवेदनों को देखा जाएगा।]

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का. नि. 740(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 के तहत प्रकाशित हुई थी तथा इसके बाद सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 30, अप्रैल, 2009 के तहत संशोधन किया गया था।

1. सा.का.नि. 280(अ) दिनांक 23.3.2012 द्वारा प्रतिस्थापित
2. सा.का.नि. 914(अ) दिनांक 18.12.2009 द्वारा प्रतिस्थापित

- (3) फार्मों द्वारा बाड़ लगाना, जलाशय, पक्षी डरावा, प्रत्येक तालाबों के लिए अलग साधन इत्यादि जैसे पर्याप्त जैव-सुरक्षा उपाय अवश्य स्थापित किए जाए। फार्म का प्रबन्धन ऐसे कार्मिकों द्वारा किया जाए जो जैव-सुरक्षा उपायों के प्रबन्धन में प्रशिक्षित तथा/या अनुभवी हों।
- (4) किसी भी आकार के फार्म में अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएस) शामिल होनी चाहिए। चूंकि फसल कटाई के समय निलम्बित ठोस अपशिष्टों का बोझ पर्यावरण पर सर्वाधिक होता है, अतः अपशिष्ट उपचार प्रणाली के दौरान छोड़े गए पानी को सम्भालने के लिए सक्षम होनी चाहिए। अपशिष्ट उपचार प्रणाली के आकार के अनुसार चरणबद्ध होनी चाहिए। अपशिष्ट जल की गुणवत्ता तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

2. जल निकासी प्रोटोकॉल :

- (1) रोग की घटना होने के मामलों में, फसल के खराब होने पर मात्र जाल के माध्यम से फसल प्राप्ति की अनुमति दी जाएगी और जलनिकासी में पानी छोड़ने से पहले उसे क्लोरीनयुक्त और क्लोरीनमुक्त किया जाए।
- (2) अवशेष पानी को अपशिष्ट उपचार प्रणाली में कम से कम 2 दिनों तक रखा जाए।
- (3) जिन फार्मों द्वारा शून्य जल विनियम प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उन्हें भी एल. वेन्नामई पालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा,

3. जैव सुरक्षा संबंधी विचारणीय बिंदु :

- (1) ऐसे मामलों में जहां निकटवर्ती फार्मों में स्थानीय प्रजातियों का पालन हो रहा है, जो गैर-एसपीएफ है वहां एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वेन्नामई भारत में पिनीयस मोनोडान में पाए गए सभी वायरल पेथोजेन के लिए संवेदनाशील है।
¹[(2) एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदित फार्मों को उसी फार्म में एक साथ किसी अन्य क्रास्टेशियन प्रजातियों के पालन के लिए अनुमति नहीं दी जाए।
- (3) एक प्रजाति से अन्य प्रजाति और उलटे क्रम से बीच में पर्याप्त सूखा काल होनी चाहिए, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार तालाब की तैयारी के दौरान पर्याप्त सूखा काल होना चाहिए।]

4. एल. वेन्नामई के पालन के लिए मानक :

- (1) परीक्षित और प्रमाणित बीज मात्र उन हेचरियों से प्राप्त किए जाए जो वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात और/या वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए प्राधिकृत हैं।
- (2) स्टार्किंग घनत्व प्रति वर्ग मीटर 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (3) अपशिष्ट जल मानकों के लिए कड़ाई से अनुपालन करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा प्रत्येक मामले में तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विनियमों के तहत बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।

5. फार्मों में रिकार्ड का रख-रखाव :

- (1) मत्स्यपालकों द्वारा हैचरियों के नाम और पते, जहाँ से उन्होंने बीज की खरीद की थी, खरीद की गई मात्रा, संख्या और हैचारियों के मान्य पंजीकरण की तारीख का विस्तृत रिकार्ड रखा जाए।
- (2) पालकों द्वारा उत्पादित एवं बिक्री की गई झींगों की मात्रा, और उस प्रसंस्करण कर्ता का नाम और पता जिसको बिक्री किया गया, का रिकार्ड रखा जाए और फार्म -V में दी गई प्रपत्र के अनुसार तिमाही अनुपालन रिपोर्ट के जरिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को इसकी सूचना दी जाए।

¹6. अप्राधिकृत स्टाक को नष्ट करने की शक्ति :

प्राधिकरण के निरीक्षण दल द्वारा फार्म या हैचरियों के निरीक्षण के दौरान, यदि किसी प्रकार का अप्राधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन या पालन करते हुए पाया जाता है, निरीक्षण दल ऐसे स्टाक को ऐसी किसी भी प्रक्रिया से नष्ट कर सकते हैं जैसा वे उपयुक्त महसूस करें।

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 740(ई), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 और तदुपरान्त सा.का.नि. 302(ई), दिनांक 30 अप्रैल, 2009 और सा.का.नि. 914(ई), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को संशोधित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

फार्म IV

[कृपया, दिशा-निर्देश देखें {अनुबंध-II, भाग-I, 8(2)}]

हैचरियों के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :

1. नाम तथा पता
2. पंजीकरण तथा आयात अनुमति प्रमाणपत्र की तारीख एवं संख्या
3. आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर एवं मादा
4. परिवहन के दौरान मृत्यु
5. संगरोध के दौरान मृत्यु
6. अंडजनन की कुल संख्या
7. उत्पादित अंडों की कुल संख्या
8. उत्पादित नौपली की कुल संख्या
9. उत्पादित पोस्ट लार्वा (पीएल) की कुल संख्या
10. सामान्य जलीय स्वास्थ्य निगरानी तथा किसी भी प्रकार की असामान्य मृत्यु की रिपोर्ट
11. किसानों को बेचे गए पोस्ट लार्वा (पीएल) की कुल संख्या
12. उन किसानों का ब्यौरा जिनको बेचे गए (इसमें नाम, पता, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए एल वेन्नामई पालन के लिए अनुमति पत्र की पंजीकरण संख्या तथा उसकी प्रति।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फार्म V

[कृपया, दिशा-निर्देश देखें {अनुबंध-II, भाग-I, 5(2)}]

फार्मों के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :

1. नाम और पता
2. तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख और संख्या
3. एल. वेन्नामई पालन के लिए सी ए ए से प्राप्त अनुमति पत्र की तारीख और संख्या
4. खरीद की गई पोस्टलार्वा की संख्या
5. हैचरी का नाम और पता
6. हैचरी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख
7. हैचरी से पत्र जिसमें पालकों को बेचे गए पी एल की संख्या का उल्लेख किया गया हो
8. कुल स्टॉक की संख्या
9. कुल फसल का वजन
10. फसल के समय औसत आकार
11. पालन किए गए दिनों की संख्या
12. (अपशिष्ट उपचार प्रणाली आकार के अनुसार) की गई चरणबद्ध उगाही कटाई का विवरण
13. तारीख जब निरीक्षण समिति द्वारा दौरा कर नमूना एकत्र किया गया था

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

1[अनुबंध-III]

तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के उप-खण्ड (2) के साथ पठित खंड (क) के साथ धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

1. (1) इन नियमों को तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में अनुबंध-2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंध को अंत में जोड़ा जाए, नामतः :-

विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) पीनियस मोनोडान बीज उत्पादन और पालन के लिए दिशानिर्देश

क. ब्रूडस्टाक पालन/न्यूक्लीयर प्रजनन सुविधा की विशिष्ट पैथोजेन मुक्त स्थिति

(1) ब्रूड स्टॉक पालन सुविधा या न्यूक्लियस प्रजनन केन्द्र (एनबीसी) में रखे गए झींगों के रोग की स्थिति नकारात्मक की पुष्टि होनी चाहिए, जिसे कम से कम विगत दो वर्षों के लिए निगरानी कार्यक्रम की गई हो।

(2) विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) का अर्थ है कि सुविधाएं, प्रचालन और जन्तु विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध पैथोजेन (ओआईई (पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन) द्वारा सूचीबद्ध वायरस और नेक्रोटाईजिंग हेपेटोपेंक्रियाटाइटिस बैक्टीरियम (एनएचपीबी) से मुक्त हैं; और विशिष्ट पैथोजेन मुक्त स्टॉक उत्पादन सुविधा सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा विशिष्ट पैथोजेन मुक्त स्थिति के लिए भी प्रमाणित किया गया हो।

ख. संगरोध

(1) हैचरियों द्वारा आयातित किए गए ब्रूडस्टॉक में पालन करने के उद्देश्य से पास्ट लार्वा (पीएल) सहित सभी ब्रूडस्टॉक का संगरोध होना है। यह अपेक्षाएं देश में लाए जा रहे सभी स्टॉक पर लागू हैं, चाहे वे भारतीय क्षेत्र के द्वीपसमूहों से मुख्य भूमि में लाए जा रहे हों।

(2) पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 की एस.ओ. 2482(ई) के तहत अधिसूचित विशिष्ट पैथोजेन मुक्त एल.वेन्नामई के आयात के लिए निर्धारित सभी संगरोध दिशानिर्देश जिसमें जैव सुरक्षा अपेक्षाएं, सीमा-पूर्व संगरोध अपेक्षाएं, संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणमुक्त प्रक्रिया आदि शामिल हैं, समय-समय पर किए संशोधनों सहित विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान के मामले में भी लागू होंगे।

ग. आयात परमिट एवं पत्तन प्रवेश

(1) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), (केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), चेन्नई, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एनएफडीबी), हैदराबाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पेडा), कोची और अखिल भारतीय झींगा हैचरी संघ के परामर्श से) आयात किए जा रहे विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी.मोनोडान ब्रूडस्टाक की वार्षिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेगा और पात्र हैचरियों को इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

(2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग और केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) से प्रतिनिधियों द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति, सुविधाओं के एसपीएफ प्रमाणीकरण, आनुवंशिक आधार और रोग मुक्त स्थिति आधार पर एसपीएफ पी. मोनोडान आपूर्तिकर्ताओं की लघुसूची तैयार करेंगे और मात्र ऐसी आपूर्तिकर्ताओं से ही एसपीएफ पी. मोनोडान के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(3) पी. मोनोडान के विशिष्ट पैथोजेन मुक्त ब्रूडस्टाक के आयात के लिए निर्धारित पत्तन चेन्नई हैं।

(4) स्वदेशी विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान ब्रूडस्टाक के आपूर्तिकर्ताओं को भी तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा सुविधाओं और कार्यक्रम के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

घ. एसपीएफ पी. मोनोडान के लिए हैचरियों के प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक और विनियम

1. विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) पी. मोनोडान के प्रजनन हेतु आवेदन के लिए मापदण्ड :

(1) झींगा बीज के उत्पादन में लगी अथवा इसके उत्पादन की इच्छुक हैचरियों जिनमें तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यक जैव सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के पास विधिवत पंजीकरण एवं विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी.मोनोडान ब्रूडस्टाक आयात करने या इसे स्वदेशी विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान स्रोत से प्राप्त करने और विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी.मोनोडान के पोस्ट लार्वा का उत्पादन करने और उनकी बिक्री करने की अनुमति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

(2) विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान के पालन के लिए हैचरियों का अनुमोदन तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के विधिवत निरीक्षण के पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा।

(3) हैचरी सुविधाएं पूरी तरह से जैव सुरक्षा के अनुकूल होंगी - विभिन्न प्रकार की उत्पादन सुविधाओं का वास्तविक पृथकीकरण/अलगाव किया जाए जो कि इसके लिए एक अच्छी हैचरी डिजाईन का गुण हैं। बिना वास्तविक अलगाव के मौजूदा हैचरियों में, प्रभावकारी अलगाव को बैरियर के निर्माण तथा प्रक्रिया के क्रियान्वयन एवं उत्पाद फलो नियंत्रण के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

(4) पशुओं तथा अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी सुविधाओं को चारों ओर पर्याप्त ऊंचाई वाली दीवार अथवा बाढ़ से घेरना चाहिए। इससे इस रूट द्वारा पैथोजेन के प्रवेश के जोखिम को कम करने में सहायता मिलने के साथ-साथ पूरी तरह से सुरक्षा बेहतर हो सकेगी।

2. स्वच्छता अपेक्षाएं :

(1) हैचरी में प्रवेश को केवल उन्हीं कार्मिकों तक सीमित रख जाए जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और सुरक्षा कार्मिक द्वारा इस क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में रिकार्ड रखना चाहिए।

(2) हैचरी स्टाफ को शावर अथवा ड्रेसिंग रूम के जरिए प्रवेश करना चाहिए, जहां वे अपने रास्ते वाले कपड़े उतारकर प्रवेश से पहले नहाएंगे फिर दूसरे ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर वे काम करने वाले कपड़े और जूते पहनेंगे। काम करने की शिफ्ट के बाद इस कार्य को उल्टे क्रम में किया जाएगा।

(3) यहां पर वाहन के टायरों (गेट के पास टायर बाथ) पैरों (> 50 पी.पी.एम. सक्रिय अवयव वाले हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से युक्त फुट बाथ), और हाथों {(आयोडीन, युक्त पालीविनाएलपाइरोलीडान (पी.वी.पी.) (20 पी.पी.एम. तथा/अथवा 70 प्रतिशत अल्कोहल)} बोतलों को संक्रमण मुक्त करने के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए जिसका उपयोग यूनिट में प्रवेश एवं निकास के समय किया जाएगा।

3. जल ग्रहण :

(1) हैचरी की प्रत्येक कार्यरत यूनिट के पास अपनी जल उपचार सुविधा होनी चाहिए और इसे अन्य जल आपूर्ति प्रणाली से अलग होना चाहिए। जल के उपयोग को कम करने तथा जैव सुरक्षा हेतु, विशेषकर उच्च जोखिम के क्षेत्रों में हैचरी की प्रत्येक कार्यरत यूनिट के उपयोग के लिए अलग पुनः परिचालन प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।

(2) स्रोत जल में मौजूद वैक्टर तथा पैथोजेन के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी में जल को छानकर लिया जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा। इसे शुरुआत में अर्द्ध रेत वाले कुएं, रेत फिल्टर (ग्रेवेली अथवा दबाव), या मैश बैग फिल्टरों द्वारा छानकर पहले जलाशय अथवा सैटलिंग टैंक में डालकर प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरिनेशन द्वारा प्राथमिक विसंक्रमित करने और ठहराव के बाद, पानी को बारीक फिल्टर से दोबारा साफ किया जाना चाहिए और उसके बाद अल्ट्रावयलट प्रकाश (यूवी) या ओजोन या दोनों का प्रयोग करके विसंक्रमित किया जाए।

(3) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टरों, ऐथेलिन डायमीन ट्रेटा एसिटिक एसिड (ई.डी.टी.ए.) तथा तापमान एवं खारापन नियमन के उपयोग को शामिल किया जा सकता है।

4. जल उपचार तथा अपशिष्ट जल की निकासी :

(1) हैचरी से निकले हुए पानी को अस्थायी तौर पर रोका जाए और उसको हाइपोक्लोराट सोल्यूशन (>20 पी.पी.एम. सक्रिय क्लोरीन कम से कम 60 मिनट से कम नहीं) अथवा अन्य प्रभावी विसंक्रमक से उपचारित किया जाए। यह विशेष रूप से वहां महत्वपूर्ण होगा जहां पर पानी उसी स्थान पर छोड़ा जाता है जहां से उसे निकाला जाता है।

(2) सुविधा में प्रयोग होने वाले समुद्री जल को भंडारण टैंक में अवश्य भेजा जाना चाहिए जहां पर इसका हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (20 पी.पी.एम. सक्रिय अवयव को 30 मिनट से कम नहीं) के साथ उपचार किया जाएगा। इसके बाद इसका उपचार सोडियम थायोसल्फेट (अपशिष्ट क्लोरीन के प्रत्येक पी.पी.एम. के लिए 1 पी.पी.एम.) तथा प्रबल एयरेशन के साथ किया जाएगा।

(3) अपशिष्ट जल बिना क्लोरीनेशन तथा डिक्लोरीनेशन के हैचरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएम) का डिजाइन इस प्रावधान को शामिल करते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

5. उपकरणों को विसंक्रमित करना :

(1) प्रयुक्त बर्तनों तथा होजों को आगे प्रयोग से पहले साफ किया जाना चाहिए तथा उन्हें हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (20 पी.पी.एम.) से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

(2) ब्रूडस्टाक रखने वाले प्रत्येक टैंक के लिए उपकरणों का एक अलग सैट होना चाहिए जिस पर स्पष्ट रूप से निशान लगाया जाना चाहिए तथा उसे टैंक के नजदीक रखना चाहिए। प्रत्येक दिन के अंत में सभी उपकरणों का विसंक्रमित करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

6. हैचरी में ब्रूडस्टाक :

(1) केवल संगरोध के जरिए अनुमोदित पैथोजन मुक्त ब्रूडस्टाक को ही हैचरी में बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

(2) विशिष्ट पैथोजन मुक्त के रूप में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के अलावा अन्य ब्रूडस्टाक का प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध है।

(3) विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी. मोनोडान बीज उत्पादन में लगी हैचरियों के हैचरी परिसर को अन्य गैर - एसपीएफ प्रजातियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

7. बीज उत्पादन तथा उसकी बिक्री :

(1) नौपली अन्य हैचरियों को तभी बेचे जाने चाहिए जबकि इसके लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है। केवल परीक्षित एवं प्रमाणीकृत पोस्ट लार्वा को बेचा जाना चाहिए।

(2) विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी. मोनोडान के पोस्ट लार्वा को उत्पादन से बिक्री तक उपयुक्त जैव सुरक्षा हेतु, सुरक्षा मानकों वाली एसपीएफ सुविधाओं के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

(3) पोस्ट लार्वा को सिर्फ उन्हीं किसानों को बेचा जाना चाहिए जो पी. मोनोडान पालन के लिए विशेष तौर से तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं, क्योंकि विशिष्ट पैथोजन मुक्त स्थिति को फार्म स्तर पर आवश्यक जैव-सुरक्षा उपायों के बगैर बनाए नहीं रखा जा सकता। हैचरी प्रचालकों द्वारा विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति निरीक्षण के लिए साथ रखी जानी चाहिए।

(4) बीज उत्पादन के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ खरीददार या किसान के नाम और पते सहित बिक्री के भी ब्यौरे का रख-रखाव किया जाना चाहिए।

8. रोग रिपोर्टिंग और रिकार्ड का रखरखाव :

(1) हैचरी में किसी प्रकार के रोग के प्रकोप की सूचना तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

(2) हैचरियों को विशिष्ट पैथोजेन मुक्त आयातित ब्रूडस्टॉक या स्वदेशी अधिप्रमाणित ब्रूडस्टॉक का रिकार्ड स्रोत के ब्यौरे, आयातित अथवा स्वदेशी खरीद मात्रा, मृत्यु की संख्या, उत्पादित अंडे, उत्पादित नौपली, उत्पादित पोस्ट लार्वा, बेचे गए पोस्ट लार्वा, किसान का नाम और पता जिसे बेचा गया, रजिस्ट्रेशन संख्या और तारीख और तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति प्रमाणपत्र के रिकार्ड का रखरखाव किया जाना चाहिए और इन सभी से जुड़ी जानकारी को प्रपत्र-VI में दिए गए प्रपत्र के अनुसार तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाली तिमाही अनुसरण रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए।

9. निरीक्षण :

तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कार्मिक ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन और बिक्री की स्थिति की जांच करने के लिए समय-समय पर दौरा करेगा।

10. अप्राधिकृत हैचरियों या फार्मों में स्टॉक को नष्ट करना :

तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों या फार्मों के निरीक्षण के दौरान यदि कोई अप्राधिकृत बीज उत्पादन, विशिष्ट पैथोजेन मुक्त बीज की बिक्री या विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान का पालन होता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षण दल द्वारा ऐसे स्टॉक को किसी विधि प्रकार से/जो उपयुक्त समझा जाए द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।

11. बैंक गारंटी :

अनुमादित हैचरियां स्वयं द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 5.00 लाख रूपए (पांच लाख रूपए) की बैंक गारंटी तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में जमा करेगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में बैंक गारंटी का उपयोग किया जाएगा।

ड. फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम

1. विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए फार्मों के लिए पात्रता मानदण्ड

(1) तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जलकृषि किसानों को विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमति के लिए अलग आवेदन देने की आवश्यकता होगी।

(2) तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट पैथोजेन मुक्त एल. वेन्नामई पालन के लिए प्राधिकृत निरीक्षण टीम में विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के इच्छुक फार्म का निरीक्षण करेगी और विशिष्ट पैथोजेन मुक्त

पी. मोनोडान के पालन के लिए सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में इसकी सिफारिश के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा आवेदन पर कार्रवाई की जाए और विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमति के लिए उन्हें तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान का पालन करने वाले फार्मों को बाढ़, जलाशय, डरावा, प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण सहित पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय अवश्य स्थापित करना चाहिए। फार्मों को जैव सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिकों द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

(4) किसी भी आकार के फार्म में अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएस) शामिल होनी चाहिए। चूंकि हार्वेस्टिंग के समय निलम्बित ठोस उपशिष्टों का बोझ पर्यावरण पर सर्वाधिक होता है, अतः अपशिष्ट उपचार प्रणाली का हार्वेस्टिंग (फसल प्राप्ति) के दौरान छोड़े गए पानी को सम्भालने के लिए सक्षम होनी चाहिए। अपशिष्ट उपचार प्रणाली के आकार के अनुसार हार्वेस्टिंग (फसल प्राप्ति) चरणबद्ध होनी चाहिए। अपशिष्ट जल की गुणवत्ता तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

2. जल निकासी प्रोटोकॉल :

(1) रोग की घटना होने के मामले में, फसल बचाने के लिए मात्र जाल के माध्यम से फसल प्राप्ति की अनुमति दी जाएगी और जलनिकासी में पानी छोड़ने से पहले उसे क्लोरीनयुक्त और क्लोरीनमुक्त किया जाए।

(2) अवशेष पानी को अपशिष्ट उपचार प्रणाली में कम से कम 2 दिनों तक रखा जाए।

(3) जिन फार्मों द्वारा शून्य जल विनिमय प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उन्हें पी. मोनोडान पालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3. जैव सुरक्षा संबंधी विचारणीय बिंदु :

विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमोदित फार्मों को उसी तालाब अथवा फार्मों में पी. मोनोडान के साथ-साथ किसी अन्य गैर-एसपीएफ क्रस्टेशियन प्रजाति के पालन के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

4. विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान के पालन के लिए मानक :

(1) परीक्षित और प्रमाणित बीज मात्र उन हेचरियों से प्राप्त किए जाएं जो विशिष्ट पैथोजेन पी मोनोडान मुक्त ब्रूडस्टाक के प्रजनन और बीज विक्रय के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) स्टार्किंग घनत्व प्रति वर्ग मीटर 30 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) अपशिष्ट जल मानकों के लिए कड़ाई से अनुपालन करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और प्रत्येक मामले में तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण टीम तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विनियमों के तहत बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।

5. फार्मों में रिकार्ड का रख-रखाव :

(1) किसानों द्वारा हैचरियों के नाम और पते, जहां से उन्होंने बीज की खरीद की थी, खरीद की गई मात्रा, संख्या और हैचरियों के मान्य पंजीकरण की संख्या व तारीख आदि का विस्तृत रिकार्ड रखा जाए।

(2) किसान द्वारा उत्पादित एवं बिक्री की गई झींगें की मात्रा, और उस प्रसंस्करणकर्ता का नाम और पता जिसको बिक्री किया गया, का रिकार्ड रखा जाए और फार्म -VII में दी गई प्रपत्र के अनुसार तिमाही अनुपालन रिपोर्ट के जरिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को इसकी सूचना दी जाएँ।

फार्म- VI

[कृपया दिशा-निर्देश देखें [अनुबंध-III, पैरा घ 8(2)]]

हैचरियों के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:

1. नाम तथा पता
2. पंजीकरण तथा आयात अनुमति प्रमाणपत्र की तारीख एवं संख्या
3. आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर एवं मादा
4. परिवहन के दौरान मृत्यु
5. संगरोध के दौरान मृत्यु
6. अंडजनन की कुल संख्या
7. उत्पादित अंडों की कुल संख्या
8. उत्पादित नौपाली की कुल संख्या
9. उत्पादित पोस्ट लार्वा (पीएल) की कुल संख्या
10. सामान्य जलीय स्वास्थ्य निगरानी तथा किसी भी प्रकार की असामान्य मृत्यु की रिपोर्ट
11. किसानों को बेचे गए पोस्ट लार्वा (पीएल) की कुल संख्या
12. उन किसानों का ब्यौरा जिनको बेचे गए (इनमें नाम, पता, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमति पत्र की पंजीकरण संख्या तथा उसकी प्रति।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फार्म-VII

[कृपया दिशा-निर्देश देखें {अनुबंध-III, पैरा ई 5(2) }]

फार्मों के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:

1. नाम तथा पता
2. तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख और संख्या
3. पी. मोनोडान पालन के लिए सीएए से प्राप्त अनुमति पत्र की तारीख और संख्या
4. खरीद की गई पोस्टलार्वा की संख्या
5. हैचरी का नाम और पता
6. हैचरी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख
7. हैचरी से पत्र जिस में पालकों को बेचे गए पीएल की संख्या का उल्लेख किया गया हो
8. कुल स्टॉक की संख्या
9. कुल फसल का वजन
10. फसल के समय औसत आकार
11. पालन किए गए दिनों की संख्या
12. (अपशिष्ट उपचार प्रणाली आकार के अनुसार) की गई चरणबद्ध उगाही कटाई का विवरण
13. तारीख जब निरीक्षण समिति द्वारा दौरा कर नमूना एकत्र किया गया था।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिसूचना

भारत में (एसपीएस) लिटोपिनियस वेन्नामई के आयात के लिए जलीय संगरोध के संचालन

¹[पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि पशुधन आयात अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 28) द्वारा संशोधित किया जा चुका है, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची के अनुसार, केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारत में लिटोपिनियस वेन्नामई के आयात के लिए जलीय संगरोध के संचालन के तरीकों को विनियमित करते हुए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती है।]

अनुसूची

1. संगरोध के लिए अपेक्षित जैव-सुरक्षा :

- पशुओं एवं अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की रोकथाम करने के लिए संगरोध सुविधा में पर्याप्त ऊँचाई युक्त परिसरों के चारों ओर एक दीवार अथवा घेरा होना चाहिए। संगरोध के प्रत्येक कार्यरत एकक के पास स्वतन्त्र वाटर ट्रीटमेंट सुविधा एवं जल आपूर्ति पद्धति होना चाहिए तथा उसे अन्य कार्यरत एककों की जल आपूर्ति पद्धति से पृथक होना चाहिए।
- ऐसे वेक्टरों तथा पेशोजनों जो कि स्रोत जल में विद्यमान हो सकते हैं, की रोकथाम करने के लिए संगरोध के लिए जल को छाना जाए एवं उसका उपचार किया जाए। सब सैंड वेल पाइंटों, सैंड फिल्टरों (गुरुत्वाकर्षण अथवा दबाव) अथवा प्रथम जलाशय में मेश बैग फिल्टरों अथवा सेटलिंग टैंक के माध्यम से प्रारंभिक फिल्टरिंग द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरीनेशन द्वारा प्राथमिक गैर-संक्रमण तथा निपटान के बाद, जल को पुनः फाइनर फिल्टर के साथ छाना जाए तथा उसके बाद अल्ट्रावाइलेट (यू.वी.) लाइट तथा/ अथवा ओजोन का उपयोग करके उसे गैर-संक्रमित किया जाए।
- संगरोध से निकाले गए जल को निकालने से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (60 मिनट से अधिक > 20 पी.पी.एम. सक्रिय क्लोरीन) अथवा अन्य प्रभावी डिसइंफेक्टेंट के साथ अस्थायी रूप से रखा जाए एवं उसका उपचार किया जाए। यह विशेष रूप से वहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ जल को एक्सट्रेक्शन पाइंट वाले स्थान पर ही निकाला है।
- संगरोध क्षेत्र में प्रवृष्टि को उन कार्मिकों तक सीमित रखा जाए जो विशेष रूप से इस क्षेत्र में काम करते हैं तथा इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कार्मिकों को रिकार्ड का रख-रखाव सुरक्षा कार्मिकों द्वारा किया जाए।
- संगरोध एकक के कर्मचारी उस शॉवर/ड्रेसिंग रूम के माध्यम से प्रवेश करें जहाँ वे अपने स्ट्रीट कपड़े उतार दें तथा काम करने वाले कपड़ों एवं बूटों के पहनने के लिए एक दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले एक शॉवर ले लें। कार्यरत शिफ्ट के अंत में, क्रम को उलट दिया जाए।

- वाहन टायरों (प्रवेश द्वार (गेट) पर टायर बाथ) पैरों (> 50 पी.पी.एम. सक्रिय अवयव पर हाइपोक्लोराइट घोल से युक्त फूटबाथ) तथा हाथों (आयोडीन-पी.वी.पी. (20 पी.पी.एम. और/अथवा 70% अल्कोहल युक्त बातलें) के गैर संक्रमण के लिए साधन प्रदत्त होने चाहिए जिनका उपयोग यूनिट में प्रवेश करने एवं बाहर आने में करना चाहिए।
- संगरोध सुविधा के अंदर बाहर झींगों की प्रभावी नित्यप्रति आवा-जाही को सुगम बनाने के लिए संगरोध में पर्याप्त संख्या में बर्तन उपलब्ध होने चाहिए।
- संगरोध सुविधा में पृथक उपचार एवं गैर-संक्रमण पद्धति के साथ जल एवं वायु की स्वतंत्र आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए एवं पर्यावरण में पैथोजनों के संभावित पलायन की रोकथाम करने के लिए इप्लूएटस के उपचार के लिए एक पद्धति होनी चाहिए।
- सुविधा के लिए उपयोग किए जानेवाले सी वाटर की निकासी उस भंडारण टैंक में की जाए जहाँ इसका उपचार पी.पी.एम. के लिए 1 (एक) पी.पी.एम. हाइपोक्लोराइट घोल (कम से कम 30 मिनट तक 20 पी.पी.एम. सक्रिय अवयव) के साथ तथा उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट (प्रति अपशिष्ट क्लोरीन) के साथ प्रबल एरेशन द्वारा किया जाएगा।
- उपयोग किए गए प्लास्टिक बर्तनों एवं होसेज को पुनः उपयोग से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (20 पी.पी.एम.) से धोया एवं गैर-संक्रमित किया जाए।
- प्रत्येक होल्डिंग टैंक के पास उपकरणों का एक पृथक सेट होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से मार्क किया जाए तथा टैंकों के नजदीक रखा जाए। प्रत्येक दिन के अंत में सभी उपकरण के लिए गैर-संक्रमण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

2.0 आयात परमिट एवं प्रवृष्टि संबंधी पतन :

- योग्य अभ्यर्थियों को विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एस.पी.एफ.) एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक की वार्षिक अपेक्षाओं के अनुसार तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टाक को आयात करने संबंधी अनुमति दी जाएगी।
- आनुवांशिक आधार एवं रोग की स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, केन्द्रीय खारा जलकृषि संस्थान तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के परामर्श से सी.ए.ए. एस.पी.एफ. एल. वेन्नामई आपूर्ति कर्ताओं की छटनी करेगा। मात्र ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से ए.पी.एफ. ब्रूडस्टाक आयात करने की अनुमति मिलेगी।
- एस.पी.एफ. ब्रूडस्टाक के आयात के लिए चेन्नई पदनामित प्रवृष्टि पतन होगा।

3.0 सीमा पूर्व संगरोध अपेक्षाएँ :

- निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाणपत्र मूल रूप में को एस.पी.एफ. ब्रूडस्टाक की खेप के साथ होने चाहिए तथा खेप के आगमन से कम से कम दो दिन पहले प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ संगरोध अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएँ।
 - झींगों में विशिष्ट पैथोजनों के सापेक्ष ब्रूडस्टाक की एसपीएफ स्थिति को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र।

- विगत दो वर्षों में निर्यातक की ब्रूडस्टाक प्रवर्धन सुविधा में रोग की घटनाओं के इतिहास को दर्शानेवाला प्रमाणपत्र
- यह दर्शाने वाला प्रमाणपत्र कि निर्यात किए गए ब्रूडस्टाक के बैच को 12 दिनों की ¹[न्यूनतम] अवधि के लिए पूर्व-संगरोध में रखा गया था तथा निम्नलिखित पैथोजनों के लिए जांचों के परिणाम को शामिल किया जाए :
 1. टौरा सिंड्रोम वायरस (टी.एस.वी.) (ओआईई सूचीबद्ध)
 2. येल्लोहेड वायरस (वाई.एच.वी.) (ओआईई सूचीबद्ध)
 3. संक्रमण मायोनेक्रोसिस वायरस (आई.एम.एन.वी.) (ओआईई सूचीबद्ध)
 4. संक्रमण हाइपोडर्मल एवं हिमेटोपोइटीक नेक्रोसिस वायरस (आई.एच.एच.एन.वी.) (ओआईई सूचीबद्ध)
 5. ²[]
 6. व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यू.एस.एस.वी.) (ओआईई सूचीबद्ध)
 7. नेक्रोटाइजिंग हिपेटो पैन्क्राटाइटिस बैक्टेरियम अल्फा-प्रोटियोबैक्टेरियम (एन.एच.पी.वी.)³
- वास्तविक शिपमेंट से पहले जांच ⁴[20 दिनों से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए।]

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 के का.आ. 2482(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (iii) में प्रकाशित किया गया था और तदुपरांत 31, अगस्त, 2009 को का.आ. 2213(अ) में तहत संशोधित किया गया।

- शिपमेंट से पहले, आयात किए जाने वाले ब्रूडस्टाक की वास्तविक मात्रा/संख्या को उन कार्टनों की संख्या को दर्शानेवाले पैकेज स्लिप के रूप में प्रस्तुत किए जाए जिनमें उन्हें पैक किया गया है।

4.0 संगरोध की अपेक्षाएँ :

- पशु संगरोध अधिकारी को संबंधित कागजातों की प्रतियाँ प्रदान करके तथा कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग) द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करके आयातकर्ता अग्रिम रूप से संगरोध सुविधा में अपनी जगह बुक करें।
- हवाई अड्डे पर एस.पी.एफ. ब्रूडस्टॉक की खेप को छुड़ाने की, संगरोध स्टाफ के साथ संगरोध सुविधा तक इसकी दुलाई, संगरोध सुविधा पर इसके रख-रखाव तथा पुनः पैकिंग तथा हैचरियों तक की आवाजाही की जिम्मेदारी आयातकों की होगी।

1. तारीख 21.04.2011 की का.आ. 783(अ) को देखिए, प्रतिस्थापित द्वारा जोड़ा गया

2. [बैकुलोवायरस पेनई (बी.पी.) (ओआईई सूचीबद्ध)] का.आ. 1392(अ) दिनांक 19.06.2012 द्वारा हटाया गया

3. यह पैथोजीन इस समय ओआईई सूची में शामिल करने के लिए अध्ययन के अधीन है

4. प्रतिस्थापित, 21.04.2011 तारीख को का.आ. 783(अ) द्वारा जोड़ा गया

- किसी प्रकार की आकस्मिक क्षति को टालने के लिए पैकिंग सामग्री अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
 - कार्टनों में एल. वेन्नामई के लिए विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सघनता के अनुरूप स्थान होना चाहिए।
 - खेप को बीच में किसी भी दुलाई केन्द्र पर खोला नहीं जाना चाहिए। यदि उसमें छेड़छाड़ पाया गया, तो संपूर्ण खेप को रद्द कर दिया जाएगा तथा जन्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा।
 - आयातक खेप को केवल चेन्नई में प्राप्त करें।
 - दुलाई के दौरान पानी के छलकने तथा कनस्तर को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती जाए।
 - दुलाई के दौरान किसी भी प्रकार के आकस्मिक रूप से पानी के छलकने की स्थिति में, आयातक ओ.आई.ई. स्वीकृत विसंक्रमण प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए पानी की शुद्धता को सुनिश्चित करें।
 - खेप के पहुँचने पर पशु संगरोध अधिकारी द्वारा उसका संपूर्ण निरीक्षण किया जाए लेकिन यह इसके संगरोध सुविधा केन्द्र के लिए प्रेषण से पूर्व होनी चाहिए। संगरोध स्थल तक खेप के पहुँचने तक संगरोध स्टाफ खेप के साथ रहेंगे तथा एल. वेन्नामई के आयात के लिए अनुमति के नियम व शर्तों के अनुपालन तथा खेप के ठीक हालत में प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) तथा केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीबा) के प्रतिनिधियों के समक्ष खेप को निर्धारित स्थान पर खोला जाना चाहिए।
 - संगरोध सुविधा केन्द्र स्थित तालाबों में छोड़े जाने से पूर्व आयातित झींगों के नमूनों को एकत्र किया जाए।
 - विदेशी ब्रूडस्टॉक को हवाई अड्डे से संगरोध केन्द्र तक लाने ले जाने में प्रयुक्त वाहनों को जन्तुओं को संगरोध तक स्थानान्तरित करने के बाद तत्काल संदूषण रहित किया जाएगा तथा दुलाई में प्रयुक्त कनस्तर को सी.ए.ए. द्वारा नामित टीम की देखरेख में नष्ट कर दिया जाए।
 - झींगा ब्रूड स्टॉक के मामले में '1[पाँच दिनों की संगरोध अवधि] को कायम रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेप रोगमुक्त है तथा इससे किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है।
- टिप्पणी :** गूल अधिसूचना गारक के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खण्ड [ii] में से. का आ. 2482(अ) दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 के तहत प्रकाशित हुई थी।
- संगरोध में ब्रूडरों की सभी ज्ञात पैथोजन के लिए ओआईई द्वारा निर्धारित पद्धतियों के माध्यम से सी.आई.बी.ए. द्वारा जांच की जाएगी। ब्रूडरों के स्वास्थ्य की निगरानी प्रतिदिन की जाएगी तथा दृश्य परिवर्तनों को रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा। किसी मृत्यु की स्थिति में, उसे अलग

1. "दस दिनों की अधिकतम संगरोध अवधि" को का.आ. 2213(अ) दिनांक 31.08.2009 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा। मृतप्राय अथवा कमजोर दिख रहे पशुओं को आगे रोग निरीक्षण के लिए एथनॉल तथा फार्मेलीन में सुरक्षित रखा जाएगा।

- संगरोध अवधि के दौरान ब्रूडरों को किसी प्रकार का जीवित आहार नहीं दिया जाए। पैथोजन की जांच के बाद ही पोषण के लिए मानक कंपनियों के केवल गोली अथवा गुटखा आकार वाले आहार उपयोग में लाए जाएंगे। संगरोध पद्धतियों के अनुसार शेष बच्चे तथा मेटाबोलिक अवशिष्टों को तत्काल हटाया जाएगा।
- संगरोध सुविधा केन्द्र में 1:2000 KMnO₄ (पोटेशियम परमैंग्रेट) के रोगाणुनाशी स्नानघर को कामय रखा जाए तथा भीतर और बाहर आने जाने वाले सभी लोगों को स्नानघर में अपने हाथ पांव धोने चाहिए।
- संगरोध के आरंभिक दस दिनों के दौरान यदि कोई विदेशी रोग पाया जाता है, तो सारे ब्रूड स्टॉक को नष्ट कर दिया जाएगा।
- संक्रमित स्टॉक को नष्ट करने के लिए संगरोध में एक उपयुक्त भस्मक लगाया जाए।
- संगरोध से स्वीकृति के बाद आयातित ब्रूड स्टॉक को आयातक को सौंप दिया जाएगा।

5.0 विसंक्रमण की पद्धतियाँ :

क) अपशिष्ट का विसंक्रमण :

- संगरोध/हैचरियों से निकलने वाले सभी दूषित जल को क्लोरीन से विसंक्रमित किया जाए तथा इसके बाद इसे छोड़े जाने के पूर्व विक्लोरीकृत किया जाएगा। अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ई.टी.एस.) को संगरोध में प्रयुक्त जल की कुल मात्रा से निपटाने के लिहाज से डिजाईन किया जाए।

ख) भस्मीकरण द्वारा जन्तुशव का निपटान :

- मृत जन्तुओं को भस्म कर दिया जाएगा ।

ग) उपकरणों का विसंक्रमण :

- उपकरणों के विसंक्रमण के लिए 20 पी.पी.एम. मुक्त क्लोरीन का उपयोग रातभर किया जाए।

घ) भवनों का विसंक्रमण :

- भवनों के विसंक्रमण के लिए प्रति 100 क्यूबिक फुट क्षेत्र के लिए 17.5 ग्राम पोटेशियम परमैंगानेट तथा 35 मी.ली. 37% जलीय फार्मेलीन का उपयोग किया जाए।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008

तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008¹

विनियमों का क्रम

विनियम सं.		पृष्ठ संख्या
	अध्याय I – प्रारंभिक	
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	... 95
2.	परिभाषा	... 95
	अध्याय II – प्राधिकरण की बैठकें	
3.	प्राधिकरण की बैठकें	... 96
4.	बैठक आयोजित करने की शक्ति	... 96
5.	कार्यसूची	... 96
6.	गणपूर्ति	... 96
7.	बैठकों की अध्यक्षता करना	... 96
8.	कतिपय परिस्थितियों में परिचालन द्वारा काम-काज	... 96
9.	कामकाज का रिकार्ड	... 97
	अध्याय III – प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भर्ती की पद्धति, अर्हताएँ आदि	
10.	प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति	... 97
11.	सेवा की शर्तें	... 97
	अध्याय IV – सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्ति	
12.	अधिकारियों अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें	... 98
	अध्याय V – आवेदनों का निपटान	
13.	आवेदनों का निपटान	... 98
	अध्याय VI – नमूने लेने की प्रक्रिया	
14.	प्रयोगशालाओं को नमूनों की जांच तथा विश्लेषण करने के लिए मान्यता तथा अनुमोदन	... 99
	अनुसूची II	
	प्रारूप I	... 101
	प्रारूप II	... 102
	प्रारूप III	... 103

1. दिनांक 8.3.2008 को, भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित

कृषि मंत्रालय
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 7, मार्च 2008

तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008¹** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा.**- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) **“अधिनियम”** से तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) **“प्राधिकरण”** से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) **“प्ररूप”** से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) **“सदस्य-सचिव”** से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

(ङ) **“सदस्य”** से धारा 4 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और जिसमें अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सम्मिलित हैं;

(च) **“अनुसूची”** से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

1. दिनांक 08.03.2008 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित

अध्याय II

प्राधिकरण की बैठकें

3. **प्राधिकरण की बैठकें.**— प्राधिकरण दो माह की अवधि के भीतर उस तारीख तथा उस स्थान पर कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे तथा दो साधारण बैठकों के बीच का अंतर किसी भी दशा में दो मास से अधिक नहीं होगा।

4. **बैठक आयोजित करने की शक्ति.**— (1) अध्यक्ष, किसी भी समय, प्राधिकरण की विशेष बैठक आयोजित कर सकेगा और उसे यदि कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक आयोजित करने का अनुरोध मिलता है अथवा केन्द्रीय सरकार से विशेष निदेश मिलता है तो वह ऐसी बैठक आयोजित करेगा और ऐसी विशेष बैठकों में कोई सामान्य कार्य नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में प्राधिकरण की किसी बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी की अपेक्षा कर सकेगा है अथवा उस व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जिसे प्राधिकरण के विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अथवा संगत विषय पर पर्याप्त जानकारी, अनुभव अथवा पृष्ठभूमि का ज्ञान हो, परन्तु ऐसे अधिकारी, अथवा व्यक्ति को मत देने का हक नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष बैठक से पहले कम से कम दस दिन का नोटिस देगा:

परन्तु यदि अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य हो तो ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

5. **कार्यसूची.**— अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय कार्यसूची में सम्मिलित विषय से भिन्न किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. **गणपूर्ति.**— (1) जब तक कि अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित एक-तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, प्राधिकरण की बैठक में कोई कार्य नहीं होगा।

(2) यदि किसी भी समय, बैठक में मौजूद सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम होगी, तो पीठासीन व्यक्ति उस तारीख से तीन दिन से अनधिक की तारीख के लिए बैठक को स्थगित कर देगा।

(3) यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो भी ऐसी स्थगित बैठक में बैठक के लिए कार्यसूची पर विचार करना विधिपूर्ण होगा।

7. **बैठकों की अध्यक्षता करना.**— प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक जिसमें अध्यक्ष उपस्थित है, वह बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

8. **कतिपय परिस्थितियों में परिचालन द्वारा काम-काज.**— (1) कोई भी काम-काज, जिसे प्राधिकरण द्वारा अत्यावश्यक रूप से किया जाना है तथा उसके लिए आगामी साधारण बैठक के लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, तो, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है, तो सदस्यों को कागज-पत्र परिचालन द्वारा निदेशित किया जा सकता है।

(2) कोई भी ऐसे कागज-पत्र जिन्हें सदस्यों को परिचालित किया गया है और लिखित में सदस्यों के बहुमत द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जाता है तो उसका ऐसा ही प्रभाव होगा मानो इसे किसी बैठक में सदस्यों के बहुमत से ऐसे प्रस्ताव अथवा संकल्प का निर्णय लिया गया था :

परन्तु यदि तीन अथवा उससे अधिक सदस्य यह प्रस्ताव अथवा अनुरोध करते हैं कि प्रस्ताव अथवा संकल्प को प्राधिकरण की बैठक में रखा जाए, तो प्रस्ताव अथवा संकल्प को प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

(3) जहाँ उप-विनियम(2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्रस्ताव अथवा संकल्प सदस्यों को परिचालित किया जाता है तो उन्हें उसके संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण, ऐसे प्रस्ताव अथवा संकल्प के परिणाम को संसूचित करेगा।

9. **कामकाज का रिकार्ड.**— (1) प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठकों में अथवा कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा, किए गए कामकाज की सभी मदों का रिकार्ड रखा जाएगा।

(2) परिचालन द्वारा प्राप्त निर्णय को प्राधिकरण की आगामी बैठक में रिकार्ड किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णयों की आगामी बैठक में पुष्टि की जाएगी।

अध्याय III

प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भर्ती की पद्धति, अर्हताएँ आदि

10. **प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति.** — (1) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के नाम और संख्या, प्रत्येक पद से जुड़े वेतनमान तथा भर्ती की पद्धति, अनुसूची में उपबंधित अनुसार होगी।

(2) प्राधिकरण, जब तक कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताओं तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में विनियम विरचित होते हैं, तब तक उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताओं और अन्य मामलों का अनुसरण कर सकेगा, केन्द्रीय सरकार के अधीन तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से सदृश पदों के लिए अथवा नियमों के आधार पर नियुक्तियाँ की जानी हैं।

11. **सेवा की शर्तें.**— वेतन, भत्ते, छुट्टी, तथा सेवा की अन्य शर्तें और अन्य सुविधाएँ एवं रियायतें जैसे कि अग्रिम वेतन, वाहन खरीदने, घर के निर्माण के लिए अग्रिम आदि और प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों के संबंध में कुछ समय के लिए वहीं होंगे जोकि केन्द्रीय सरकार के तदसमान श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

अध्याय IV

सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्ति

12. अधिकारियों अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन सलाहकारों अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें निम्न प्रकार होंगे :-

- (i) प्राधिकरण प्रत्येक मामले में सलाहकार अथवा परामर्शदाता के लिए देय समेकित फीस के प्रत्येक मामले में निर्णय करेगा।
- (ii) परामर्शदाता अथवा सलाहकार, मंत्रालयों अथवा विभागों में समतुल्य पंक्ति के सेवाधीन किसी अधिकारी के लिए लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते का हकदार होगा।
- (iii) परामर्शदाता अथवा सलाहकार टेलीफोन अथवा परिवहन सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
परन्तु परामर्शदाता अथवा सलाहकार वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के अधीन समतुल्य पंक्ति के सेवाधीन अधिकारियों को अनुज्ञेय समान निबंधन एवं शर्तों के आधार पर वाहन भत्ते की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।
- (iv) परामर्शदाता अथवा सलाहकार केन्द्रीय सरकार के पूल से निवास स्थान का हकदार नहीं होगा।

अध्याय V

आवेदनों का निपटान

13. आवेदनों का निपटान. - (1) जिला तथा राज्य स्तर की समितियाँ, यथासाध्य तटीय तटवर्ती जलकृषि फार्मों की स्थापना अथवा उनके नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों के निश्चित समयावधि में निपटान को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित समयसीमा का पालन करेंगी, अर्थात् -

क्र.सं.	क्रियाकलाप	समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1	आवेदन की विस्तृत जांच, स्थान का निरीक्षण तथा जिला स्तर की समिति द्वारा यथास्थिति राज्य स्तर की समिति अथवा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को आवेदन का प्रेषण।	आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह
2	राज्य स्तर की समिति द्वारा आवेदनों पर विचार करना तथा सिफारिशों के साथ आवेदन को, तटीय जलकृषि प्राधिकरण को प्रेषित करना।	जिला स्तर की समिति से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह।

- (2) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे प्रेषित आवेदनों पर विचार कर सकेगा :
- (क) जहाँ आवेदन की प्राप्ति के तुरंत बाद बुलाई गई बैठक में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले प्राधिकरण किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) जहाँ प्राधिकरण द्वारा की गई ऐसी जांच के तुरन्त बाद बुलाई गई बैठक में प्राधिकरण को जांच करने की आवश्यकता है।
- (ग) जहाँ प्राधिकरण को जांच करने की आवश्यकता है, वहां जिला स्तर की समिति अथवा राज्य स्तर की समिति से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर ऐसी जांच पूरी की जाएगी।

अध्याय VI

नमूने लेने की प्रक्रिया

14. (1) निम्नलिखित संस्थाओं अथवा प्रयोगशालाओं को नमूनों की जांच तथा विश्लेषण करने के लिए मान्यता तथा अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, अर्थात् -

- (क) भारत सरकार की प्रयोगशालाएं;
- (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं;
- (ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं;
- (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की प्रयोगशालाएं;
- (ङ) विशेषज्ञ जांच एजेंसी की प्रयोगशालाएं;
- (च) राज्य सरकार की राष्ट्रीय परीक्षण एवं मापन संबंधी अधिकृत बोर्ड की प्रयोगशालाएं;
- (छ) परीक्षण एवं मापन प्रयोगशालाओं संबंधी राष्ट्रीय अधिकृत बोर्ड की अधिकृत प्रयोगशालाएं।

(2) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तटीय जलकृषि फार्म के अधिभोगी अथवा उसके एजेंट अथवा फार्म के प्रभारी व्यक्ति को नमूने विश्लेषित कराने के अपने आशय की अनुसूची-II में दिया गया प्ररूप-1 में दिया गया नोटिस तामील करेगा।

(3) नमूने लेने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र करेगा और उन्हें दो समान हिस्सों में बांटेगा, उन पर सील और निशान लगाएगा तथा वह अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे वह नमूने एकत्र किए गए हैं इस प्रकार सील एवं निशान लगे सभी नमूनों अथवा कुछ नमूनों पर अपनी मोहर अथवा निशान लगाने की अनुमति देगा।

(4) यदि, नमूने कंटेनर अथवा कम मात्रा में लिए गए हैं और उन्हें खोलने पर उनके खराब होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो तो अधिकारी कंटेनर को खोले बिना उसके दो नमूने ले लेगा और उस पर उसी रीति में सील तथा निशान लगा देगा।

(5) नमूने लेने वाला अधिकारी,-

- (क) नमूने के एक हिस्से को उस व्यक्ति की इच्छा पर उसे सौंपेगा जिससे वह नमूना लिया गया है और उससे पावती लेगा, तथा वह उसे किसी अनुमोदित प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजेगा।
- (ख) नमूने के दूसरे हिस्से को अनुसूची-II में दिए गए प्ररूप-II के साथ पंजीकृत डाक अथवा विशेष संवाहक द्वारा तुरन्त किसी अभिहित प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजेगा।
- (ग) जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है, यदि उसके फार्म की कोई मोहर अथवा निशान है तो उसकी नमूना निशानी सहित उक्त प्ररूप-II की प्रति को अलग से मुहरबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा विशेष संवाहक द्वारा अभिहित प्रयोगशाला को भेजेगा।

(6) विश्लेषण के परिणाम का अनुसूची-III में दिए गए प्ररूप-III में तीन प्रतियों में अभिलिखित किया जाएगा और उस पर विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे उस अधिकारी के पास भेजा जाएगा जिससे विश्लेषण के लिए नमूना प्राप्त हुआ था।

(7) विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, वह अधिकारी, उस रिपोर्ट की एक प्रति तुरन्त उस व्यक्ति को भेज देगा जिससे नमूना लिया गया था, उसकी एक प्रति यदि आवश्यक हुआ तो न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अपने पास रखेगा और एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा।

(8) जहाँ संस्थान अथवा प्रयोगशाला द्वारा किए गए विश्लेषण की रिपोर्ट से अधिनियम, नियमों, विनियमों के किन्हीं भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फार्म का पंजीकरण रद्द कर सकेगा।

अनुसूची - II

प्रारूप - I

[(विनियम 14(2) देखें)]

नमूना विश्लेषित कराने के आशय का नोटिस

सेवा में,

.....

.....

यह सूचित किया जाता है कि* का नमूना
 विश्लेषित कराने के आशय से जिसे आज तारीख के
 (नमूना लेने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम)
 से लिया गया है।

* उस स्थान का उल्लेख करें जहां से नमूना लिया गया है।

तारीख

(मोहर)

प्रारूप - II

[[विनियम 14(5)(ग) देखें]]

सरकारी विश्लेषक को ज्ञापन

प्रेषक

.....
.....

सेवा में,

सरकारी विश्लेषक

.....
.....

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन नीचे वर्णित नमूने का हिस्से इसके साथ विश्लेषण के लिए भेजा जाता है।

नमूने के हिस्से को मेरे द्वारा निम्नलिखित निशान के साथ चिन्हित किया गया है :

लिए गए नमूने के हिस्से का ब्यौरा।

तारीख

नमूना भेजने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम
(मोहर)

प्रारूप - III

[विनियम 14(6) देखें]

विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट

रिपोर्ट संख्या

तारीख

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं
 तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम द्वारा सम्यक् रूप से पदनामित विश्लेषक ने
 तारीख को * से विश्लेषण के लिए
 का नमूना प्राप्त किया है।

मोहर/निशान की तुलना की गई थी और वे विश्लेषण के लिए योग्य/अयोग्य नमूना, मोहर/निशान
 के साथ मिलान कर पाया/मिलान नहीं कर पाया।

मैंने को ऊपर उल्लिखित नमूने का विश्लेषण कर
 लिया है। विश्लेषण का परिणाम इस प्रकार है :-

**

हस्ताक्षर दिन तारीख
 पता

हस्ताक्षर
 (विश्लेषक)

सेवा में,

* यहां उस अधिकारी/प्राधिकरण का नाम लिखें जिससे नमूना प्राप्त हुआ था।

* यहां विश्लेषण का पूरा ब्यौरा तथा विश्लेषण की पद्धति का उल्लेख करें।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
संबंधित अन्य अधिसूचनाएँ

तटीय जलकृषि प्राधिकरण संबंधित अन्य अधिसूचनाएँ

अधिसूचनाओं का क्रम

क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1. 22 दिसम्बर 2005 के प्रभाव से तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना पर दिनांक 22 दिसम्बर 2005 का का.आ. 1803(अ)	... 107
2. डॉ. ए.जी. पोनियाह एवं सुश्री. लीना नायर की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्यों के रूप में नियुक्ति पर दिनांक 25 अगस्त, 2006 का का.आ. 1359(अ)...	109
3. डॉ. ए. सेन्थील वेल की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नियुक्ति पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 का का.आ. 2093(अ)	... 109
4. श्री एस.के. भट्टाचार्य की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नियुक्ति पर 8 अक्तूबर 2007 का का.आ. 1720(अ)	... 110
5. डॉ. पी. रविचन्द्रन, की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 का का.आ. 1947(अ)	... 110
6. डॉ. पी. मादेश्वरन की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नियुक्ति पर दिनांक 25 जनवरी, 2008 का का.आ. 149(अ)	... 111
7. डॉ. आर. पाल राज की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति पर 25 अप्रैल, 2008 का का.आ. 1069(अ)	... 111
8. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) की तटीय जलकृषि प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नियुक्ति पर 9 मई, 2008 का का.आ. 1127(अ)	... 112
9. 17 जून, 2009 से तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सदस्यों का पुनर्गठन के सम्बंध में दिनांक 17 जून, 2009 का का.आ. 1523(अ)	... 112
10. 26 जून, 2012 के तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सदस्यों का पुनर्गठन के सम्बंध में दिनांक 26 जून, 2012 का का.आ. 1438(अ)	... 114
11. न्यायमूर्ति के. रविराजा पांडियन की तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर दिनांक 19 अगस्त, 2013 की फाईल सं. 9-4/2008 मा.प्रशासन	... 115
12. ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद के निर्यात पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा जारी दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 का का.आ. 2714(अ)	... 116

अधिसूचना

तृतीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 कां 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तृतीय जलकृषि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण गठित करती है और उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, नामतः :-]

- (क) न्यायमूर्ति ए.के. राजन, - अध्यक्ष
(मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश),
नं. 5 (एस 79), गली नं. 16, अन्नानगर,
चेन्नई-600040.
- (ख) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :
डॉ. पी. रवीचंद्रन, - सदस्य
निदेशक,
केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई.
तृतीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ
- (ग) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :
डॉ. के.वी. शर्मा, - सदस्य
वैज्ञानिक-घ, समुद्री विकास विभाग, ब्लॉक- 11
सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003.
तृतीय परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ
- (घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :
पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य
के प्रतिनिधि, (पर्यावरण और वन मंत्रालय
द्वारा नामित किया जाना है)
- (ङ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :
श्री अजय भट्टाचार्य, - सदस्य
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी),
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि.
कृषि मंत्रालय द्वारा नामित

(च) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

श्री जी. मोहन कुमार, - सदस्य
 अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
 कोच्ची - वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि.
 वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित

(छ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के अंतर्गत तटीय राज्यों के प्रतिनिधि :

- (i) श्री विश्वनाथ शेगांवकर, - सदस्य
 तमिलनाडु सरकार के सचिव,
 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग,
 चेन्नई-600009.
- (ii) श्री पी. के. सेन, - सदस्य
 मात्स्यिकी निदेशक,
 पश्चिम बंगाल सरकार,
 63, एन.एस. रोड, जेसोप बिल्डिंग,
 कोलकाता-700001.
- (iii) श्री डी. राधा कृष्णा रेड्डी, - सदस्य
 अध्यक्ष,
 आंध्र प्रदेश राज्य झींगा किसान,
 कल्याण परिसंघ, 16-111-488, रामामूर्ति नगर,
 नैल्लोर-524003 (आंध्र प्रदेश).
- (iv) श्री अजीत सिन्हा पाटिल, - सदस्य
 (पंचम एक्वाकल्चर फार्म, जेलासर. तालुका,
 पलघर, जिला थाणे),
 103 बी, मित्तल टावर्स, नरीमन प्वाइंट,
 मुंबई-400021.

(ज) धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

डॉ. वाई. एस. यादव, - सदस्य-
 निदेशक, सचिव
 बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम- अंतर्शासकीय,
 संगठन (बीओबीपी - आईजीओ), 91- सेंट मेरी रोड,
 अभिरामपुरम, चेन्नई-600018.

अधिसूचना

¹तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड - 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की सं. का.आ. 1803(अ) के तहत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ख) और (छ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को शामिल की जाए, नामतः :-]

- “(ख) डॉ. ए. जी. पोनियाह, - सदस्य ”
निदेशक,
केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
- “(छ)(i) सुश्री लीना नायर, - सदस्य ”
सचिव, तमिलनाडु सरकार,
पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग,
चेन्नई-600009.

अधिसूचना

²तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-]

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (घ) की और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को शामिल की जाए, नामतः :-

- “(घ) डॉ. ए. सेन्थील वेल, - सदस्य ”
अपर निदेशक,
तटवर्ती क्षेत्रीय प्रबंधन प्रभाग,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित)

नोट : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के सं. का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 25 अगस्त, 2006 के संख्या का.आ. 1359(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

1. दिनांक 25.8.2006 के का.आ. 1359(अ) द्वारा प्रकाशित
2. दिनांक 13.12.2006 के का.आ. 2093(अ) द्वारा प्रकाशित

अधिसूचना

¹तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, कं. भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-]

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (छ) की मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को शामिल की जाए, नामतः :-

“(ii) श्री श्यामल कुमार भट्टाचार्य, - सदस्य”
निदेशक मात्स्यिकी,
पश्चिम बंगाल सरकार,
63, एन. एस. रोड, जेस्सोप बिल्डिंग,
कोलकाता-700 001.

टिप्पण : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के सं. का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 25 अगस्त, 2006 के संख्या का.आ. 1359(अ) और दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2093(अ) को तहत संशोधित किया गया था।

अधिसूचना

²तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803 (अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-]

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को शामिल किया जाए, नामतः :-

“(ब) डॉ. पी. रविचन्द्रन, - सदस्य-सचिव”
प्रमुख वैज्ञानिक,
केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान,
चेन्नई.

टिप्पण : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 25-8-2006 के संख्या का.आ. 1359(अ), दिनांक 13-12-2006 के का.आ. 2093(अ) और दिनांक 8 अक्तूबर, 2007 के का.आ. 1720(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

1. दिनांक 8.10.2007 के का.आ. 1720(अ) द्वारा प्रकाशित
2. दिनांक 16.11.2007 के का.आ. 1947(अ) द्वारा प्रकाशित

अधिसूचना

1। तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत :-]

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत :-

“(ग) श्री मादेश्वरन, - सदस्य”
 वैज्ञानिक-ई, भू विज्ञान मंत्रालय,
 महासागर भवन,
 ब्लॉक-12, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
 लोधी रोड,
 नई दिल्ली-110 003.

टिप्पण : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था । तदुपरांत दिनांक 25-8-2006 के संख्या का.आ. 1359(अ), दिनांक 13-12-2006 के का.आ. 2093(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के का.आ. 1720(अ) तथा 16 नवम्बर, 2007 के का.आ. 1947(अ) के तहत संशोधित किया गया था ।

अधिसूचना

2। केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक का.आ. 1803(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात् :-]

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ज) डॉ. आर. पाल राज - सदस्य सचिव”

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), में सं. का.आ. 1803(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 1359(अ) तारीख 25 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 2093(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2006, सं. का.आ. 1720(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2007, सं. का.आ. 1947(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2007 और सं. का.आ. 149(अ), तारीख 25 जनवरी, 2008 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

1. दिनांक 25.1.2008 के का.आ. 149(अ) द्वारा प्रकाशित
2. दिनांक 25.4.2008 के का.आ. 1069(अ) द्वारा प्रकाशित

अधिसूचना

1[तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) के खण्ड 4 के उप-खण्ड (3) के धारा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के सं. का.आ. 1803(अ) के तहत, कृषि मन्त्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-]

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ड) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :-

“(ड) संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) - सदस्य”
कृषि मंत्रालय द्वारा नामित
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के का.आ. 1803(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था, तदुपरांत दिनांक 25 अगस्त, 2006 के का. आ. 1359(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2093(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के का. आ. 1720(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 2007 के का.आ. 1947(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2008 के का.आ. 149(अ) और दिनांक 25 अप्रैल, 2008 के का. आ. 1069(अ), के तहत संशोधित किया गया था।

अधिसूचना

2[तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) के और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम प्रयोजनार्थ तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :-]

(क) न्यायमूर्ति ए. के. राजन - अध्यक्ष
(मद्रास उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश),
नं. 5 (एस 79), गली नं. 16,
अन्नानगर, चेन्नई-600040

(ख) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के
अंतर्गत नियुक्त सदस्य :
निदेशक,
केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई
तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

- सदस्य

1. दिनांक 9.5.2008 के का.आ. 1127(अ) द्वारा प्रकाशित
2. दिनांक 17.6.2009 के का.आ. 1523(अ) द्वारा प्रकाशित

- (ग) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :
श्री पी. मादेश्वरन - सदस्य
वैज्ञानिक "ई"
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
ब्लॉक नं.12, सीजीओ, कॉम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
- (घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :
पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य
के प्रतिनिधि, (पर्यावरण और वन मंत्रालय
द्वारा नामित किया जाना है)
- (ङ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), - सदस्य
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,
कृषि मंत्रालय, द्वारा नामित
- (च) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :
अध्यक्ष, - सदस्य
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
कोच्ची-वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि,
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित
- (छ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :
- (i) श्री पीताम्बर एम. टंडेल, - सदस्य
759, सरकारी कला एवं विज्ञान कॉलेज के सामने,
करवर, कर्नाटक
- (ii) उपर मुख्य सचिव (मात्स्यिकी), - सदस्य
केरल सरकार,
तिरुवनन्तपुरम
- (iii) प्रमुख सचिव, - सदस्य
मात्स्यिकी एवं पशु संसाधन विकास,
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर

- (iv) विकास आयुक्त-सह-सचिव - (मात्स्यिकी) - सदस्य
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय,
पोर्ट ब्लेयर-744101.

(ज) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के

अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य :

- डॉ. आर. पाल राज, - सदस्य सचिव
तटील जलकृषि प्राधिकरण,
दूसरा तल, शास्त्री भवन एनेक्सी,
26, हेड्डो रोड, चैन्नई-600006.

अधिसूचना

¹[तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 को उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद् द्वारा उपयुक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को निम्नलिखित सदस्यों की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :-]

(क) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

- डा. पी. रविचन्द्रन - सदस्य
प्रधान वैज्ञानिक
केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान,
चेन्नई, तटवर्ती जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ।

(ख) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

- डा. आर. किरुभगरन - सदस्य
वैज्ञानिक "एफ" राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान
(एन आई ओ टी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
चेन्नई.

(ग) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के उल्लिखित सदस्य :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि, - सदस्य
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे)

(घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के उल्लिखित सदस्य :

- संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), - सदस्य
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,
कृषि मंत्रालय, द्वारा नामित.

(ड) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) में उल्लिखित सदस्य :

- श्री डी. एस. धेसी, - सदस्य
संयुक्त सचिव (ईपी-एमपी),
वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली.

(घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त तटीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :

- (i) मात्स्यिकी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, - सदस्य
ए पी सचिवालय, हैदराबाद।
- (ii) सचिव, मात्स्यिकी विभाग, - सदस्य
जलकृषि, जलीय संसाधन एवं मत्स्यन बंदरगाह,
पश्चिम बंगाल सरकार, जी एन-31,
बैनफिश टावर बिल्डिंग, कोलकता.
- (iii) सचिव (मात्स्यिकी), गुजरात सरकार, - सदस्य
सचिवालय, गांधीनागर, गुजरात.
- (iv) सचिव (मात्स्यिकी), - सदस्य
तमिलनाडु सरकार,
पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग,
सचिवालय, चेन्नई.

(छ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के उल्लिखित सदस्य :

- डा. आर. पाल राज, - सदस्य सचिव
तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण,
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी,
26, हैडोज रोड, चेन्नई-600006.

अधिसूचना

[तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 4(3)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार न्यायमूर्ति के. रविराजा पांडियन (मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति) को 20 मई, 2013 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए 80,000 रुपए के वेतनमान में अध्यक्ष, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पद पर नियुक्त करती है।]

अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिट्रिंग) नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :]

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण और मानिट्रिंग) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण और मानिट्रिंग) नियम, 1995 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 6 के पश्चात् उपनियम 6.2 के निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6.3 स्थापना जल संबंधित उत्पादों को केवल भारतीय तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सीएएआई)/पदनामित प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत फर्म से ही उपास करेंगी और उनकी मानिट्रिंग, सक्षम प्राधिकारी की निगरानी के अधीन की जाएगी।”

3. उक्त मूल नियम के उपाबंध VII के पश्चात् उपखंड 1.2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2. ताजी, प्रसंस्कृत प्रशीतित या शीतित पैकेज और पैक किया हुआ जल कृषि मछली तथा मछली उत्पाद उसी फर्म से उपास करेंगे जिसे भारत के तटीय जल कृषि प्राधिकरण/पदनामित प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिया गया हो।”

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण सं. का.आ. 730(अ) भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (ii) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किये गये और पश्चात्वर्ती संशोधन : का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2002, का.आ. 1029(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2002, का.आ. 1034(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2003, का.आ. 717 तारीख 25 फरवरी, 2005, का.आ. 612 तारीख 15 फरवरी, 2007 और का.आ. 1519(अ) 16 जून, 2008 के द्वारा किये गये।

**THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
ACT, 2005 (24 of 2005)**

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY ACT, 2005

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sec. No.		Page No.
CHAPTER I – PRELIMINARY		
1.	Short Title and Commencement	... 119
2.	Definitions	... 119
CHAPTER II – GENERAL POWERS OF CENTRAL GOVERNMENT		
3.	Powers of Central Government to take measures to Protect Environment	... 120
CHAPTER III – THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY		
4.	Establishment of Authority and Appointment of Chairperson and Members	... 120
5.	Disqualification for appointment as members	... 121
6.	Eligibility of member for reappointment	... 122
7.	Meetings of Authority	... 122
8.	Vacancy in Authority not to invalidate proceeding	... 122
9.	Appointment of officers consultants and other employees of Authority	... 122
10.	Authentication for orders and other instruments of Authority	... 122
CHAPTER IV – POWERS AND FUNCTIONS OF AUTHORITY		
11.	Functions of Authority	... 123
12.	Power to enter in coastal aquaculture units	... 123
13.	Registration for coastal aquaculture	... 123
14.	Punishment for carrying on coastal aquaculture without registration	... 126
15.	Cognizance of offence	... 126
CHAPTER V – FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT		
16.	Payment to Authority	... 126
17.	Fund of Authority	... 126
18.	Budget	... 126
19.	Annual Report	... 126
20.	Accounts and Audit	... 127
CHAPTER VI – MISCELLANEOUS		
21.	Chairperson and other members, officers and other employees of Authority etc., to be public servants	... 127
22.	Protection of action taken in good faith	... 127
23.	Power to remove difficulties	... 127
24.	Power of the Central Government to make rules	... 128
25.	Power of Authority to make regulations	... 129
26.	Rules and Regulations to be laid before Parliament	... 129
27.	Validation	... 129

**THE COASTAL AQUACULTURE
AUTHORITY ACT, 2005¹
No. 24 of 2005**

An Act to provide for the establishment of a Coastal Aquaculture Authority for regulating the activities connected with coastal aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows : –

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

(2) Provisions of Section 27 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date² as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.— (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) **“Authority”** means the Coastal Aquaculture Authority established under sub-section (1) of Section 4;
- (b) **“Chairperson”** means the Chairperson of the Authority;
- (c) **“coastal aquaculture”** means culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture;
- (d) **“coastal area”** means the area declared as the Coastal Regulation Zone, for the time being, in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 and includes such other area as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify;

³“Area of land within a distance of two kilometres from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters.”

1. Received the assent of the President of India on 23rd June, 2005—Published in Gazette of India, Extra., Part II, Sec.1, Issued No. 27, dated June 23, 2005.
2. Sections 2 to 26 came into force on 16.12.2005, vide S.O. 1771(E) dated 16.12.2005, published in the Gazette of India, Extra, Pt. II, Section 3(ii).
3. Inserted by S.O. 74(E) dated 23.1.2006.

Note: 1. The delineating boundaries along rivers, creeks and backwaters shall be governed by the distance up to which the tidal effects are experienced and where salinity concentration is not less than 5 parts per thousand (ppt). For this purpose the salinity measurements shall be made during the driest period of the year.

Note: 2. In the case of ecologically fragile areas such as Chilka Lake and Pulicat Lake, the coastal area shall extend up to a distance of two kms. from the boundary of the lakes.

- (e) **“member”** means the member of the Authority appointed under sub-section (3) of Section 4 and includes the Chairperson and the member-secretary;
 - (f) **“prescribed”** means prescribed by rules made under this Act;
 - (g) **“regulations”** means the regulations made by the Authority under this Act.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II

GENERAL POWERS OF CENTRAL GOVERNMENT

3. Powers of Central Government to take measures to protect environment.— The Central Government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for regulation of coastal aquaculture by prescribing guidelines, to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible coastal aquaculture contained in such guidelines shall be followed in regulating the coastal aquaculture activities to protect the livelihood of various sections of the people living in the coastal areas.

CHAPTER III

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

4. Establishment of Authority and appointment of Chairperson and members.— (1) With effect from such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established for the purposes of this Act an Authority to be called the Coastal Aquaculture Authority.

1. *Vide* S.O. 1803(E), dated 22nd December, 2005

(2) The head office of the Authority shall be at such place as the Central Government may decide.

(3) The Authority shall consist of the following members who shall be appointed by the Central Government, namely :—

- (a) the Chairperson who is, or has been, a Judge of a High Court;
- (b) one member who is an expert in the field of coastal aquaculture;
- (c) one member who is an expert in the field of coastal ecology nominated by the Department of Ocean Development of the Central Government;
- (d) one member who is an expert in the field of environment protection or pollution control nominated by the Ministry of Environment and Forests of the Central Government;
- (e) one member to represent the Ministry of Agriculture of the Central Government;
- (f) one member to represent the Ministry of Commerce of the Central Government;
- (g) four members to represent the coastal States on rotation basis;
- (h) one member-secretary.

(4) The term of office of the Chairperson and every other member shall be three years.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the members shall be such as may be prescribed.

5. Disqualification for appointment as member.— A person shall be disqualified for being appointed as a member if he —

- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stand so declared by a competent Court; or
- (d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Government; or
- (e) has, in the opinion of the Central Government, such financial or other interest in the Authority as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member.

6. Eligibility of member for reappointment.— Subject to sub-section (5) of Section 4, any person ceasing to be a member shall be eligible for reappointment as such member for not more than two consecutive terms.

7. Meetings of Authority. — (1) The Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum thereat) as may be specified by regulations.

(2) If for any reason the Chairperson is unable to attend any meeting of the Authority any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

8. Vacancy in Authority not to invalidate proceeding.— No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely by reason of —

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure adopted by the Authority not affecting the merits of the case.

9. Appointment of officers, consultants and other employees of Authority.—

(1) For the purposes of discharging its functions, the Authority shall appoint such number of officers and other employees as it may consider necessary on such terms and conditions as may be specified by the regulations.

(2) The Authority may appoint, from time to time, any person as adviser or consultant as it may consider necessary on such terms and conditions as may be specified by the regulations.

10. Authentication for orders and other instrument of Authority.— All orders, decisions and other instruments of the Authority shall be authenticated under the signature of the Chairperson or any other member or any officer of the Authority authorised by the Chairperson in this behalf.

CHAPTER IV

POWERS AND FUNCTIONS OF AUTHORITY

11. Functions of Authority.— (1) Subject to any guidelines issued by the Central Government under Section 3, the Authority¹ shall exercise the following powers and perform the following functions, namely :—

- (a) to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms within the coastal areas;
- (b) to inspect coastal aquaculture farms with a view to ascertaining their environmental impact caused by coastal aquaculture;
- (c) to register coastal aquaculture farms;
- (d) to order removal or demolition of any coastal aquaculture farms which is causing pollution after hearing the occupier of the farm; and
- (e) to perform such other functions as may be prescribed.

(2) Where the Authority orders removal or demolition of any coastal aquaculture farm under clause (d) of sub-section (1), the workers of the said farm shall be paid such compensation as may be settled between the workers and the management through an authority consisting of one person only to be appointed by the Authority and such authority may exercise such powers of a District Magistrate for such purpose, as may be prescribed.

12. Power to enter.— Subject to any rule made in this behalf, any person generally or specially authorised by the Authority in this behalf, may, wherever it is necessary to do so for any purposes of this Act, at all reasonable times, enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure and—

- (a) make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
- (b) remove or demolish any structure therein; and
- (c) do such other acts or things as may be prescribed :

Provided that no such person shall enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure without giving the occupier of such aquaculture land, pond, pen or enclosure at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

13. Registration for coastal aquaculture.— (1) Save as otherwise provided in this section, no person shall carry on, or cause to be carried on, coastal aquaculture in coastal area or traditional coastal aquaculture in the traditional coastal aquaculture farm which lies within the Coastal Regulation Zone referred to in sub-section (9) and is not used for coastal aquaculture purposes on the appointed day unless he has registered his farm with the Authority under sub-section (5) or in pursuance of sub-section (9), as the case may be.

1. *Vide* S.O. 1803(E) dated 22nd December 2005.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person engaged in coastal aquaculture, immediately before the appointed day, may continue to carry on such activity without such registration for a period of three months from that day and if he makes an application for such registration under sub-section (4) within the said period of three months, till the communication to him of the disposing of such application by the Authority.

(3) The registration made under sub-section (5) or in pursuance of sub-section (9)–

- (a) shall be valid for a period of five years;
- (b) may be renewed from time to time for a like period; and
- (c) shall be in such form and shall be subject to such conditions as may be specified by the regulations.

(4) A person who intends to carry on coastal aquaculture shall make an application for registration of his farm before the Authority in such form accompanied with such fees as may be prescribed for the purpose of registration under sub-section (5).

(5) On receipt of an application for registration of a farm under sub-section (4), the Authority shall consider the application in the prescribed manner and after considering the application either register the farm or reject the application :

Provided that the Authority shall not reject the application without recording the reason for such rejection.

(6) The Authority shall, after registering a farm under sub-section (5), issue a certificate of registration in the prescribed form to the person who has made the application for such registration.

(7) In the case of a farm comprising more than two hectares of water spread area, no application for registration to commence any activity connected with coastal aquaculture shall be considered under sub-section (5) unless the Authority, after making such inquiry as it thinks fit, is satisfied that registration of such farm shall not be detrimental to the coastal environment.

(8) Notwithstanding anything contained in this section,–

- (a) no coastal aquaculture shall be carried on within two hundred metres from High Tide Lines; and
- (b) no coastal aquaculture shall be carried on in creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone declared for the time being under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) :

Provided that nothing in this sub-section shall apply in the case of a coastal aquaculture farm which is in existence on the appointed day and to the non-commercial and experimental coastal aquaculture farms operated or proposed to be operated by any research institute of the Government or funded by the Government :

Provided further that the Authority may, for the purposes of providing exemption under the first proviso, review from time to time the existence and activities of the coastal aquaculture farms and the provisions of this section shall apply on coastal aquaculture farms in view of such review.

Explanation : – For the purposes of this sub-section, “High Tide Line” means the line on the land up to which the highest water line reaches during the spring tide.

(9) Notwithstanding anything contained in this section, any traditional coastal aquaculture farm which lies within the Coastal Regulation Zone declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 and is not used for coastal aquaculture purposes on the appointed day shall be registered under sub-section (5) by producing before the Authority, by the person who is the owner of such farm, the documentary proof of such ownership failing which such farm shall not be registered under sub-section (5) and if such person after such registration does not utilise such farm, within one year, for coastal aquaculture purposes, the registration shall be cancelled by the Authority.

(10) A person, who intends to renew the registration of a farm made under sub-section (5) or in pursuance of sub-section (9), may make an application within two months before the expiry of such registration to the Authority in the prescribed form accompanied with the prescribed fees and the Authority shall, after receiving such application, renew the registration and for such purpose make an entry with its seal on the registration certificate relating to such form issued under sub-section (6).

(11) The Authority may refuse to renew the registration of a farm under sub-section (10) if the Authority is satisfied that the person to whom such registration is made has failed to utilise such farm for coastal aquaculture purposes or without any reasonable cause has violated any provision of this Act or the rules or regulations made thereunder or any direction or order made by the Authority in pursuance of Section 11 :

Provided that such refusal to renew the registration shall not be made without providing such person an opportunity of being heard.

Explanation 1 : – For the purposes of this section, “appointed day” means the date of establishment of the Authority.

Explanation 2 : – For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “to renew the registration” used in sub-sections (10) and (11) shall be construed to include further renewal of the registration.

14. Punishment for carrying on coastal aquaculture without registration. — If any person carries on coastal aquaculture or traditional coastal aquaculture or causes the coastal aquaculture or traditional coastal aquaculture to be carried on in contravention of sub-section (1) of Section 13, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

15. Cognizance of offence. — No Court shall take cognizance of an offence under Section 14 without a written complaint filed by an officer of the Authority authorised in this behalf by it.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

16. Payment to Authority.— The Central Government may, after due appropriation made by Parliament, by law, in this behalf, pay to the Authority in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Authority under this Act.

17. Fund of Authority.— (1) The Authority shall have its own fund and all sums which may, from time to time, be paid to it by the Central Government and all the receipts of the Authority (including any sum which any State Government or any other authority or person may hand over to the Authority) shall be credited to the fund and all payments by the Authority shall be made therefrom.

(2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the Central Government, be decided by the Authority.

(3) The Authority may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Authority.

18. Budget.— The Authority shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget, in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure and copies thereof shall be forwarded to the Central Government.

19. Annual report.— The Authority shall prepare once in every calendar year, in such form and at such time as may be prescribed an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall

be forwarded to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

20. Accounts and audit.— (1) The Authority shall cause to be maintained such books of account and other books in relation to its accounts in such form and in such manner as may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, be prescribed.

(2) The Authority shall, as soon as may be, after closing its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form, and forward the same to the Comptroller and Auditor-General of India by such date, as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, determine.

(3) The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such times and in such manner as he thinks fit.

(4) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

21. Chairperson and other members, officers and other employees of Authority etc., to be public servants.— The Chairperson and other members and the officers and other employees of the Authority and the authority appointed by the Authority shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

22. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or the Authority or the Chairperson and other members of the Authority or the authority appointed by the Authority or any person authorised by the Authority or any officer authorised by the Chairperson for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or regulation or order made thereunder.

23. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

24. Power of the Central Government to make rules.— (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the guidelines under Section 3;
- (b) the salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the members under sub-section (5) of Section 4;
- (c) the other functions of the Authority under clause (e) of sub-section (1) of Section 11;
- (d) the powers of a District Magistrate to be exercised by the Authority under sub-section (2) of Section 11;
- (e) the rules subject to which any person referred to in Section 12 may enter upon any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure under that section;
- (f) the other acts or things under clause (c) of Section 12;
- (g) the form of application and the fees to be accompanied therewith under sub-section (4) of Section 13;
- (h) the manner of considering application under sub-section (5) of Section 13;
- (i) the form of certificate of registration under sub-section (6) of Section 13;
- (j) the form of application and the fees to be accompanied therewith under sub-section (10) of Section 13;
- (k) the form and time of preparing budget under Section 18;
- (l) the form and time of preparing annual report under Section 19;
- (m) the books of account and other books to be maintained in relation to the accounts of the Authority and the form and manner of maintaining such books of account and other books under sub-section (1) of Section 20;
- (n) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

25. Power of Authority to make regulations.— (1) The Authority may, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the times and places of the meetings of the Authority and the rules of procedure to be observed in regard to the transaction of business at its meetings (including quorum thereat) under sub-section (1) of Section 7;
- (b) the terms and conditions of appointment of the officers and other employees under sub-section (1) of Section 9;
- (c) the terms and conditions of appointment of adviser or consultant under sub-section (2) of Section 9;
- (d) for the construction and operation of coastal aquaculture farms within the coastal areas under clause (a) of sub-section (1) of Section 11;
- (e) the form and conditions of registration under clause (c) of sub-section (3) of Section 13;
- (f) generally for better regulation of the coastal aquaculture.

26. Rules and Regulations to be laid before Parliament.— Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

27. Validation.— (1) Notwithstanding anything contained in clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 or clause (d) of sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (29 of 1986), in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 (hereafter referred to in this section as the said notification), in paragraph 2 after sub-paragraph (xiii), the following sub-paragraph shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted with effect from the 19th day of February, 1991, namely :—

“(xiv) nothing contained in this paragraph shall apply to coastal aquaculture”.

(2) The said notification shall have and shall be deemed always to have effect for all purposes as if the foregoing provisions of this section had been in force at all material times and accordingly notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or other authority, no coastal aquaculture carried on or undertaken or purporting to have been carried on or undertaken shall be deemed to be in contravention of the said notification and shall be deemed to be and to have always been for all purposes in accordance with law, as if the foregoing provisions of this section had been in force at all material times and notwithstanding anything as aforesaid and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court for the enforcement of any direction given by any Court of any decree or order directing the removal or closure of any coastal aquaculture farm's activity or demolition of any structure connected thereunder which would not have been so required to be removed, closed or demolished if the foregoing provisions of this section had been in force at all material times.

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
RULES, 2005**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY RULES, 2005¹

ARRANGEMENT OF RULES

Sec. No.		Page No.
CHAPTER I – PRELIMINARY		
1.	Short title and commencement	... 133
2.	Definitions	... 133
CHAPTER II – GUIDELINES		
3.	Guidelines for regulation of coastal aquaculture under Section 3 of the Act annexed under Rules	... 134
CHAPTER III – THE AUTHORITY AND ITS COMMITTEES		
4.	Terms and conditions of the service of Chairperson and Members	... 134
5.	Functions of the Authority	... 136
CHAPTER IV – POWERS AND FUNCTIONS OF THE ONE MAN AUTHORITY		
6.	Powers and functions of the One man Authority	... 138
7.	Power to enter on any coastal aquaculture land	... 138
8.	The acts or things which are to be done under clause (c) of Section 12 of the Act	... 139
CHAPTER V – REGISTRATION AND RENEWAL		
9.	Application for registration and the fees to be paid under sub-section (4) of Section 13	... 140
10.	The manner of considering application for registration	... 140
11.	The form for using a certificate of registration	... 142
12.	Application for renewal of registration and the fees to be paid	... 143
13.	The form and time for preparation of the budget	... 143
14.	The form and time for preparation and submission of annual report	... 144
15.	The form and manner of maintaining the accounts of the Authority	... 145
	FORM I	... 146
	FORM II	... 149
	FORM III	... 151

1. Notification No. G.S.R 740(E), Ministry of Agriculture (Dept. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries), dated 22nd December 2005 – In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government framed the rules and published in the Gazette of India, Extra. Part II, Sec. 3(i) dated 22nd December, 2005.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY RULES, 2005

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. —

In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) **“Act”** means the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005);

(b) **“Authority”** means the Coastal Aquaculture Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(c) **“Chairperson”** means the Chairperson of the Authority;

¹[(ca) **“Farm”** means coastal aquaculture farm intended for culturing endemic or exotic shrimp species, fish or any other aquatic animals in saline or brackishwater];

(d) **“Fee”** means any fee stipulated in these rules;

(e) **“Form”** means Form annexed to these rules;

(f) **“Guidelines”** mean the guidelines made under Section 3 of the Act;

²[(fa) **“Hatchery”** means ³[***] hatchery intended to rear broodstock of endemic or exotic ³[***] species, fish or any other aquatic animals in saline or brackishwater for breeding to produce its seed for supply to farms;]

(g) **“Member”** means the member of the Authority appointed under sub-section (3) of Section 4 of the Act and includes the Chairperson and the Member-Secretary;

(ga)⁴ []

1. Inserted by G.S.R. 302(E), dated 30.4.2009

2. Inserted by G.S.R. 302(E), dated 30.4.2009

3. The word “shrimp” omitted by G.S.R. 280(E), dated 23.3.2012

4. [“Quarantine” meanse procedures laid down in the guidelines under livestock importation act, 1898;] Inserted by G.S.R. 302(E) dated 30.4.2009 and omitted by G.S.R. 280(E) dated 23.3.2012

- (h) **“Regulations”** mean the regulations made by the Authority;
- (i) **“Notification”** means a notification published in the Official Gazette;
- (j) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) or in the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II

GUIDELINES

3. Guidelines for regulation of coastal aquaculture under Section 3 of the Act are annexed to these rules :-

Please refer to Page No. 153

CHAPTER III

THE AUTHORITY AND ITS COMMITTEES

4. Terms and conditions of the service of Chairperson and Members :-

The terms and conditions of service of Chairperson and Member.—

- (1) The Chairperson shall be entitled to such salary and allowances and such conditions of service in respect of leave, pension, and other matters as may from time to time, be fixed by the Central Government for a Secretary to the Government of India.
- (2) The Member-Secretary of the Authority shall be entitled to such salary and allowances and such conditions of service in respect of leave, pension and other matters as may be fixed by the Central Government for an Additional Secretary to the Government of India.
- (3) The members appointed under clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (3) of Section 4 of the Act shall be part-time members. They shall not be entitled for any salary and allowances under this Act except that non-official members will be entitled to sitting fees as well as TA, DA, etc., as may be fixed by the Central Government from time to time.

-
- (4) A member appointed under clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (3) of Section 4 of the Act shall cease to be a member if he / she ceases to hold the office by virtue of which he / she was appointed.
 - (5) The Chairperson may resign his / her office by giving notice in writing to the Central Government and upon such resignation being accepted by the Central Government, the Chairperson shall be deemed to have vacated his / her office.
 - (6) A member may resign his / her office by a letter addressed to the Chairperson. The office of a member shall fall vacant from the date on which the resignation of such member is accepted by the Central Government or on expiry of 30 days from the date of the receipt of the resignation by the Chairperson, whichever is earlier.
 - (7) The Central Government may remove any member who becomes subject to disqualification under Section 5 of the Act.
 - (8) The Central Government may also remove any member, if he / she without the approval of the Chairperson, fails to attend three consecutive meetings of the Authority.
 - (9) The Member-Secretary shall be responsible for the implementation of the decisions arrived by the Authority or by the Committees set up by it and the discharge of the duties imposed on him / her under the rules.
 - (10) The Member-Secretary shall in consultation with the Chairperson, fix the date, time, place and also draw up agenda for every meeting.
 - (11) The Member-Secretary shall have powers of general superintendence, which shall include :
 - (a) to grant leave to the Officers and Staff of the Authority;
 - (b) to exercise administrative control over all divisions and officers of the Authority;
 - (c) to call for documents and record and to inspect or cause to be inspected, the accounts and places of storage or of business as required under the rules;
 - (d) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Authority;
 - (e) cause all important papers and matters to be presented to the Authority as early as practicable; and

- (f) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Authority.

5. Functions of the Authority.— The Authority shall perform the following functions to -

- (i) ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and the land meant for public purposes and national parks and sanctuaries shall not be converted for construction of coastal aquaculture farms so as to protect the livelihood of coastal community;
- (ii) deal with any issues pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- (iii) survey the entire coastal area of the country and advise the Central Government and the State / Union Territory Governments to formulate suitable strategies for achieving eco-friendly coastal aquaculture development;
- (iv) advise and extend support to the State / Union Territory Governments to construct common infrastructure *viz.*, common water in-take and discharge canals by the coastal aquaculture farms and common effluent treatment systems for achieving eco-friendly and sustainable development of coastal aquaculture;
- (v) fix standards for all coastal aquaculture inputs *viz.*, seed, feed, growth supplements and chemicals / medicines for the maintenance of the water bodies and the organisms reared therein and other aquatic life;
- (vi) carry-out and sponsor investigations and studies / schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies in coastal aquaculture;
- (vii) collection and dissemination of data and other scientific and socio-economic information in respect of matters related to coastal aquaculture;
- (viii) prepare manuals, codes and audiovisual material relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating thereto;
- (ix) organise through media and other means of communication a comprehensive programme regarding sustainable utilisation and fair and equitable sharing of the coastal resources for aquaculture purpose;

-
- (x) plan and organise training of personnel engaged or likely to be engaged in programmes for sustainable utilisation of the coastal resources for aquaculture purposes;
 - (xi) constitute various technical committees, sub-committees, working groups, sub-groups comprising the Members and Officers of the Authority, Scientists and Officers of the National Research Institutes / State Governments / Representatives of the Civil Society for preparation of technical manuals, code of conduct, etc.
 - (xii) direct the owners of the farm to carry out such modifications to minimise the impacts on coastal environment including stocking density, residual levels / use of antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds.
 - (xiii) order seasonal closure of farms for ensuring sustainability of the coastal aquaculture practices;
 - (xiv) order closure of coastal aquaculture farm in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods or for any other reasons considered necessary in the interest of coastal environment.
 - (xv) cancel the certificate of registration where it is satisfied that any person has obtained a certificate of registration under sub-rule (1) of Rule 11 by furnishing false information or that he / she has contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration, without prejudice to any other action, that may be taken against such person :
Provided that before cancelling such certificate, the person concerned shall be given an opportunity to make his / her representation,
Provided further that a copy of the order together with the reasons for the cancellation shall be communicated to the person concerned;
 - (xvi) frame recruitment rules for the posts created for the Coastal Aquaculture Authority and till such time issue order that the recruitment to the posts be made on the basis of recruitment rules for analogous posts in the Central Government.
 - (xvii) determine the pay, leave, allowances and other terms and conditions of the service of the employees of the Authority :
Provided that the pay, leave, allowances, other conditions of service and other facilities and concessions such as advances of pay, advances of conveyance, construction of houses and the like in respect of all employees in Coastal Aquaculture Authority shall be regularised in accordance with such rules and orders as are for

the time being applicable to officers and employees of the Central Government of the corresponding grades or status stationed at those places till separate regulations are made by the Coastal Aquaculture Authority.

- (xviii) make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines under Rule 3 from time to time taking into account the changes in technology, farming practices, etc., and incorporating such modifications in the guidelines to ensure environmental protection and the livelihoods of the coastal communities.

CHAPTER IV

POWERS AND FUNCTIONS OF THE ONE MAN AUTHORITY

6. Powers and functions of the One man Authority.—

- (a) The one man authority to be appointed under sub-section (2) of Section 11 of the Act shall exercise the powers of a District Magistrate with regard to the compensation as may be settled between the workers and the management.
- (b) While settling the compensation to be paid to the workers, factors such as the likely loss of income for the workers, the alternate employment opportunities for them and the paying capacity of the employer may be taken into account.
- (c) For the purpose of ensuring that the amount of compensation settled is paid to the workers, the one man authority shall exercise the powers of the Collector and District Magistrate under the land revenue laws of the respective States.

7. **Power to enter on any coastal aquaculture land.**— The powers of a person authorised by the Authority to enter on any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure shall be subject to the following :—

- (i) the person authorised by the Authority shall have the powers to take one or more persons including police personnel to carry out the functions mentioned in this section;
- (ii) the Authority's decisions to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry as well as removal or demolition of any structure shall be intimated to the owner of the coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure or his / her representative

at least 24 hours in advance in writing and delivered to him / her by registered post or by messenger. In addition, such notice shall also be pasted at a prominent place in the premise of the coastal aquaculture farm. In case of refusal by the owner to accept the notice, such pasting shall be deemed to be due service of the notice on him;

- (iii) the activities mentioned in Section 12 of the Act shall be carried out in the presence of the owner or his / her representative if he desires to do so. The owner may also be permitted to bring his / her own staff (not more than two) to assist in the inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
- (iv) removal or demolition of any structure should be carried out under a panchanama and wherever possible a representative of the local body should be included in the team and his / her signature recorded in the panchanama;
- (v) the person(s) authorised by the Authority to perform the functions as mentioned under clauses (a) and (b) of Section 12 of the Act shall do so only during the daytime, *i.e.*, after sunrise and before sunset;
- (vi) the person(s) authorised by the Authority to perform the functions under clause (a) of Section 12 of the Act shall endeavour that such functions are carried out without causing any damage to the civil structures, equipment, machinery or the standing crop.

8. The acts or things which are to be done under clause (c) of Section 12 of the Act :

Any person authorised by the Authority shall.— (1) take samples of water, soil and the farmed animal for the purpose of detection of banned antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds and to adopt appropriate procedures for collection, analysis, reporting and follow up action;

(2) subject to the provision of Rule 7, remove or demolish any coastal aquaculture farm which is causing pollution and which was not removed or demolished after an order to that effect, passed under clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the Act.

(3) drain the water from the coastal aquaculture farm or destroy the crop which is causing pollution in respect of which an appropriate order passed under clause (e) of sub-section (1) of Section 11 of the Act has not been complied with.

(4) authorise / recognise laboratories to carry out analysis of soil, water, farmed animals / other farmed aquatic life for the purpose of detection of banned antibiotics, chemicals and other pharmacologically active compounds.

CHAPTER V

REGISTRATION AND RENEWAL

9. Application for registration and the fees to be paid under sub-section (4) of Section 13.— (1) Every application for the registration of a coastal aquaculture farm shall be made to the District Level Committee as set up by the Authority in Form I, obtainable from the office of the District Level Committee or the office of the Authority or be downloaded from the website of the Authority.

(2) Every application under sub-rule (1) for the registration of coastal aquaculture farm specified in column (1) of the Table below shall be accompanied by the fee specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

Table

(1)	(2)
1. Up to 5.0 hectare (ha) water spread area	Rs. 200/- per ha (or fraction of a ha), subject to a minimum of Rs. 500/-.
2. From 5.1 to 10 ha water spread area	Rs. 1000/- plus Rs. 500/- per ha (or fraction of a ha) in excess of 5 ha.
3. From 10.1 ha water spread area and above	Rs. 3500/- plus Rs. 1000/- per ha (or fraction and above of a ha) in excess of 10 ha.

(3) The fees for registration shall be payable in the form of Demand Draft in favour of the Member Convenor of the District Level Committee set up by the Authority.

10. The manner of considering application for registration.— (1) On receipt of an application under sub-rule (1) of Rule 9, the District Level Committee shall verify the particulars given in the application in respect of all coastal aquaculture farms irrespective of their size; and

- (a) in the case of coastal aquaculture farms up to 2.0 ha water spread area, the District Level Committee upon satisfaction of the information furnished therein shall recommend the application directly to the Authority for consideration of registration under intimation to the State Level Committee.
- (b) in the case of coastal aquaculture farms above 2.0 ha water spread area, the District Level Committee shall inspect the concerned farm to ensure that the farm meets the norms specified in the guidelines with specific reference to the siting of coastal aquaculture farms and recommend such applications to the

State Level Committee, which upon satisfaction shall further recommend the application to the Authority for consideration of registration.

(2) In case any defect is noticed in the application, the attention of the applicant shall be drawn in writing, requesting him / her to rectify the defect within a specified period and in case of failure on the part of the applicant to rectify the defect within such period, the registration shall be refused.

(3) The time-frame for consideration of application for registration shall be as specified in the regulations.

(4) For the purpose of this rule, the compositions of District Level and State Level Committees shall be as below :-

A. District Level Committee

- | | |
|---|-------------------|
| (a) District Collector | – Chairperson |
| (b) Representative of the State /
Union Territory
Revenue Department | – Member |
| (c) Representative of the State /
Union Territory
Agriculture Department | – Member |
| (d) Representative of the State /
Union Territory
Environment Department | – Member |
| (e) Representative of the State /
Union Territory Zilaparishad | – Member |
| (f) Assistant Director / District Level
Fisheries officer of the State / Union
Territory Fisheries Department | – Member-Convener |

B. State Level Committee

- | | |
|--|---------------|
| (a) Secretary-in-charge of Fisheries
of the State / Union Territory
Government | – Chairperson |
| (b) Secretary-in-charge of Revenue of
the State / Union Territory
Government | – Member |
| (c) Secretary-in-charge of Environment
of the State / Union Territory
Government | – Member |

- (d) Representative of The Marine Products Export Development Authority – Member
- (e) Director / Commissioner-in-charge of Fisheries of the State / Union Territory Government – Member-Convener

(5) Where the applications for registrations is refused, the reasons for such refusal shall be recorded in writing and a copy of the same along with the order of refusal shall be furnished to the applicant;

(6) The Authority or any officer authorised by the Authority may require the applicant to furnish within a specified period such additional information as he / she may consider necessary for the purpose of registration / renewal and every such applicant shall be bound to furnish such information within the specified period.

(7) The Authority may, by order, refuse an application for registration / renewal of a coastal aquaculture farm if the applicant fails to furnish the information asked for or furnishes incorrect information; a copy of the order together with reasons for such refusal shall be communicated to the applicant.

(8) Nothing in sub-rule (5) shall preclude the applicant to apply afresh for registration after six months of the rejection made thereunder, if the applicant has rectified the defects and has reasons to believe that he can fully comply with the standards specified by the Authority.

(9) If during the period when the registration of the coastal aquaculture farm is in force, the owner thereof desires to make any change, he / she shall apply to the Authority at least thirty days in advance and the Authority shall make such enquiries, as considered necessary before order can be passed for effecting the change. Where the Authority agrees to the change, details of such change shall be entered in the certificate of registration.

(10) Any person aggrieved by an order of refusal under sub-rule (5) of Rule 10 may within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of refusal or cancellation, as the case may be, appeal to the Chairperson who may either affirm, vary or set aside such order.

11. The form for using a certificate of registration.—

Where the application for registration is not refused, a certificate of registration shall be granted in Form II and shall be subject to the terms and conditions specified in the certificate.

12. Application for renewal of registration and the fees to be paid.—

(1) Every application for renewal of registration of a coastal aquaculture farm shall be made before two months of the expiry of such registration to the Authority in Form III and the Authority shall renew the registration for a further period of five years.

(2) The fees payable for renewal of registration shall be same as specified under sub-rule (2) of Rule 9 for registration.

(3) Every application for renewal of registration of a coastal aquaculture farm shall be made to the District Level Committee, which upon examination shall forward it to the Authority through the State Level Committee.

(4) The time-frame for consideration of renewal of registration shall be as specified in the regulations.

(5) Where the Authority is satisfied that further continuation of the said coastal aquaculture farm is harmful to the coastal environment it shall refuse to renew the registration :

Provided that before refusal to renew the registration, the Authority shall give the concerned person an opportunity to be heard;

Provided further that a copy of the order together with the reasons for the refusal to renew the registration shall be communicated to the person concerned.

(6) Any person aggrieved by an order of refusal of renewal may within thirty days from the date of receipt by him of a copy of the order of refusal, appeal to the Chairman who may affirm, vary or set aside such order.

13. The form and time for preparation of the budget. —

(1) The Authority shall, in each financial year, prepare a budget for the Coastal Aquaculture Authority for the next financial year and shall submit it for sanction to the Central Government on or before such dates as may be appointed by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government and the sanction for that expenditure by the competent authorities is received.

(3) The budget shall be prepared in the following form or as may be directed by the Central Government indicating :—

- (a) the estimated opening balance;
- (b) the estimated receipts referred to in sub-section (1) of Section 17 of the Act;

- (c) the estimated expenditure classified under the following broad heads or such other heads as per the schemes approved by the Central Government, namely
 - (i) Administration;
 - (ii) Development;
 - (iii) Statistics;
 - (iv) Inspection / Works;
 - (v) Financial and other assistance / subsidy scheme;
 - (vi) Others

Note: Wherever applicable, full details shall be given, under various sub-heads for each broad head, indicating estimated expenditure including that of pay of officers, pay of establishment, allowance, honoraria, contingencies and the like.

(4) Supplementary estimates of expenditure, if any, shall be submitted for the sanction of the Central Government in such form and on such dates as may be directed by it in this behalf.

14. The form and time for preparation and submission of annual report.—

(1) The Chairperson or such employee of the Authority as may be authorised in this behalf, shall prepare, as soon as may be after the commencement of the each financial year the annual report which shall include an account of the activities of the Authority during the previous financial year which shall contain the following information –

- (a) a statement of corporate and operational goals and objectives of the Authority;
- (b) annual targets and physical and financial terms set for various activities in the background of sub-rule (1) together with a brief review of the actual performance with reference to those targets;
- (c) an administrative report on the activities of Authority during the previous financial year and an account of the activities which are likely to be taken up during the next financial year;
- (d) a summary of the actual financial results during the previous financial year and year of report;
- (e) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the profitability or functioning of the Authority;
- (f) new projects or expansion schemes contemplated together with their advantages, financial implications and programme for execution;

-
- (g) important changes in the organisational set up of the Authority;
 - (h) report on employer-employee relations and welfare activities of the Authority; and
 - (i) report on such other miscellaneous subjects as deemed fit by the Authority or the Central Government for reporting to the latter.

(2) The annual report shall be placed for adoption in the meeting of the Authority and shall be signed by the Chairman or in his absence by two members authorised for the purpose by the Chairman and authenticated by fixing the common seal of the Authority and required copies thereof shall be submitted to the Central Government by the thirty-first day of December of the following year.

15. The form and manner of maintaining the accounts of the Authority.—

(1) The Authority shall maintain accounts of all receipts and expenditure relating to every financial year.

(2) A separate bank account shall be maintained for the registration fee.

(3) The expenditure incurred in a particular financial year shall be shown under separate heads and sub-heads.

(4) The opening balance, if any, shall also be stated as such separately.

(5) The closing balance of the year shall be shown at the foot of the accounts on the expenditure side.

(6) The books of accounts, other books in relation to the accounts, will be maintained in the form as laid down in various General Financial Rules, Central Treasury Rules, Receipts and Payment Rules in force from time to time except as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Treasury Rules, the Delegation of Financial Power Rules, 1958, and the General Financial Rules, 1962 of the Central Government, for the time being in force, shall subject to such modifications or adaptations as may be made by the Authority therein with the previous approval of the Central Government and shall apply to all financial transactions of the Authority.

FORM I
(See Rule 9)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
MINISTRY OF AGRICULTURE

Application for Registration of Coastal Aquaculture Farm

1. Name of the applicant(s)/ registered company/ establishment (in BLOCK LETTERS with permanent address) :
2. Address for Communication (in BLOCK LETTERS) :
3. Whether the application is for:
 - (a) Registration of aquaculture farm already operating in coastal area : Yes/ No
 - (b) Registration of new aquaculture farm to be constructed : Yes/ No
4. Details of land for which registration is applied for:
 - (a) State :
 - (b) District :
 - (c) Taluk/ Mandal :
 - (d) Revenue Village :
 - (e) Survey Number(s) :
 - (f) Ownership right (whether freehold or lease hold) :
 - (g) Total Farm Area (in hectare) :
 - (h) Water Spread Area (in hectare) :
5. If the whole or a part of the above land falls under any one of the following categories, please furnish details :

Category	Village	Survey Number(s)	Extent (in ha)
(a) Agricultural land			
(b) Forest land			
(c) Lands for village common purpose			
(d) Land meant for public purpose			
(e) Wet lands			
(f) Mangroves			
(g) Salt pan			

-
6. Indicate the distance of unit site from
- (a) High tide line :
 - (b) Nearest drinking water source :
 - (c) Agricultural land :
 - (d) Mangrove :
 - (e) Marine protected area :
 - (f) Adjacent aquaculture farm :
 - (g) Human settlements (indicate the population of the settlement) :
 - (h) National parks :
 - (i) Sanctuaries :
 - (j) Reserve forests :
 - (k) Breeding, spawning grounds and other aquatic life :
 - (l) Beaches :
 - (m) Coral reefs :
 - (n) Heritage area :
7. Water source for the Aquaculture Unit
- (a) Sea : Yes/ No
 - (b) Creek/ estuary/ canal/ backwater : Yes/ No
 - (c) If the water source is as mentioned in (b) above, indicate the name of the source :
8. Date of commencement of operations of existing aquaculture farm :
9. *Furnish Project Report giving details with sketch (to scale) of design and layout of the aquaculture farm in operation/ proposed along with operational details, water intake and wastewater treatment facility :
10. *Whether Environment Impact Assessment (EIA)/ Environment Management Plan (EMP) were carried out on the environment of the aquaculture farm with reference to other land uses in its neighborhood and based on operational details of the unit as furnished in the Project Report, please state specifically, whether :-

- (a) the aquaculture activity has the effect of causing water logging of adjacent areas or polluting the drinking water sources. :
- (b) by use of supplementary feeds/ medicines/ drugs, etc., will consequently increase sedimentation which will be harmful to the environment. :
- (c) such activity would cause siltation, turbidity with detrimental implication on local fauna and flora. :
- 11.* If Environment Impact Assessment (EIA) has been done, please attach the report :
- 12.* If Environment Management Plan (EMP) has been drawn up, please furnish details :
- 13.* If Effluent Treatment System (ETS) has been in operation/ proposed, please furnish layout, design and technical details :
14. Details of remittance of processing fee :

Declaration

I/ We son(s)/
 daughter(s)/ wife of
 residing at
 hereby declare that the information furnished above is true to the best of my/ our knowledge and belief. I am/ we are fully aware that if it is found that the information furnished by me/ us is false or there is any kind of deviation/ violation of the conditions on which certificate of registration may be issued by the Authority, the Certificate of Registration issued may be either suspended or cancelled.

Place :

Date :

Signature of the Applicant(s)

* Applicable for farms with water spread area of more than 2 (two) hectares.

FORM II
(See Rule 11)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
MINISTRY OF AGRICULTURE

Certificate of Registration of Coastal Aquaculture Farm

Under section 13 of Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and rule 11 of Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005.

Reg. No. Dated:

The coastal aquaculture farm of Shri/ Smt/ M/s.....
son/daughter/wife of
residing at
is registered by the Coastal Aquaculture Authority *vide* No.
dated

Details of Unit and Technology to be Followed

1. Location of the Farm

	State	District	Taluk/Mandal	Revenue Village
2. Survey Number (s)			:	
3. Area of the farm (in hectare)			:	
a) Total farm area			:	
b) Total water spread area			:	
4. Species to be cultured			:	
5. Stocking density			:	
6. No. of crop(s)/ year			:	

Place :

Date :

Signature of the Officer
issuing the Certificate

(Seal of the Authority)

Conditions for Registration of Coastal Aquaculture Farm

1. This Certificate of Registration is granted subject to the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 and the Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2005 and the Guidelines issued thereunder.
2. This Certificate of Registration is not transferable.
3. Any change in the layout, design, area and stocking density (or) other matter should be got approved by the Authority.
4. The environmental requirements should conform to the guidelines and the regulations issued in this behalf by the Coastal Aquaculture Authority from time to time.
5. The owner of the coastal aquaculture farm shall also comply with such other instructions/ conditions as may be from time to time issued by the Authority.

FORM III

(See Rule 12)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**MINISTRY OF AGRICULTURE****Application for Renewal of Registration by Coastal Aquaculture
Authority for Undertaking Shrimp Aquaculture**

1. Name(s) of the Applicant(s)/
registered company/establishment :
(in BLOCK LETTERS)
2. Address for Communication :
(in BLOCK LETTERS)
3. Details of location/land of the farm
for which approval had been issued :
 - (a) Total Area and Water Spread Area (ha) :
 - (b) Survey No.(s) of the Farm/Pond :
 - (c) Village :
 - (d) Taluk :
 - (e) District :
 - (f) Average stocking density followed :
(in number/m²)
 - (g) Average production obtained :
(kg/ha/crop)
 - (h) Technology followed :
 - (i) No. and date of the Registration issued
by the Authority (Photo copy of the
approval issued by the Authority has to be
enclosed) :
4. Details of remittance of Processing fee :

DECLARATION

I/We.....
 son(s)/ daughter(s)/ wife of
 residing at

hereby declare that information furnished above is true to the best of my/ our knowledge and belief. The shrimp culture operations carried out by me/ us had not neither polluted the environment nor damaged the ecology of the adjacent area. I am/ we are fully aware that if it is found that the information furnished by me/ us is false and there is any kind of deviation/ violation of the conditions on which registration was granted by the Authority, the authorisation/ renewal granted to me/ us may be either suspended or cancelled.

Place :

Date :

Signature of Applicant(s)

CAA GUIDELINES FOR COASTAL AQUACULTURE
(CHAPTER II OF CAA RULES)

CAA GUIDELINES FOR COASTAL AQUACULTURE

(Chapter II of Coastal Aquaculture Authority Rules)

ARRANGEMENT OF ANNEXURES

Sl. No.	Page No.
1. Annexure I : Guidelines for regulating Coastal Aquaculture	... 155
2. Annexure II : Guidelines for regulating Hatcheries and Farms for introduction of SPF <i>Litopenaeus vannamei</i>	... 187
Part I : Safeguards and regulations of operation of Hatcheries	... 187
Part II : Norms and regulations for approval and operation of Farms	... 190
3. Annexure III : Guidelines for seed production and culture of SPF <i>Penaeus monodon</i>	... 194
4. Notification – Guidelines regulating the method of operation of Aquatic Quarantine for import of SPF <i>Litopenaeus vannamei</i>	... 203

CAA GUIDELINES

CHAPTER II of CAA Rules *vide* G.S.R. 740(E) dated 22nd December, 2005

¹[Annexure -I]

[See Rule 3]

GUIDELINES FOR REGULATING COASTAL AQUACULTURE

Contents

- 1.0 Introduction
- 2.0 Shrimp aquaculture
- 3.0 Shrimp aquaculture practices
- 4.0 Site selection
- 5.0 Construction and preparation of shrimp farms
- 6.0 Water quality and its management
- 7.0 Seed production
- 8.0 Seed selection and stocking
- 9.0 Feed and feed management
- 10.0 Health management of shrimps
- 11.0 Use of chemicals and drugs
- 12.0 Harvest and post-harvest
- 13.0 Wastewater management
- 14.0 Farm hygiene and management
- 15.0 Environment impact assessment
- 16.0 Environment monitoring and management plans
- 17.0 Cluster management, record maintenance and networking
- 18.0 Integrated coastal zone management
- 19.0 Protecting the livelihood of various coastal communities

Appendix

Guidelines for Regulating Coastal Aquaculture

1.0 Introduction :

- 1.1 Coastal aquaculture entails managed farming or culture of organisms in saline or brackishwater areas for the purpose of enhancing production, both for domestic and export markets. Coastal aquaculture in the broader sense includes culturing of crustaceans like shrimp,

1. "Annexure" renumbered as "Annexure I" by G.S.R 302(E) dated 30.4.2009.

prawn, lobsters, crabs and finfishes like groupers, sea bream, mullets and molluscs like clams, mussels and oysters.

- 1.2 These guidelines are to ensure orderly and sustainable development of shrimp aquaculture in the country. The guidelines are intended to lead to environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture and also enhance the positive contributions that shrimp farming and other forms of aquaculture can make to socio-economic benefits, livelihood security and poverty alleviation in the coastal areas.
- 1.3 The present guidelines are to cover the entire gamut of shrimp farm management and measures to reduce the environmental impact of the wastewater discharged from shrimp farms, treatment of such wastes and mitigation of the adverse impact of such wastes on the environment as well as resolution of social conflicts, which could lead to sustainable development of shrimp aquaculture. The guidelines are intended to assist the farmers in adopting good management practices (GMP).
- 1.4 These guidelines are for the use of all stakeholders involved, including shrimp farmers, the coastal community, State Fisheries Departments, Pollution Control Boards and the Ministries and Departments of the Governments of India and the States.

2.0 Shrimp aquaculture :

- 2.1 Shrimp aquaculture is one of the most common and popular farming practices in the coastal areas. By the end of 2004 out of an estimated 12 lakh ha amenable for coastal area only about 1,50,000 ha is under shrimp farming producing about 1,20,000 tonnes of shrimp every year. *Penaeus monodon* is the most commonly farmed species for which the technology is also well established. Presently, about 80 per cent of the shrimp culture activities in the country are under traditional / extensive systems.
- 2.2 Shrimp aquaculture also resulted in development of several ancillary / associated activities such as seed production, feed production and processing units as well as aquaculture machinery / equipment production. Together, these activities have contributed to the generation of livelihood options and employment opportunities in the coastal areas.

3.0 Shrimp aquaculture practices :

- 3.1 The technology, scale and intensity of shrimp aquaculture determine the production and productivity as well as the environmental and socio-cultural impacts on the coastal environment. Presently,

traditional / improved traditional and scientific extensive shrimp farming practices are most common and adopted by the farmers in the coastal areas of the country. Traditional / improved traditional systems are characterised by low stocking densities and limited application of supplementary feeding or fertilisers. In scientific extensive farming, supplementary seed and feed are encouraged as a means of integrating more effectively the use of land and water resources in the coastal areas.

- 3.2 The other technologies of shrimp farming such as semi-intensive and intensive are not recommended as they involve the use of higher stocking density of seed and larger quantities of feed and fertilisers. Such practices generally place larger demands on the natural resources and result in higher organic load leading to pollution and social impacts in the coastal areas. Therefore, only traditional / improved traditional and scientific extensive systems of shrimp farming shall be permitted in the coastal areas.

4.0 Site selection :

- 4.1 Site selection is an important process in aquaculture as this can often decide the success or failure of the shrimp farm, small or large. Besides technological (biological, physical and chemical) aspects of aquaculture, the environmental and socio-economic aspects covering social, economic and legal issues are important parameters to be considered while finalising the site for setting up a shrimp farm. It is also essential to look into the previous use(s) and topography of the site to determine the adequacy of the site and cost of farm construction.
- 4.2 The following guidelines on site selection are to ensure that shrimp farms are harmoniously integrated into the local environment and social settings. By identifying the limitations that influence the suitability of a site, it is possible to incorporate corrective measures in the farm design and also formulate remedial measures for the negative impacts likely to arise out of these limitations.
- 4.3 Large-scale shrimp aquaculture may bring in excessive demand on land resources, resulting in multi-user conflicts. Construction of shrimp farms may make inroads into agricultural land. The States must undertake detailed surveys to identify lands / areas, which are fit for different purposes and allocate suitable area for shrimp farming. They should discourage conversion of agriculture land for aquaculture. Construction of shrimp ponds on marginal land not fit for cultivation alone should be permitted. However, the competitive and cooperative activities of the different sectors concerned should also be considered while giving approval to setting up of shrimp farms.

- 4.4 Generally clayey loam soils are preferred. High capital and operational cost will be involved in maintaining a farm in sandy area, which is also to be avoided owing to the high water percolation through the sandy soils, and possible environmental damage which could arise from it. Further, the topography of the soil and its contour should be ascertained in relation to the water intake and drainage points as well as construction costs. A better site is the one, which involves lesser capital investment for constructing fully drainable ponds.
- 4.5 The quality of soil should be ascertained for soil pH, permeability, bearing capacity and heavy metal content. Soil with low pH of below 5 (example acid sulphate soils) should be avoided. Similarly, soils with high concentrations of heavy metals also should be avoided. The suitable soil characteristics ideal for construction of a shrimp farm are as follows :

pH	Organic carbon	Calcium carbonate	Available nitrogen	Available phosphorus	Electrical conductivity
7-8	1.5-2.5%	> 5%	50-75 mg/100 g soil	4-6 mg/100 g soil	> 4 μ mhos

- 4.6 The hydro-meteorological data of the proposed area is very important to develop the design of the farm and to ensure the availability of acceptable water quality in the farm. The most important data required in this regard are rainfall, tidal fluctuation, wind direction and velocity, flood levels, frequency and time of occurrence of natural calamities such as storm, cyclone, hailstorm, etc. Construction of farms in cyclone prone areas and places where natural calamities such as floods occur should be avoided.
- 4.7 Mangroves play an important role in soil binding, as a source of nutrient cycling, as a buffer and a natural biological filter of several pollutants and as a breeding ground and nursery area for many important fin and shellfishes. There is evidence that removal of mangroves leads to a decline in fin and shellfish recruitment to the open waters through reduced availability of post-larvae. Mangroves are now legally protected under the environment law of the country.
- Large concentration of shrimp farms in mangrove areas has not proved sustainable elsewhere in the world. Mangrove soils are potential acid sulphate soils and not conducive for setting up of shrimp farms. The States should not permit shrimp farm construction within natural mangrove areas, or ecologically sensitive wetlands, swamps, etc.
- 4.8 The infrastructure facilities like roads, electricity, proximity to hatcheries, feed manufacturing units / feed retailers, ice plants,

processing plants should be considered while choosing the site for a shrimp farm since these play an important role in the economics of culture operations.

4.9 The following guidelines, which are mandatory, should be adopted for site selection and also to avoid subsequent social and environmental impacts :

- Mangroves, agricultural lands, saltpan lands, ecologically sensitive areas like sanctuaries, marine parks, etc., should not be used for shrimp farming.
- Shrimp farms should be located at least 100 m away from any human settlement in a village / hamlet of less than 500 population and beyond 300 m from any village / hamlet of over 500 population. For major towns and heritage areas it should be around 2 km.
- All shrimp farms should maintain 100 m distance from the nearest drinking water sources.
- The shrimp farms should not be located across natural drainage canals / flood drain.
- While using common property resources like creeks, canals, sea, etc., care should be taken that the farming activity does not interfere with any other traditional activity such as fishing, etc.
- Spacing between adjacent shrimp farms may be location specific. In smaller farms, at least 20 m distance between two adjacent farms should be maintained, particularly for allowing easy public access to the fish landing centers and other common facilities. Depending upon the size of the farms, a maximum of 100 – 150 m between two farms could be fixed. In case of better soil texture, the buffer zone for the estuarine based farms could be 20 –25 m. A gap having a width of 20 m for every 500 m distance in the case of sea based farms and a gap of 5 m width for every 300 m distance in the case of estuarine based farms could be provided for easy access.
- Larger farms should be set up in clusters with free access provided in between clusters.
- A minimum distance of 50-100 metres shall be maintained between the nearest agricultural land (depending upon the soil condition), canal or any other water discharge / drainage source and the shrimp farm.
- Water spread area of a farm shall not exceed 60 per cent of the total area of the land. The rest 40 per cent could be used appropriately for other purposes. Plantation could be done wherever possible.

- Areas where already a large number of shrimp farms are located should be avoided. Fresh farms in such areas can be permitted only after studying the carrying / assimilation capacity of the receiving water body.

5.0 Construction and preparation of shrimp farms :

5.1 Farm Design and Construction : Proper designing and construction of shrimp farm is essential for their efficient management and for promoting environmental protection. Good site selection and incorporation of mitigatory features in the farm design are the best ways to avoid problems related to flood levels, storms, erosion, seepage, water intake and discharge points. A site-specific approach to design and construction of shrimp farms is necessary, as site characteristics vary greatly from place to place. The following checklist should be considered while designing and constructing shrimp farms :

Checklist for farm design and construction

- Embankments should be designed to prevent flooding and erosion, after taking into consideration the tidal amplitude, water current, wind direction, wave action and the past histories of flooding in the area during cyclones / storms.
- In soils, which are seepage prone, design should include an inner clay core in the dykes with greater compaction and trench around the farm to reduce saline water intrusion into the neighbouring lands.
- The elevation of the pond bottom, drainage canal and the outlet should be designed in such a way that the water in the farm can be drained fully and easily through gravity.
- Ponds should have separate intake and outlet structures to permit control of filling and draining.
- A minimum water depth of 80-100 cm should be maintained in the ponds.
- Inlet and discharge canals should be separate so that water-supply and wastewater are not mixed. In areas where such a provision cannot be made, it is advisable that waste treatment pond should be included in the design.
- The farm design should not alter natural water flows, or impound floodwater.
- The sluice gates should be watertight and provided with net filters.
- Where possible, vegetative buffer zones, riparian vegetation and habitat corridors should be maintained and vegetative cover provided on exposed earthwork.
- Pump intakes should be screened, vegetative buffers provided around pump stations, and containments installed to prevent fuel spills.

- 5.2 Construction of Intake Reservoirs and Effluent Treatment Ponds : In areas where the source water is turbid with suspended particles, an intake reservoir for settling the silt is very essential. Similarly, in areas where there is overcrowding of shrimp farms and the intake and outfall are from the same source (*i.e.* creek, estuary, backwater) the intake reservoir with provision for treatment of water is essential. In areas where the tidal current is swift and tidal amplitude is high, the wastewater from the farm can be directly let out during the low tide. But in areas where the tidal current is very low, it is essential that the wastewater be treated in an Effluent Treatment Pond (ETP) before it is released into the natural system. An ETP, as a reservoir for holding and regenerating wastewater, is mandatory for farms larger than 5 ha. A minimum of 10 per cent of the total farm area should be reserved for this purpose. It is also necessary that smaller farms that are located in close proximity to each other (farm clusters) should consider setting up of common ETP to avoid self-pollution and also release of excess nutrients and suspended solids, which could lead to eutrophication of the receiving water body.

For better water management, individual culture units should be within 5 ha areas and suitable feeder channel system should be provided within the farm so that the water intake can be effectively managed in all the individual units.

- 5.3 Pond Preparation : Pond preparation is an essential part of culture practices during which the metabolite load and contaminants (chemical and biological) in the soil from the previous culture cycle is removed through tilling, ploughing and drying. During pond preparation, the pests and predators are removed and pH and nutrient levels in the water and soil are brought to optimal concentrations through application of lime, organic manures and inorganic fertilisers. The following checklist would assist in pond preparation and reduction of the possible environmental impacts :

- Pond sediments from the previous culture, which are likely to have accumulation of nutrient loads and other contaminants, should not be disposed of in the natural environment. In case it is necessary to remove the sediments, it should be disposed of within the farm site itself, by putting such sediments in trenches made in the wide dykes. However, it should be ensured that these sediments do not leach out.

- Application of lime is useful in correcting the pH of the soil and water, as a disinfectant and for increasing the mineralisation process. If the soil pH is not below 7.5, a basal dose of 300-500 kg / ha can be applied. However, in acid soils, where the pH is low, the quantity of lime to be applied should be calculated based on the pH and type of lime used.
- Unwanted pest organisms should be killed and removed from the pond by drying of the pond bottom. In cases, where complete drying is not possible, organic, biodegradable piscicides such as Mahua oil cake (100-150 ppm), tea seed cake (15-20 ppm) and also lime (Calcium oxide preferred) can be used. No chemical piscicide should be used.
- After the application of the organic piscicide at least a period of 10 days should be given for its toxic effect to be removed. Chlorination can be done to remove the pests and pathogens in ponds where drying of pond bottom is not possible.
- Fertilisers and manures should be used judiciously as per the requirement, according to recommended doses (Table 1 below). Over fertilisation should be avoided. Fertiliser schedule should be decided based on the phytoplankton growth in the ponds. The colour and transparency of the water can be taken as indicators of plankton growth. Optimal density of phytoplankton should be maintained throughout the culture period.
- Heavy algal bloom should never be allowed to develop since crash of algal bloom may lead to anoxic conditions in the pond thereby affecting the survival and growth of the shrimps.

Table 1 : Recommended dosages of organic manures and inorganic fertilisers for improving production from traditional and extensive systems of farming

Dosage of manures in relation to organic carbon content of soil		
Organic Carbon in soil (%)	Prescribed basal dose	
	Raw cow dung (kg/ha)	Dry chicken manure (kg/ha)
1	500	175
0.5	1000	350
0.25	2000	700

Application of Urea in relation to available Nitrogen	
Available N in soil (mg/ 100g soil)	Urea to be applied (kg/ ha)
12.5	100
25.0	50
50.0	25

Application of super phosphate in relation to available Phosphorus	
Available P in soil (mg/100g soil)	Super phosphate to be applied (kg/ ha)
1.5	100
3.0	50
6.0	25

(Source : Aquaculture Authority, 1999)

6.0 Water quality and its management :

6.1 Brackishwater / seawater in adequate quantities should be available throughout the year. The water source could be from backwaters, canals/creeks, lagoons or sea. The quality of the water available in the site has a strong influence on the success of the shrimp farm. Water quality parameters like pH, salinity, dissolved oxygen (DO) and the presence of toxicants / pollutants should be ascertained. Low pH water will pose serious problems and similarly wide fluctuation in salinity will also be detrimental to the cultured species. The water source should be free from any industrial / agricultural pollution. The presence of contaminants and their levels should be considered in the light of the tolerance and also sub-lethal effects on the species to be cultured. The optimal levels of various water quality parameters for better survival and growth of shrimps are listed in the Table 2 below :

Table 2 : Optimal levels of water quality parameters for shrimp farms

Sl. No.	Water Quality Parameters	Optimal Level
1	Temperature (°C)	28 - 33
2	Transparency (cm)	25 - 45
3	pH	7.5 - 8.5
4	Dissolved oxygen (ppm)	5 - 7 (above 50% air saturation)
5	Salinity (ppt)	15 - 25
6	Total alkalinity (ppm)	200

Sl. No.	Water Quality Parameters	Optimal Level
7	Dissolved inorganic phosphate (ppm)	0.1 - 0.2
8	Nitrate - N (ppm)	< 0.03
9	Nitrite - N (ppm)	< 0.01
10	Ammonia - N (ppm)	< 0.01
11	Cadmium (ppm)	< 0.01
12	Chromium (ppm)	< 0.1
13	Copper (ppm)	< 0.025
14	Lead (ppm)	< 0.1
15	Mercury (ppm)	< 0.0001
16	Zinc (ppm)	< 0.1

6.2 Nutrients and organic wastes produced in shrimp culture ponds consist of solid matter (mainly uneaten feed, faecal matter and dead plankton) and dissolved metabolites (mainly ammonia, phosphate, carbon dioxide, nitrite and nitrate). Various management methods are followed to maintain these within the tolerable limits. Among these, the most economical is water exchange. A water exchange of 5 - 30 per cent per day is usually done depending on the availability of water and the quality of pond water. A variety of chemicals and probiotics are used in improving the water and soil quality.

6.3 The following guidelines are to ensure that the harmful effects of these practices are reduced :

- Good water quality should be maintained by using water stable feed with minimal wastage.
- Water quality parameters should be monitored regularly and periodical water exchange is necessary to maintain optimal water quality conditions. While exchanging water, care should be taken to avoid wide fluctuations in water quality, so as to avoid stress to the shrimps and proper screens should be used to prevent the entry of pests and predators. Dissolved oxygen concentrations should be measured during early morning hours.
- Fertilisers and lime should be used in a responsible manner only when it is actually required.

- Use of freshwater to reduce the salinity of the culture water should be avoided for sustainability reasons; even though the shrimps can adapt and grow in a wide range of salinity, it is better to avoid salinity fluxes so as to avoid stress to the shrimps, which could make them more prone to diseases.
- In low density cultures, high level of water exchange is not required. In view of the complaints of nutrient loading in the open environment and the fear of viral contamination in the source water, the water exchange should be need-based. If water quality remains within optimal limits no water exchange is required for the first two months of rearing.
- Indiscriminate use of chemicals, bacteriological and enzyme preparations that supposedly enhance nutrient removal, organic matter, oxidation and removal of ammonia from water and soil should be avoided.

7.0 Seed production :

- 7.1 All shrimp hatcheries need to be registered by MPEDA as per their norms which may be reported to the Authority at its subsequent meeting. The Authority will have the power to review the registration of hatcheries and to take appropriate decisions in tune with the requirements of the Coastal Aquaculture Sector.
- 7.2 Production of healthy and disease free shrimp seed is the first step towards sustainable shrimp farming. About 300 shrimp hatcheries were set up in the country by the end of 2004 with a total production capacity of 12 billion post-larvae. These hatcheries are mostly located on the East coast of the country.
- 7.3 Hatchery operations can be broadly classified into broodstock, larval / post-larval rearing and live feed management. Since production of healthy seed is a primary step towards disease free farming, shrimp hatcheries are required to maintain strict sanitation, quarantine and quality control management to ensure biosecurity and health management. The following guidelines should be adopted by the shrimp hatchery to ensure production of standard and homogeneous quality seed, which are pathogen free :
- 7.4 Water quality : Hatcheries should ensure good supply of oceanic quality seawater with the following optimal water quality characteristics in its rearing systems so as to avoid any stress to the larvae. This can be achieved by selecting a good site with the required water quality.

Table 3 : Recommended water quality parameters for shrimp hatcheries

Parameters	Tolerable Limit	Optimal Levels
Temperature (°C)	18 - 36	28 - 32
Salinity (ppt)	26 - 34	30 - 34
pH	7.0 - 9.0	8.0 - 8.4
Dissolved oxygen (ppm)	Above 3	Above 4
Ammonia - N (ppm)	Up to 0.1	Less than 0.01
Nitrite - N (ppm)	Up to 0.1	Less than 0.01

Further, the water should be treated to remove all the suspended solids, dissolved nutrients and bacterial and viral pathogens. This could be achieved by following a good water treatment protocol, which includes :

- Sedimentation
- Water chlorination and dechlorination
- Filtration with sand filters
- Filtration with activated carbon filter
- Cartridge filtration up to 1 micron size
- UV filtration / Ozonation

7.5 Spawner / broodstock quality : Vertical transmission of viral pathogens from mother shrimps to larvae through the ovarian tissue is one of the sources of introduction of viral pathogens into the hatchery system. In addition to that any stress caused to the spawners will result in spawning of poor quality eggs. The following measures should be strictly followed to obtain good quality eggs :

- Spawners / broodstock collected from commercial trawling operations will be stressed after being caught in the trawl nets. They should be immediately transported to the hatcheries without further stress / injuries.
- The spawners collected should be placed individually in disinfected water and immediately transported individually under oxygen packing. Maintaining the spawners individually from the time of their capture is more important to avoid cross contamination with viral pathogens.

-
- The broodstock should be quarantined on arrival at the hatchery to prevent the entry of pathogens.
 - Spawners / broodstock, which do not have lesions, damage to gills, loss of appendages and red colouration, should only be selected.
 - Prophylactic treatment of spawners / broodstock with formalin at 50 ppm for 1 hour under strong aeration should be done before introducing the stock into the hatchery / maturation system.
 - Spawners / broodstock should be kept individually for acclimatisation and screened for the presence of WSSV using a terminal portion of pleopods and for monodon baculo virus (MBV) from the faecal matter. Only spawners free from these pathogens should be taken into the hatchery / maturation system.
- 7.6 Induced maturation under captive conditions : Healthy, pathogen free, immature, broodstock, collected from wild, after the prophylactic treatment and acclimatisation should be taken into the maturation tanks and allowed for 4-5 days to recover from the stress of capture and transportation. Then they are induced to mature through eyestalk ablation following the guidelines given below :
- Hard shelled, intermoult healthy female shrimps free from disease or injury having spermatophore in the thelycum should be selected for eyestalk ablation.
 - The females should be above 100 g in size for ensuring good quality eggs.
 - Eyestalk ablation is to be avoided for newly moulted and ready to moult female shrimps.
 - Electrocauterisation is the best way of ablating eyestalk since it causes minimum stress.
 - The ablated female shrimps are stocked in the maturation tanks along with unablated males @ 4 nos / m². Stocking of females and males in the ratio of 2 : 1 ensures best mating success.
 - Fresh feeds such as clam (*Meritrix sp.*), mussel (*Perna viridis*) and squid (*Loligo sp.*) having similar amino acid profile as shrimps, polychaete worms, Artemia biomass rich in long chain poly-unsaturated fatty acids are used as maturation feeds. Feed should be provided in sufficient quantities by visual observation. Feeds like crab meat, which are carriers of pathogens, should be avoided.

- In addition to live feed items, pelleted feed fortified with poly-unsaturated fatty acids (PUFA) such as arachidonic acid, eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid should be used to ensure good egg quality.
- Water quality should be maintained under optimal conditions with 100 per cent to 200 per cent water exchange per day.
- Light intensity should be maintained low and the movement of personnel near the maturation tanks should not disturb the ablated shrimps.

7.7 Spawning and hatching :

- Wild spawners / induced matured stock should be disinfected with formalin treatment before placing them individually in spawning tanks.
- Feed should not be provided in the spawning tanks.
- Spawned eggs should be collected, washed thoroughly and disinfected by formalin dip treatment and re-suspended in fresh seawater for hatching.
- The quality of the eggs should be assessed within 2 hours after spawning when it will be easier to identify the fertilised and unfertilised eggs.
- If the quality of eggs is very poor, it is advisable to discard the eggs.
- Only active positively phototactic nauplii should be collected for transfer to larval rearing tank.
- Nauplii should be tested for WSSV before transfer to larval rearing tank.

7.8 Larval rearing / nursery rearing :

- Nauplii from a single spawner should be reared separately to avoid cross contamination.
- Stocking density of nauplii should be maintained at 50 no./l in larval rearing tanks.
- Algal feed should be initiated before nauplii moult to zoea I.
- Algal feed should be given in required quantity from cultures that are in exponential stage of growth.

-
- Algal feed should be concentrated to avoid introduction of large quantities of algal culture water with its nutrient load.
 - Water quality in the larval rearing tanks should be monitored for ammonia, nitrite and bacterial load.
 - Uniform aeration in all parts of the tanks should be provided through air diffuser stones placed @ 1 no / sq. ft. This will keep the larvae and the algal feed uniformly distributed in the tank.
 - During water exchange, appropriate mesh size nets should be used for draining the water so as to facilitate the removal of faecal matter without stressing the larvae.
 - Artemia nauplii / flake diets should essentially be used from Mysis II stage onwards along with the algal diet.
 - Prophylactic use of antibiotics or other drugs should be avoided and only permitted antibiotics, chemicals, etc., should be used. Probiotics should be used to the maximum extent possible.
 - At PL5, the larvae should be collected from the larval rearing tanks, disinfected with formalin dip treatment and distributed in outdoor nursery tanks @ 15-20 nos / litre.
 - During later stages of nursery rearing, along with artemia nauplii, other live feed items like clam meat or balanced compounded feed can be used.
 - Acclimatisation to required salinity levels should be done gradually in the nursery stage of rearing.
 - Only PL20 should be sold to the farmers after testing its quality with reference to presence of Monodon Baculo Virus (MBV) and White Spot Syndrome Virus (WSSV). At any stage of rearing, if WSSV is detected, the larvae from the whole tank should be discarded.
 - For long distance transportation, the seed should be packed in thermocol boxes at reduced temperature.
 - Supplementary feeds and raw materials should be properly handled and stored to avoid spoilage.

7.9 Algal culture :

- Algal culture should be maintained in pure form in indoor; temperature controlled rooms and used as starter culture for outdoor mass culture.

- It is advisable to use UV treated water for the pure culture of the algae, to prevent contamination.
- The quality of the mass culture should be tested before feeding in larval rearing tanks.

7.10 Artemia hatching :

- Artemia cysts should be disinfected before keeping them for hatching.
- Hatched artemia nauplii should be segregated from the cyst wall and un-hatched cysts before being used as feed in larval rearing tanks.
- Only the nutritionally superior instar I nauplii should be used as feed.

7.11 General biosecurity procedures :

- The quality of intake water is very important for healthy operation of a shrimp hatchery. The pollution free water drawn from natural sources should be filtered and possibly, sterilised before usage.
- Movement of men, materials and paraphernalia between different sections of the hatchery should be controlled to avoid contamination.
- Foot pits, washbasins, toilets, etc., should be provided to ensure adequate sanitation and hygiene in the hatchery premises.
- The effluent water should be properly treated in an effluent treatment system before discharge. Regular monitoring of effluents to ensure environment standards, stipulated.
- Hatchery should have adequate facilities for pathology lab like microbiology/PCR facilities to check the health condition of brooders/seeds at different stages.
- Diseased or moribund shrimps should be disposed of safely to prevent contamination of the stock.
- Bio-filters, tanks, buckets, nets, etc., should be thoroughly washed and cleaned using sanitisers and dried thereafter. Regular disinfections should be carried out to ensure biosafety.
- The hatcheries are required to monitor their effluents frequently so that the water quality standards remain within the limit stipulated in Table 6. Considering the need for maintaining effluent discharge standards, effluent treatment system shall be mandatory for all hatcheries.

- It is essential that hatcheries maintain proper records of their activities in various sections, for verification by the supervising agencies and also to ensure traceability and easy market access.

7.12 Shrimp hatcheries require large quantity of seawater for their day-to-day operations. The water used in the hatchery and let out is likely to be contaminated with dissolved or suspended organic matter, nutrients, chemicals, antibiotics, etc. When contaminated water is discharged into open, it is likely to result in environmental pollution that could be detrimental to the hatchery operation itself, since intake and discharge points are nearby. Therefore, it is necessary to properly treat the effluents so that the discharged water conforms to environmental standards.

8.0 Seed selection and stocking :

8.1 Seed quality has a direct relationship with the survival and growth of the cultured shrimps and the stocking density has a strong bearing on the level of waste generated in the pond. The higher the stocking density the larger the quantity of feed that has to be used. Higher stocking densities also stress the animals leading to greater incidence of disease. In ponds with excessive stocking and feeding rates, the wastewater is generally of low quality and has a greater potential to cause water pollution than wastewater from ponds stocked at more reasonable densities. Hence, it is essential that the following guidelines be observed :

- Only healthy and pathogen-free seed from registered hatcheries should be used for stocking.
- The health status of the shrimp seed should be checked through standard testing procedures, including PCR.
- Seed collection from the natural resources should be banned by the State Governments with a view to protecting a large spectrum of fin and shellfish species from being destroyed.
- Before stocking, the seed should be acclimatised to the prevailing temperature, salinity and pH in the pond conditions by gradual mixing. In areas with very low salinity, salinity adjustments are to be made over a period of 4 –5 days and hence should be done at the hatchery itself.

8.2 In view of the strong impact of stocking densities on sustainability of farming practices, low stocking densities would only be permitted in shrimp aquaculture. However, such stocking densities for different types of practices shall be as per the regulation of the Coastal Aquaculture Authority.

9.0 Feed and feed management :

- 9.1 All shrimp feed manufacturing units need to be registered by MPEDA as per their norms which may be reported to the Authority at its subsequent meetings. The Authority will have the powers to review the registration of feed mills and to take appropriate decisions in tune with the requirements of the coastal aquaculture sector.
- 9.2 Feed is the basis for optimum yield levels in shrimp farming. About 33 shrimp feed mills with a production capacity of 1,50,000 metric tonnes of feed were set up in the country by the end of 2004. Besides, there are a large number of small feed manufacturing units, meeting local requirements.
- 9.3 However, shrimp do not eat all of the feed provided to them, and only a portion of the feed consumed is converted to shrimp flesh. Uneaten feed, faeces and metabolic wastes add to the nutrient load in the wastewaters. As feeding rates increase, water quality and soil quality in ponds usually deteriorate.
- 9.4 Fresh diets increase nitrogen loads in shrimp ponds. Considerable amount of detritus and wastes often accumulate on the pond bottom, in areas where water circulation is slow, leading to increased BOD and release of harmful gases, which could cause stress on bottom living shrimps. On the contrary, regular feeding with pelletised diets is known to maximize the growth of shrimps and minimise the nutrient enrichment of the wastewater.
- 9.5 Feed quality and conversion ratio / efficiency have considerable influence on waste levels. Reduction of phosphorus content in feed, control of dietary nitrogen in relation to metabolism and improvement in physical characteristics such as attractability, water stability, texture and appropriate size of the feed will help to reduce the nutrient loading to a large extent.
- 9.6 Careful feed management is essential for successful shrimp farming. By using good quality feed in reasonable quantities, water and soil quality in ponds remain in optimum conditions. This reduces stress on shrimp, there is less likelihood of disease, and they convert feed more efficiently to improve the feed conversion ratio and minimise feed costs. Better water quality in ponds allows minimum load of nutrients in wastewater and reduces the possibility of environmental impacts in receiving water bodies.
- 9.7 Monitoring of feed input is required to keep feed wastage to the minimum. Similarly, careful monitoring of standing stock in the ponds will also help to ensure that correct feeding levels are observed.

The feeding rate prescribed by the manufacturer varies depending on the quality of the feed. The feeding rates given in Table 4 below are recommended. However, it should be regulated based on the check tray observations.

Table 4: Recommended feeding rates for different sizes of the shrimp

Shrimp size (g)	Daily Feed as Per centage of Body Weight
2 - 5	4.0 - 3.0
5 - 10	3.0
10 - 15	3.0 - 2.5
15 - 20	2.5 - 2.0
20 - 35	2.0

9.8 The following guidelines should be adopted for feed and feed management in shrimp farming :

- Feed ingredients should not contain contaminants, anti-nutritional factors, microbial toxins, banned antibiotics or other adulterating substances.
- Farm-made wet diets should not be used. However, when wet feeds are used, crustaceans should be avoided as an ingredient.
- Only dry, nutritionally balanced pelleted feed with optimal water stability should be used.
- Freshly obtained feed should be used to the extent possible. In any case, feed stored for more than two months should not be used. Feed should be stored in cool, dry areas to prevent mould and other contamination.
- Feeding rates should be determined from standard feed curves/charts (Table 4 above) and adjusted for shrimp biomass on a weekly basis.
- Feed check trays should be used to regulate feeding rates. Feed trays should be widely distributed in the pond.
- Both overfeeding and underfeeding should be avoided. Efforts should be directed to ensure that the shrimps consume the maximum amount of supplementary feed given, since excess feed lying uneaten would decompose and lead to poor water quality, stress to the shrimps and consequently increased vulnerability to diseases.

- Since the shrimps require about 4 hours for digestion of feed, feeding frequency should be 4 - 6 times in a day. Since shrimps are nocturnal, more than 60 per cent of the feed should be fed during night.
- Feed Conversion Ratio (FCR) should be monitored. Reductions in FCR through careful feeding schedule will improve production efficiency and reduce waste loads.
- Feeds with high acceptability, high digestibility and assimilation efficiency will reduce waste generation and nutrient loading. Further, this will reduce the cost of production since feed accounts for more than 50 per cent of the recurring cost.
- Shrimp farmers should keep full records of daily feed schedules to enable assessment of FCR, which should be used to increase feeding efficiency and reduction in feed waste.

10.0 Health management of shrimps :

- 10.1 Viruses, bacteria and protozoa cause the major shrimp diseases. The “White Spot Disease”, caused by the White Spot Syndrome Virus (WSSV), which led to devastations in shrimp farming in India as elsewhere is the most known virus disease; the other well-known virus disease is the “Yellow Head Disease”, which has not been reported from India but is frequent in Thailand and other parts of Asia. Bacteria cause vibriosis. Protozoan diseases such as gill and external fouling caused by *Zoothamnium* also cause problems in shrimp farming.
- 10.2 Outbreak of disease in shrimp culture systems is related to the environmental factors such as deterioration of water quality, sedimentation and self-pollution. Treatment should be undertaken only when a specific disease has been diagnosed and it is known that this disease is treatable. Also, effective measures must be taken to minimise the spread of disease between farm stocks and natural stocks.
- 10.3 The following guidelines envisage health management as a holistic activity with disease prevention as the main objective. The approach includes reduced stocking of disease free seed, better handling, maintenance of good pond environment, and optimal feed management to reduce the stress and prevent most infectious and non-infectious diseases.
 - The health of the shrimps should be monitored continuously and those with any one or more of the following conditions are diagnosed to have some disease - inactive and sluggish, empty gut,

bluish/blackish coloration, body blisters, flared up gills, broken appendages, black / white spots, coloured gills and opaque muscles.

- Any disease should be diagnosed immediately with the help of trained pathologists / microbiologists.
- Chemical treatments that can stress the animals should not be employed.
- Disease problems arising in aquaculture can be attributed primarily to the environmental degradation and most of the pathogens are facultative pathogenic in nature. Hence, management of pond environment is of utmost importance for disease prevention and control.
- For non-infectious diseases related to pond conditions, treatment of animals should be carried out or pond conditions corrected.
- For mild infectious diseases with potential to spread, the pond should be quarantined and the best options for disease treatment should be carried out.
- For serious infectious diseases that may spread widely, the pond should be isolated, remaining shrimp should be net-harvested and the pond should be disinfected without discharging any water.
- Dead and diseased shrimp should be disposed of in a sanitary manner that will discourage the spread of disease.
- When disease occurs in a pond, transfer of shrimp, equipment, or water to other ponds should be avoided.
- Drug, antibiotic, and other chemical treatments should be done in accordance with recommended practices and all national and international regulations should be complied with.

11.0 Use of chemicals and drugs :

- 11.1 Chemicals and drugs used in aquaculture include those associated with structural material, soil and water treatment, antibacterial agents, therapeutants, pesticides, feed additives, anesthetics, immunostimulants and hormones. Chemicals and drugs presently in use are mostly derived from agriculture / veterinary field and have never been tested / evaluated specifically with regard to their effects on the aquatic environment.
- 11.2 Some of the chemicals and antibiotics can accumulate in the flesh of shrimp and represent a potential health hazard to the consumer and

also affect trade prospects. Some chemicals may also exist in effluents as residues and be harmful to natural aquatic ecosystems. Reducing the use of these agents and chemicals will improve environment performance but also reduce cost of operating shrimp farms. Shrimp health management should focus on disease prevention through good nutrition, sound pond management, and overall stress reduction rather than disease treatment.

- 11.3 *Use of chemicals* : Chemicals should be avoided in shrimp ponds for prevention or treatment of disease, as feed additives, disinfectants, for removal of other fish or for treatment of soil or water. However, chemicals may be required in hatcheries. The hatchery operators should carefully monitor entry of such chemicals into the natural waters from the hatcheries and they should take steps to remove such materials from the wastewaters.
- 11.4 *Use of fertilisers* : Both organic and inorganic fertilisers are used widely in shrimp culture for promoting the growth of fish food organisms, particularly for the early post-larval stages. This may contribute to the nutrient load in waters receiving the effluents. Therefore, as far as possible only organic manure / fertilisers and other plant products should be used for such purposes.
- 11.5 *Use of piscicides* : Similarly, piscicides and molluscicides are widely used for removing predators and competitors from shrimp ponds. It would be advisable for aquaculturists to use only the biodegradable organic plant extracts for this purpose, as they are less harmful than the chemical agents. Use of chemical piscicides should be avoided.
- 11.6 *Use of chemotherapeutants* : Some of the chemotherapeutants such as formalin and malachite green which are commonly used as disinfectants are toxic and may affect adversely the pond ecosystem, the external waters, etc., and hence their usage in culture system should be avoided.
- 11.7 *Use of antibiotics / drugs* : The use of antibiotics in shrimp culture is strictly prohibited as their use may result in development of pathogens resistant to such drugs and the transfer of these pathogens into human beings might result in development of resistance in human pathogens. The list of 20 antibiotics / pharmacologically active substances presently banned for use in shrimp culture is given in Table 5. This ban will also apply to other substances so notified by the Government from time to time.

Table 5 : List of Antibiotics and other pharmacologically active substances banned for using in shrimp aquaculture

Sl. No.	Antibiotics and other Pharmacologically Active Substances
1	Chloramphenicol
2	Nitrofurans including : Furaltadone, Furazolidone, Furfurylamide, Nifuratel, Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone
3	Neomycin
4	Nalidixic acid
5	Sulphamethoxazole
6	Aristolochia spp and preparations thereof
7	Chloroform
8	Chlorpromazine
9	Colchicine
10	Dapsone
11	Dimetridazole
12	Metronidazole
13	Ronidazole
14	Ipronidazole
15	Other nitroimidazoles
16	Clenbuterol
17	Diethylstilbestrol (DES)
18	Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxyipyridazine)
19	Fluroquinolones
20	Glycopeptides

11.8 The Maximum Permissible Residual levels for various antibiotics and other pharmacologically active substances stipulated by the Government for fish and fishery products is as per appendix attached to these guidelines. Shrimp farmers and input providers should strictly follow these stipulations, which may be revised by the Government from time to time.

12.0 Harvest and post-harvest :

12.1 During the harvesting, maximum suspended particles are likely to be released into the open waters. Hence, great care should be taken to prevent such a release. The farmers are advised to adopt the following norms while harvesting the crop :

- Harvesting can be done by completely draining the pond either by gravity or through pumping and hand picking or trapping.
- The water drained out for harvesting should be pumped into the waste stabilisation ponds and kept for a few days for settlement before releasing into the open water.
- Icing should be done immediately after harvest.
- Generally, the processors / buyers collect the harvest from farm site and transport in refrigerated vans. When such a facility is not available and the produce has to be transported over a long distance, the shrimps should be beheaded and stored in ice to prevent spoilage.

13.0 Wastewater management :

13.1 The waste from shrimp ponds contain mainly suspended solids, comprising unconsumed feed, faecal matter and plankton, and dissolved nutrients such as ammonia, nitrite, phosphorus, carbon-dioxide, hydrogen sulphide. The former component is the result of physical qualities of feed and fertilisers while the nutrients are influenced by the chemical composition of the feed ingredients and the fertilisers. The nutrients and organic matter in shrimp pond wastes have potential for the following impacts :

- reduce dissolved oxygen in receiving waters, due to discharge of wastewater low in dissolved oxygen and breakdown of dissolved and particulate organic matter and other waste materials (BOD and COD).
- hyper-nitrification and eutrophication of receiving waters, resulting in increased primary productivity (with potential risks of phytoplankton blooms), alteration of biological community structure and secondary productivity; and
- increased sedimentation due to organic matter, leading to changes in productivity and benthic community structure, plus possible siltation.

13.2 Such impacts depend on the quantum of wastewater outflow and the capacity of the environment to assimilate the waste materials. It is, therefore, desirable to match loads with the capacity of the environment to accept the waste materials. The following checklist will guide the shrimp farmer in responsible waste management and for protection of the water and land resources.

Checklist for wastewater management

- Proper designing of the farm with independent intake and outfall will reduce the nutrient loading.
- Proper compaction of bunds with vegetative cover should be provided which will reduce erosion.
- Proper pond preparation methods will reduce nutrient loads.
- Proper water and soil quality management in the culture ponds will reduce the nutrient loading of wastewater.
- Responsible feed management will reduce feed wastage.
- During harvest, water should be drained carefully avoiding re-suspension of sediment.
- Shrimp pond wastewater should not be discharged into freshwater areas or onto agricultural land.
- Removing of sediments from the pond bottom should be avoided. It should be corrected *in situ*.

- 13.3 Direct output of waste from shrimp farms and hatcheries can alter the water quality along the coastline. The dissolved and particulate nutrients and organic matters including small quantities of chemicals, micro-organisms and detritus can alter the water quality to a great extent and hence have to be properly treated before such wastes are discharged into the open waters or in the drainage canal. Such wastewater could also be used for undertaking secondary aquaculture projects, particularly for culture of mussels, oysters, seaweed, other finfishes, etc. Such integrated projects would also offer scope for improving the wastewater quality, reducing the organic and nutrient loss and producing an additional cash crop. In addition to this biological amelioration of wastewater, settlement / sedimentation ponds may be constructed along the drainage canals. The drainage canals may be designed in such a way that they are wide enough to slow down the flow of water from ponds, so as to allow the settlement of these suspended solids.
- 13.4 Effluent Treatment System (ETS) is mandatory for farms above 5 ha. At least 10 per cent of the total pond area should be earmarked for the ETS which may be used for secondary aquaculture projects, particularly for culture of mussels, oysters, seaweed, other fin fishes, etc. Such integrated projects would help improving the wastewater quality, reducing the organic and nutrient loads and producing an additional cash crop.
- 13.5 The standards shown in Table 6 are laid down for the wastewater discharged from the aquaculture systems, hatcheries, feed mills and processing plants. The same may, however, be modified by the Authority from time to time.

Table 6 : Standards for treatment of wastewater discharged from the aquaculture farms, hatcheries, feed mills and processing units

Sl. No	Parameters	Final Discharge Point	
		Coastal Marine Waters	Creek or estuarine courses when the same inland water courses are used as water source & disposal point
1	pH	6.0 - 8.5	6.0 - 8.5
2	Suspended solids mg/ l	100	100
3	Dissolved oxygen mg/ l	Not less than 3	Not less than 3
4	Free Ammonia (as NH ₃ -N) mg/ l	1.0	0.5
5	Biochemical Oxygen Demand-BOD (5 days @ 20°C) mg/ l Max	50	20
6	Chemical Oxygen Demand-COD mg/ l Max	100	75
7	Dissolved Phosphate (as P) mg/ l Max	0.4	0.2
8	Total Nitrogen (as N) mg/ l	2.0	2.0

13.6 It is advisable to let ponds dry between harvests rather than removing sediment accumulations from the pond bottom. This method is probably less environmentally damaging than indiscriminate discharge of bottom sediment. If shrimp stocking densities are kept low (below 15 Pl per m²), then sediments can be kept in good condition by simply drying the pond bottom between harvests. The solid waste of the farms, including sludge and scrapped soil from the ponds should not be disposed of into the waterways. The waste shall be disposed of within the premises of the farm after adequate treatment without allowing it to get into waterways.

14.0 Farm hygiene and management :

14.1 The objectives of shrimp farming practices should be to produce contaminant-free products for consumers through responsible pond operations and good management practices that prevent, eliminate, or appropriately reduce levels of chemicals, drugs and pathogens that pose human health concerns. The following guidelines should be used to achieve this goal :

- All waste materials should be disposed of in a sanitary way.

- In evaluating the suitability of a site for aquaculture, include testing for any chemicals, drugs and pathogens that might pose a human health risk and are likely to occur at the site.
- Avoid the potential for septic runoff from humans or other animals, as well as any indication of frequent use of pesticides, herbicides, and drugs; and past contamination with fuel oil or any other chemical contaminants.
- Feed should not contain chemical or microbial contaminants. Feeding of uncooked organisms or any nutrient source derived from uncooked organisms is discouraged.
- The shrimp industry and individual producers should work with the government to prepare lists of pathogens, drugs and chemical contaminants that pose existing or potential human health concerns and take effective measures to control these risks.
- When using any chemical products at or near shrimp farming sites, shrimp farmers should be attentive to the information on product labels that regards human health concerns.
- Approved drugs, or other chemicals should be used only when necessary to control identified disease problems.

15.0 Environment impact assessment :

15.1 An Environment Impact Assessment (EIA) should be made even at the planning stage by all the aquaculture units above 40 ha size. For 10 ha and above a statement will be required to be given in the detailed plans. The District / State Level Committees set up by the Coastal Aquaculture Authority should ensure that such an EIA has been carried out by the aquaculture units before their proposal is recommended to the Coastal Aquaculture Authority for approval.

16.0 Environment monitoring and management plans :

16.1 The shrimp culture units with a net water area of 40 ha or more shall incorporate an Environment Monitoring Plan and Environment Management Plan (EMMP) covering the areas mentioned below :

- Impact on the watercourses in the vicinity;
- Impact on ground water quality;
- Impact on drinking water sources;
- Impact on agricultural activity;
- Impact on soil and soil salinisation;

- Wastewater treatment;
- Green belt development (as per specifications of the local authorities) and
- All farms of 10 ha and more but less than 40 ha shall furnish detailed information on the aforesaid aspects.

17.0 Cluster management, record maintenance and networking :

- 17.1 There should be an awareness of avoiding social conflicts and the stakeholders together should discuss common problems and adopt appropriate management measures to avoid conflicts and increase sustainability of the farming systems.
- 17.2 Farmers' Associations and Self-Help Groups : Shrimp farmers should form co-operatives, associations or self-help groups in order to exchange technology and to achieve co operation in water use and waste management. Shrimp culture techniques are also constantly improving, and it is important that shrimp farmers continue to increase their knowledge of sustainable farming techniques. Small farmers should gain benefit by forming such co-operatives or self-help groups / associations for facilitating supply of inputs, synchronised farming operations, common necessities for monitoring seed and feed quality, shrimp health management and water quality, sale of product and also in organising credit and crop insurance. Formation of an Apex body of Shrimp Farmers' associations in the State / District would be helpful, especially in negotiations with credit agencies and other major organisational activities.
- 17.3 Facilities for regular extension work and different aspects of training should be made available to the farmers. Individual farmers and self-help groups / Associations should arrange to interact with the extension staff in the State Department of Fisheries, MPEDA, ICAR Institutions, Agricultural Universities, and NGOs, as the case may be to assist the small farmers. Appropriate awareness programmes through extension work and training of shrimp farmers and officials should be initiated for enhancing the technical knowledge and environmental awareness among the fisheries personnel, extension workers, aquaculturists and all those involved in related activities for planning and operation of sustainable aquaculture.
- 17.4 For facilitating data collection on the practices and farm accounts shrimp farmers/self-help groups should co-operate with the State Department of Fisheries to collect, organise, and evaluate data to demonstrate the adoption of the guidelines and document the benefits of their use and also for other statistical purposes.

- 17.5 Farmers should be encouraged to join shrimp farmers' information network at the local, national and regional levels. The shrimp farmers should also see the various developments in shrimp farming in the country and elsewhere. The aquaculture networks available should be made use by shrimp farmers/Groups for improving their knowledge and skills and also for obtaining latest developments and market trends.

18.0 Integrated coastal zone management :

- 18.1 Integrated coastal zone management plans should be prepared for each coastal State by the States concerned with zoning for different activities and with buffer zones. This could at best be only a rolling plan (dynamic) in the initial stages so that improvements can be effected annually or biannually, with improved databases and knowledge on site specific interactions of aquaculture with other sectors.
- 18.2 Detailed master plans for development of aquaculture through macro and micro-level surveys of the potential areas and zonation of coastal area delineating the land suitable and unsuitable for aquaculture using the remote sensing data, ground truth verification, Geographical Information System (GIS) and socio-economic aspects should be considered. In areas where pond density or water surface area (WSA) of shrimp ponds are in excess of the carrying capacity (CC) of the eco-system, which can also be defined as the assimilation capacity of the receiving waters, a reduction in pond density and thus a reduction in the overall WSA should be effected.

19.0 Protecting the livelihood of various coastal communities :

- 19.1 Coastal aquaculture, which is now confined mainly to shrimp farming, is one among the several activities in the coastal area involving the coastal communities. Much of the social conflicts in coastal areas are due to the larger demands on the limited resources, resulting in competition amongst the various stakeholders. There are also instances where through harmonious use of resources coastal communities have set up excellent examples of integrated coastal development.
- 19.2 Badly planned and unregulated operation of shrimp farms, as already indicated can cause considerable level of avoidable conflicts with the community and other sectoral activities in the vicinity of the farms. Conflicts could arise between shrimp farmers and others who either live in the coastal zone or depend on coastal zone resources for their livelihood, as also between shrimp farm owners / managers and

employees, especially in the case of larger farms. Some of the more serious inter-sectoral problems would be addressed in the overall governance and regulation by adopting the following guidelines :

- Shrimp farm owners/managers should respect the community rights and needs and in case of any conflicts arising always attempt to solve the problems in amicable ways for ensuring harmony in the community and sustainability of the shrimp farms. They should co-operate with the community and other sectoral users of the coastal resources, in common efforts for improving environmental conditions and community welfare.
- Farmers, especially with larger holdings should employ local workers as far as possible.
- Workers should be provided with good working conditions and should also be trained for their skill upgradation.
- Access to the sea front and other common resources to the coastal communities by the aquaculture units should be ensured. The interests of the communities and organisations in the area should be safeguarded.
- Care should be taken to see that the natural drainage canals which are used as water source for aquaculture units are not blocked so as to avoid flooding of low lying areas and villages.
- Salinisation of land and drinking water should be avoided by providing suitable buffer zones between agricultural land, villages and shrimp farms.
- Use of common property resources like the creeks, canals, etc., should be carried out in a harmonious manner and the traditional rights of the coastal communities should not be affected in any way.
- To avoid problems of ground water salinisation, drawal of ground water is strictly prohibited for shrimp aquaculture. It must be ensured that piezometers/ground water monitoring bore wells preferably 4/ha (along the periphery of the pond) are installed to monitor salinity ingress. In case of salinity ingress, the Coastal Aquaculture Authority should ensure immediate closure of the farms.

Appendix
Maximum Permissible Residual Levels
for Fish and Fishery Products

Substance	Maximum Permissible Residual Levels (in ppm)
A. Antibiotics and other Pharmacologically Active Substances	
1. Chloramphenicol	Nil
2. Nitrofurans including : Furaltadone, Furazolidone, Furfylfuramide, Nifuratel, Nifuroxime, Nifurprazine, Nitrofurantoin, Nitrofurazone	Nil
3. Neomycin	Nil
4. Nalidixic acid	Nil
5. Sulphamethoxazole	Nil
6. Aristolochia spp. and preparations thereof	Nil
7. Chloroform	Nil
8. Chlorpromazine	Nil
9. Colchicine	Nil
10. Dapsone	Nil
11. Dimetridazole	Nil
12. Metronidazole	Nil
13. Ronidazole	Nil
14. Ipronidazole	Nil
15. Other nitroimidazoles	Nil
16. Clenbuterol	Nil
17. Diethylstilbestrol (DES)	Nil
18. Sulfonamide drugs (except approved Sulfadimethoxine, Sulfabromomethazine and Sulfaethoxy pyridazine)	Nil
19. Fluroquinolones	Nil
20. Glycopeptides	Nil
21. Tetracycline	0.1
22. Oxytetracycline	0.1
23. Trimethoprim	0.05
24. Oxolinic acid	0.3

Substance	Maximum Permissible Residual Levels (in ppm)
B. Substances having anabolic effect and unauthorised substances	
1. Stilbenes, stilbene derivatives and their salts and esters.	Nil
2. Steroids	Nil
C. Veterinary drugs	
1. Antibacterial substances, including quinolones	Nil
2. Anthelmintic	Nil
D. Other substances and environmental contaminants	
1. Organochlorone compounds including PcBs	Nil
2. Mycotoxins	Nil
3. Dyes	Nil
4. Dioxins	4 picogram per gram, fresh weight
E. Pesticides	
1. BHC	0.3
2. Aldrin	0.3
3. Dieldrin	0.3
4. Endrin	0.3
5. DDT	5.0
F. Heavy Metals	
1. Mercury	1.0
2. Cadmium	3.0
3. Arsenic	75.0
4. Lead	1.5
5. Tin	250.0
6. Nickel	80.0
7. Chromium	12.0

¹Annexure-II

GUIDELINES FOR REGULATING HATCHERIES AND FARMS FOR INTRODUCTION OF SPF *LITOPENAEUS VANNAMEI*

In exercise of the powers conferred by Section 3 read with section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely :—

PART I

Safeguards and regulations for operation of hatcheries

1. Criteria for application to breed *L. vannamei* :

²[(1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in seed production having the required biosecurity facilities as specified by the Coastal Aquaculture Authority shall be eligible to apply for registration under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) and the rules framed thereunder and for permission to import Specific Pathogen Free (SPF) broodstock of *L. vannamei* or SPF juveniles of *L. vannamei* (upto 10 g size) for rearing to adult broodstock and to produce and sell post larvae (PL) of *L. vannamei*.]

(2) Approval of the hatchery for rearing *L. vannamei* will be given by Coastal Aquaculture Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted by Coastal Aquaculture Authority for this purpose.

(3) The hatchery facilities should have strict biosecurity control through physical separation or isolation of the different production facilities which is a feature of good hatchery design. In existing hatcheries with no physical separation, effective isolation may also be achieved through the construction of barriers and implementation of process and product flow controls.

(4) The hatchery facility should have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorised persons. This will help to reduce the risk of pathogen introduction by this route, as well as improve overall security.

2. Sanitary requirement :

(1) Entrance to the hatchery should be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility should be maintained by the security personnel.

1. Inserted by G.S.R. 302(E), dated 30.4.2009

2. Substituted by G.S.R. 280(E), dated 23.3.2012

(2) Hatchery staff should enter through a shower or dressing room, where they remove their street clothes and take a shower before entering another dressing room to put on working clothes and boots. At the end of the working shift, the sequence should be reversed.

(3) There should be means provided for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate), feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient), and hands [bottles containing iodine-PVP (20 ppm and/or 70% alcohol)] to be used upon entering and exiting the unit.

3. Water intake :

(1) Each functional unit of the hatchery should have independent water treatment facility and it should be isolated from all other water supply systems. Separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve biosecurity, especially in high-risk areas.

(2) Water for the hatchery should be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in the source water. This may be achieved by initial filtering through subsand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters, into the first reservoir or settling tank. Following primary disinfection by chlorination, and after settlement, the water should be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet light (UV) and/or ozone.

(3) The water supply system may include use of activated carbon filters, the addition of ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) and temperature and salinity regulation.

4. Water treatment and discharge of wastewater :

(1) The discharged water from the hatchery should be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than 60 minutes) or other effective disinfectant prior to discharge. This is particularly crucial where the water is to be discharged to the same location as the abstraction point.

(2) The seawater to be used in the facility must be delivered into a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than 30 minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.

(3) No wastewater shall be released out of the hatchery without chlorination and dechlorination, especially to prevent the escape of the larvae into the natural waters. Effluent Treatment System (ETS) should be designed to include this provision.

5. Disinfection of implements :

(1) Used containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before further use.

(2) Each broodstock holding tank should have a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks. Facilities for disinfection of all the implements at the end of each day's use should be available.

¹[5-A. Quarantine :

For the purposes of these rules the quarantine procedure shall be complied with as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* No. S.O. 2482(E), dated the 15th October, 2008, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898).]

6. Broodstock in hatchery :

(1) Only SPF broodstock cleared through the quarantine should be used in the hatchery for seed production.

(2) Use of pond-reared broodstock is strictly prohibited.

(3) Hatcheries involved in *L. vannamei* seed production should not use any other species within the hatchery premises.

7. Seed production and sale :

²[(1) Nauplii shall be sold only to the hatcheries permitted by the Authority to rear the seed of SPF *L. vannamei* with due biosecurity protocols. Hatcheries rearing nauplii to the PL stage for sale should maintain record of the number of nauplii received and the PL produced and sold and submit the same to the Authority on a regular basis, failing which the hatcheries shall be derecognised to receive nauplii in future.]

(2) Post-larvae should be sold only to the farmers who have registered with the Coastal Aquaculture Authority specifically for the culture of *L. vannamei*. A copy of the Certificate of Registration issued by Coastal Aquaculture Authority should be retained by the hatchery operator for inspection.

(3) Detailed record of the seed production as well as sale including the name and address of the buyer or farmer should be maintained.

8. Disease reporting and record maintenance :

(1) Any disease outbreak in the hatchery should be reported immediately to Coastal Aquaculture Authority.

1. Added by G.S.R. 280(E), dated 23.3.2012

2. Substituted by G.S.R. 280(E) dated 23.3.2012

(2) The hatcheries should maintain a record of the imported broodstock with details of source, quantity imported, the number of mortality, eggs produced, nauplii produced, post-larvae produced, post-larvae sold, name and address of the farmer to whom sold, date and number of the registration and permission certificate issued by Coastal Aquaculture Authority and should report these in their quarterly compliance reports to be submitted to Coastal Aquaculture Authority as per the format given in Form-IV.

9. Inspection :

Coastal Aquaculture Authority authorised personnel shall visit periodically to check the status of the broodstock, the seed production and sale.

10. Bank Guarantee :

The approved hatcheries will deposit a bank guarantee for rupees five lakh in favour of the Coastal Aquaculture Authority to ensure compliance of the guidelines by them and in the event of any violation the Bank Guarantee shall be invoked.

PART II

Norms and Regulations for Approval and Operation of Farms

1. Eligibility criteria for farms :

¹[(1) Aquaculture farmers who are registered with the Authority shall submit a separate application for permission for farming *L. vannamei*.

Provided that the unregistered farmers shall submit application for registration specifying their intention to culture *L. vannamei* and the application shall be decided in accordance with the provisions of these rules.]

²[(2) Inspection team authorised by the Authority shall inspect the farm and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of *L. vannamei*, applications shall be processed by the Member Secretary for consideration of the Authority for issuing permission to farms for farming of *L. vannamei*.]

(3) Farms must establish adequate biosecurity measures including fencing, reservoirs, bird-scare, separate implements for each of the ponds etc. The farms should be managed by the personnel who are trained and/or experienced in management of biosecurity measures.

(4) Farms irrespective of their size should have an Effluent Treatment System (ETS). Since loading of the environment with suspended solids is very high during the harvest, the ETS should be able to handle the wastewater let off during harvest. Harvesting should be sequential depending on the size of the ETS. The quality of the wastewater should conform to the standards prescribed under the Guidelines issued by Coastal Aquaculture Authority.

1. Substituted by G.S.R. 280(E), dated 23.3.2012
2. Substituted by G.S.R 914(E) dated 18.12.2009

2. Water discharge protocols :

(1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting is permitted through netting only and the water should be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Wastewater should be retained in the ETS for a minimum period of two days.

(3) Farms which follow Zero Water Exchange system of farming will also be encouraged to take up *L. vannamei* farming.

3. Biosecurity considerations :

(1) It is advisable not to culture SPF *L. vannamei* if the neighbouring farms are culturing native species, which are non-SPF, since *L. vannamei* is susceptible for all the viral pathogens reported in *Penaeus monodon* in India.

¹[(2) Farms approved for *L. vannamei* culture shall not be permitted for simultaneous farming of any other crustacean species in the same farm.

(3) For shifting culture from one species to another, adequate dry out period shall be maintained during pond preparation in accordance with the norms issued by the Authority for this purpose from time to time;]

4. Norms for culture of *L. vannamei* :

(1) Tested and certified seed should be procured only from hatcheries authorised for import of the *L. vannamei* broodstock and/or production of *L. vannamei* seed.

(2) Stocking densities should not exceed 60 no./m²

(3) Strict compliance for the wastewater standards is a mandatory requirement and inspection team authorised by Coastal Aquaculture Authority in each case shall monitor the quality of wastewater as per the procedure laid down in the Regulations under Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

5. Record maintenance at farms :

(1) The farmers should maintain a detailed record of the name and address of the hatchery from where they procured the seed, quantity procured, number and date of the valid registration of the hatchery.

(2) The farmers should record the quantity of shrimp produced, sold, and the name and address of the processor to whom sold and this should be reported to the Coastal Aquaculture Authority through quarterly compliance reports as per the proforma given in Form V.

²[6. Destruction of unauthorised stock :

If any unauthorised seed production or culture of *L. vannamei* is noticed during the inspection of farms or hatcheries by the inspection team of the Authority, the inspection team may destroy such stock by such method as it thinks fit.]

1. Substituted by G.S.R. 280(E), dated 23.3.2012
2. Inserted by G.S.R. 280(E), dated 23.3.2012

Form IV

[See guidelines {Annexure-II, Part-I, 8 (2)}]

Format for Quarterly Compliance Report from Hatcheries

The report should contain the following information :

1. Name and Address
2. Date and number of certificate of registration and permission to import
3. Number of broodstock imported, males and females
4. Transport mortality
5. Quarantine mortality
6. Total number of spawnings
7. Total number of eggs produced
8. Total number of nauplii produced
9. Total number of post-larvae produced
10. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality
11. Total number of post-larvae sold to the farmers
12. Details of the farmers to whom sold (should include information on the name, address, registration number) and copy of the permission letter for culturing *L. vannamei* issued by Coastal Aquaculture Authority.

Place :

Signature

Date :

Name of the Authorised Signatory

FORM V

[See guidelines {Annexure-II Part-II, 5 (2)}]

Quarterly Compliance Report from Farms

The report should contain the following information :

1. Name and Address
2. Date and number of Certificate of Registration issued by Coastal Aquaculture Authority
3. Date and number of permission letter from Coastal Aquaculture Authority for culturing *L. vannamei*
4. Number of post-larvae purchased
5. Name and address of the hatchery
6. Number and date of the certificate of registration of the hatchery
7. Letter from the hatchery indicating the number of post-larvae sold to the farmer.
8. Total number stocked
9. Total weight harvested
10. Average size at harvest
11. Days of culture
12. Details of sequential harvesting (depending on the size of the ETS) carried out
13. Dates on which Inspection Committee visited and collected samples.

Place :

Signature

Date :

Name of the Authorised Signatory

¹[Annexure-III]

In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Clause (a) of sub-section (2) of Section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely :-

1. (1) These rules may be called the **Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2012**.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, after Annexure-II, the following Annexure shall be added at the end, namely :-

GUIDELINES FOR SEED PRODUCTION AND CUTLURE OF SPECIFIC PATHOGEN FREE (SPF) *PENAEUS MONODON*

A. Specific Pathogen Free Status of Broodstock Rearing/ Nuclear Breeding Facility

(1) Shrimp that are maintained in the broodstock rearing facility or Nuclear Breeding Centre (NBC) should have a history of negative disease status documented through a surveillance programme, at least for the past two years.

(2) Specific Pathogen Free (SPF) implies that the facilities, operations and animals are free of the specifically listed pathogens (OIE) (World Organisation for Animal Health) listed viruses and necrotising hepatopancreatitis bacterium (NHPB); and the facility producing the Specific Pathogen Free Stock should also have been certified for the Specific Pathogen Free status by the designated agency of Government.

B. Quarantine

(1) All the broodstock including post-larvae (PL) meant for rearing into broodstock imported by hatcheries should undergo quarantine. This requirement is applicable to every stock brought into the country even if they are brought from the islands of Indian territory to the mainland.

(2) All the quarantine guidelines including biosecurity requirements, pre-border quarantine requirements, disinfection methods, etc., as provided for import of Specific Pathogen Free *L. vannamei* and as notified *vide* S.O. 2482 (E) dated 15th October, 2008 under the relevant provisions of Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended from time to time shall be applicable in case of Specific Pathogen Free *P. monodon* too.

1. Added by G.S.R. 695(E), dated 14th September, 2012

C. Import Permit And Port of Entry

(1) The Coastal Aquaculture Authority (CAA) set up under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 shall, (in consultation with Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai, National Fisheries Development Board (NFDB), Hyderabad, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, Government of India, The Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Kochi and All India Shrimp Hatcheries Association, decide the annual requirement of Specific Pathogen Free *P. monodon* broodstock if imported and shall grant permission for this purpose to the eligible hatcheries.

(2) The Technical Evaluation Committee consisting of representatives from Coastal Aquaculture Authority (CAA), National Fisheries Development Board (NFDB), Hyderabad, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHD&F) and Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) shall shortlist the SPF *P. monodon* suppliers based on the SPF certification, genetic base and disease free status, etc., of the facilities and import of SPF *P. monodon* shall be permitted only from such suppliers.

(3) The designated port of import of Specific Pathogen Free broodstock of *P. monodon* shall be Chennai.

(4) Suppliers of indigenously produced Specific Pathogen Free *P. monodon* broodstock shall also be approved by the Coastal Aquaculture Authority on the basis of the technical evaluation of the facilities and programme.

D. Safeguards and Regulations for Operation of Hatcheries for SPF *P. monodon*

1. Criteria for application to breed Specific Pathogen Free (SPF) *P. monodon* :

(1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in shrimp seed production having the required biosecurity facilities as prescribed by Coastal Aquaculture Authority would be eligible to apply for registration with the Coastal Aquaculture Authority and for permission to import Specific Pathogen Free *P. monodon* broodstock or to acquire from indigenous Specific Pathogen Free source and to produce and sell post-larvae of Specific Pathogen Free *P. monodon*.

(2) Approval of the hatchery for rearing Specific Pathogen Free *P. monodon* will be given by Coastal Aquaculture Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted by Coastal Aquaculture Authority for this purpose.

(3) The hatchery facilities should have strict biosecurity control through physical separation or isolation of the different production facilities which is a feature of good hatchery design. In existing hatcheries with no physical separation,

effective isolation may also be, achieved through the construction of barriers and implementation of process and product flow controls.

(4) The hatchery facility should have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorised persons. This will help to reduce the risk of pathogen introduction by this route, as well as improve overall security.

2. Sanitary requirement :

(1) Entrance to the hatchery should be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility should be maintained by the security personnel.

(2) Hatchery staff should enter through a shower and dressing room, where they remove their street clothes and take a shower before entering another dressing room to put on working clothes and boots. At the end of the working shift, the sequence should be reversed.

(3) There should be means provided for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate), feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient), and hands (bottles containing iodine). Polyvinylpyrrolidone (PVP) 20 ppm and/or 70% alcohol) to be used upon entering and exiting the unit.

3. Water intake :

(1) Each functional unit of the hatchery should have independent water treatment facility and it should be isolated from all other water-supply systems. Separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve biosecurity, especially in high risk areas.

(2) Water for the hatchery should be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in the source water. This may be achieved by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters into the first reservoir or settling tank. Following primary disinfection by chlorination, and after settlement, the water should be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet (UV) light or ozone or both.

(3) The water-supply system may include use of activated carbon filters, the addition of ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) and temperature and salinity regulation.

4. Water treatment and discharge of wastewater :

(1) The discharged water from the hatchery, should be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than 60 minutes) or other effective disinfectant prior to discharge. This is particularly crucial where the water is to be discharged to the same location as the abstraction point.

(2) The seawater to be used in the facility must be delivered into a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than 30 minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.

(3) No wastewater shall be released out of the hatchery without chlorination and dechlorination. Effluent Treatment System (ETS) should be designed to include this provision.

5. Disinfection of implements :

(1) Used containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before further use.

(2) Each broodstock holding tank should have a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks. Facilities for disinfection of all the implements at the end of each day's use should be available.

6. Broodstock in hatchery :

(1) Only Specific Pathogen Free broodstock cleared through the quarantine should be used in the hatchery for seed production.

(2) Use of broodstock other than those certified as Specific Pathogen Free by the designated authority is strictly prohibited.

(3) Hatcheries involved in Specific Pathogen Free *P. monodon* seed production should not use any other non-SPF species within the hatchery premises.

7. Seed production and sale :

(1) Nauplii can be sold to other hatcheries only when permitted by the Coastal Aquaculture Authority. Only tested and certified post-larvae should be sold.

(2) Post-larvae of Specific Pathogen Free *P. monodon* right from production to sale should be maintained at the SPF facility with proper biosecurity safeguards.

(3) Post-larvae should be sold only to the farmers who have registered with the Coastal Aquaculture Authority specifically for the culture of *P. monodon* since Specific Pathogen Free status cannot be retained at the farm level without the required biosecurity measures. A copy of the Certificate of Registration issued by the Coastal Aquaculture Authority for culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* should be retained by the hatchery operator for inspection.

(4) Detailed record of the seed production as well as sale including the name and address of the buyer or farmer should be maintained.

8. Disease reporting and record maintenance :

(1) Any disease outbreak in the hatchery should be reported immediately to the Coastal Aquaculture Authority.

(2) The hatcheries should maintain a record of the imported broodstock or indigenously certified broodstock of Specific Pathogen Free status with details of source, quantity imported, or procured from indigenous sources, the number of mortality, eggs produced, nauplii produced, post-larvae produced, post-larvae sold, name and address of the farmer to whom sold, date and number of the registration and permission certificate issued by the Coastal Aquaculture Authority and should report these in their quarterly compliance reports to be submitted to Coastal Aquaculture Authority as per the format given in Form-VI.

9. Inspection :

Coastal Aquaculture Authority authorised personnel shall visit periodically to check the status of the broodstock, the seed production and sale.

10. Destruction of stock at unauthorised hatcheries or farms :

During the inspection of hatcheries or farms by the Inspection Team of Coastal Aquaculture Authority, if any unauthorised seed production, sale of Specific Pathogen Free seed or culture of Specific Pathogen Free *P. monodon* is noticed, the Inspection Team should destroy such stock through application of any methods/means deemed fit.

11. Bank Guarantee :

The approved hatcheries will deposit a bank guarantee for Rs.5.00 lakhs (Rupees Five Lakhs) in favour of the Coastal Aquaculture Authority to ensure compliance of these Guidelines by them and in the event of any violation, the Bank Guarantee shall be invoked.

E. Norms and Regulations for Approval and Operation of Farms

1. Eligibility criteria for farms to culture Specific Pathogen Free *P. monodon* :

(1) Aquaculture farmers who are registered with Coastal Aquaculture Authority will be required to submit a separate application for permission for farming Specific Pathogen Free *P. monodon*.

(2) Inspection Team authorised by Coastal Aquaculture Authority for Specific Pathogen Free *L. vannamei* culture shall inspect the farm intending to culture Specific Pathogen Free *P. monodon* and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of Specific Pathogen Free *P. monodon*, applications shall be processed by the Member Secretary and put

up for approval of the Coastal Aquaculture Authority for issuing permission to farms for farming of Specific Pathogen Free *P. monodon*.

(3) Farms culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* must establish adequate biosecurity measures including fencing, reservoirs, bird-scare, separate implements for each of the ponds. The farms should be managed by the personnel who are trained or experienced in management of biosecurity measures.

(4) Farms irrespective of their size should have an Effluent Treatment System (ETS). Since loading of the environment with suspended solids is very high during the harvest, the effluent treatment system should be able to handle the wastewater let off during harvest. Harvesting should be sequential depending on the size of the effluent treatment system. The quality of the wastewater should conform to the standards prescribed under the Guidelines issued by Coastal Aquaculture Authority.

2. Water discharge protocols :

(1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting is permitted through netting only and the water should be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Wastewater should be retained in the effluent treatment system for a minimum period of two days.

(3) Farms which follow Zero Water Exchange system of farming will be encouraged to take up Specific Pathogen Free *P. monodon* farming.

3. Biosecurity considerations :

Farms approved for Specific Pathogen Free *P. monodon* culture would not be permitted for farming of any other non-SPF crustacean species simultaneously in the same pond or farm.

4. Norms for culture of Specific Pathogen Free *P. monodon* :

(1) Tested and certified seed should be procured only from hatcheries authorised to breed Specific Pathogen Free *P. monodon* broodstock and sell the seed.

(2) Stocking densities should not exceed 30 no./m².

(3) Strict compliance for the wastewater standards is a mandatory requirement and inspection team authorised by Coastal Aquaculture Authority in each case shall monitor the quality of wastewater as per the procedures laid down in the Regulations under Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

5. Record maintenance at farms :

(1) The farmers should maintain a detailed record of the name and address of the hatchery from where they procured the seed, quantity procured, number and date of the valid registration of the hatchery, etc.

(2) The farmers should record the quantity of shrimp produced, sold, and the name and address of the processor to whom sold and this should be reported to the Coastal Aquaculture Authority through quarterly compliance reports as per the proforma given in Form VII.

FORM VI

[See guidelines {Annexure III. Para D 8 (2)}]

Format for Quarterly Compliance Report from Hatcheries

The report should contain the following information :

1. Name and Address
2. Date and number of certificate of registration and permission to import
3. Number of broodstock imported, males and females
4. Transport mortality
5. Quarantine mortality
6. Total number of spawning
7. Total number of eggs produced
8. Total number of nauplii produced
9. Total number of post-larvae produced
10. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality
11. Total number of post-larvae sold to the farmers
12. Details of the farmers to whom seed sold (should include information on the name, address, Registration Number) and copy of the permission letter for culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* issued by Coastal Aquaculture Authority.

Place :

Signature

Date :

Name of the Authorised Signatory

FORM VII

[See guidelines {Annexure III, Para E 5(2)}]

Quarterly Compliance Report from Farms

The report should contain the following information :

1. Name and Address
2. Date and number of Certificate of Registration issued by Coastal Aquaculture Authority
3. Date and number of permission letter from Coastal Aquaculture Authority for culturing Specific Pathogen Free (SPF) *P. monodon*
4. Number of post-larvae purchased
5. Name and address of the hatchery
6. Number and date of the certificate of registration of the hatchery
7. Letter from the hatchery indicating the number of post-larvae sold to the farmer
8. Total number stocked
9. Total weight harvested
10. Average size at harvest
11. Days of culture
12. Details of sequential harvesting (depending on the size of the effluent treatment system) carried out
13. Dates on which Inspection Committee visited and collected samples

Place :

Signature

Date :

Name of the Authorised Signatory

NOTIFICATION

(Guidelines regulating the method of operation of Aquatic Quarantine for import of SPF *Litopenaeus vannamei* in to India)

¹[In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended by **Livestock Importation Act, 2001 (Act 28 of 2001)**, the Central Government hereby notifies the guidelines regulating the method of operation of aquatic quarantine for the import of *Litopenaeus vannamei* into India as per the schedule annexed to this notification:]

SCHEDULE

1.0 Biosecurity requirements for the quarantine :

- The quarantine facility should have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorized persons.
- Each functional unit of the quarantine should have independent water treatment facility and water supply systems, and should be isolated from the water supply systems of other functional units.
- Water for the quarantine should be filtered and treated to prevent entry of vectors and any pathogens that may be present in the source water. This may be achieved by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters into the first reservoir or settling tank. Following primary disinfection by chlorination, and after settlement, the water should be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet (UV) light and/or ozone.
- The discharged water from the quarantine should be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than 60 minutes) or other effective disinfectant prior to discharge. This is particularly crucial where the water is to be discharged to the same location as the abstraction point.
- Entrance to the quarantine area should be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility should be maintained by the security personnel.
- Quarantine unit staff should enter through a shower/dressing room, where they remove their street clothes and take a shower before going to another dressing room to put on working clothes and boots. At the end of the working shift, the sequence should be reversed.

- There should be means provided for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate) feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient) and hands (bottles containing iodine-PVP (20 ppm and/or 70% alcohol) to be used upon entering and exiting the unit.
- An adequate number of containers should be available in the quarantine to facilitate effective daily routine movement of shrimp in and out of the facility.
- The quarantine facility should have an independent supply of water and air with separate treatment and disinfection systems and a system for the treatment of effluents to prevent the potential escape of pathogens into the environment.
- The seawater to be used in the facility must be directed to a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than 30 minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.
- Used plastic containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before reuse.
- Each holding tank should have a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks. Facilities for disinfection of all equipment at the end of each day should be available.

2.0 Import Permit and Port of entry :

- Permission for importing the broodstock of *L. vannamei* shall be granted by the Coastal Aquaculture Authority (CAA) according to the annual requirement of Specific Pathogen Free (SPF) *L. vannamei* broodstock to the eligible applicants.
- The CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA) shall short-list the SPF *L. vannamei* suppliers based on the genetic base and disease status. Import of SPF broodstock shall be permitted only from such suppliers.
- Chennai shall be the designated port of entry for the import of SPF broodstock.

3.0 Pre-border quarantine requirement :

- The following certificates in original, issued by the competent authority of the exporting country should accompany the consignment of SPF broodstock and copies of the certificates should be made available to the quarantine officer at least 2 days before arrival of the consignment.

-
- A certificate indicating the SPF status of the broodstock in relation to the pathogens excluded in the shrimps.
 - A certificate indicating the history of disease occurrence in the broodstock rearing facility of the exporter for the last two years.
 - A certificate indicating that the batch of exported broodstock was held in pre-quarantine for a ¹[minimum] period of 12 days and the results of the tests for the following pathogens should be included.
 1. Taura syndrome virus (TSV) (OIE listed)
 2. Yellowhead virus (YHV) (OIE listed)
 3. Infectious myonecrosis virus (IMNV) (OIE listed)
 4. Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) (OIE listed)
 5. ²[]
 6. White spot syndrome virus (WSSV) (OIE listed)
 7. Necrotising hepatopancreatitis bacterium α -Proteobacterium [(NHPB)]³
 - The testing should have been done not earlier than ⁴[20 days before the actual shipment.]

Note: The principal notification was published vide No. S.O. 2482(E) dated the 15th October, 2008 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th October, 2008 and subsequently amended vide number S.O. 2213(E) dated the 31st August, 2009 and S.O. 783(E) dated the 21st April, 2011.

- Before shipment, detailed information on the actual quantity/number of broodstock to be imported should be furnished in the form of package slip indicating the number of cartons they are packed in.

4.0 Quarantine requirements :

- The importers should book their space in the quarantine facility well in advance by providing copies of the relevant documents to the Animal Quarantine Officer and paying the requisite fees as may be fixed by the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries).
- Clearance of the consignment of SPF broodstock at the airport, its transportation to quarantine facility alongwith the quarantine staff,

1. Substituted *vide* S.O. 783(E), dated 21.04.2011

2. [Baculovirus penaei (BP)(OIE) listed] deleted *vide* S.O. 1392(E), dated 19.06.2012

3. This pathogen is presently under study for inclusion in OIE List.

4. Substituted *vide* S.O. 783(E), dated 21.04.2011

maintenance at the quarantine facility and repacking and transportation to the hatcheries shall be the responsibility of the importer.

- The packing materials should be of good quality in order to avoid any accidental damage.
- The space in the carton should comply with acceptable densities specified for *L. vannamei*.
- The consignment should not be opened at any transit point. If it is found to be tampered, the entire consignment shall be rejected and the animals destroyed.
- The importer shall receive the consignment only at Chennai.
- Precautions should be taken to prevent spillage of water and damage to the containers during transportation.
- In the event of any accidental spillage of water during transport, the importer shall ensure the decontamination of water using OIE approved disinfecting procedures.
- There shall be a gross inspection of the consignment on arrival by the Animal Quarantine Officer but before its despatch to the quarantine facility. The quarantine staff may accompany the consignment till it reaches the quarantine site and the consignment will be opened at the specified site in the presence of the representatives from Coastal Aquaculture Authority (CAA) and Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) to ensure that the supply has been received in good condition and as per the terms and conditions of the permission for import of *L. vannamei*.
- The samples from the imported shrimp should be collected before releasing them into the tanks at the quarantine facility.
- The vehicles used for transport of the exotic broodstock from the airport to the quarantine facility shall be disinfected immediately after the transfer of the animals to the quarantine and the containers used for the transport will be destroyed under supervision of the team as may be designated by the CAA.
- A ¹[quarantine period of five days] in case of shrimp broodstock shall be observed to ensure that the consignment is free of diseases and poses no risk.
- The brooders in the quarantine will be tested by CIBA for all known pathogens through OIE prescribed methodologies. The health of the brooders shall be monitored everyday and the visual changes recorded

1. Substituted *vide* S.O. 2213(E) dated 31.08.2009

in a register. Mortality, if any, shall be recorded in a separate register. The moribund or visibly weak animal shall be preserved in ethanol and formalin for further disease investigations.

- No live feed shall be given to the brooders during the quarantine period. Only pelleted feed of standard companies shall be used for feeding after check for any pathogen. The leftovers and metabolic wastes should be removed immediately as per the quarantine procedures.
- Disinfectant bath of 1 : 2000 KMnO_4 should be maintained in the quarantine facility and all persons entering or leaving should wash their hands and feet in the bath.
- During the initial ten days period of quarantine, if any exotic disease is observed the entire broodstock should be destroyed.
- An appropriate incinerator should be installed in the quarantine for destroying the infected stock.
- After clearance from the quarantine, the imported broodstock shall be handed over to the importer.

5.0 Disinfection methods :

A) Effluent Disinfection :

- All waste waters released from the quarantine/hatcheries should be disinfected with chlorine and then dechlorinated before release. The Effluent Treatment System (ETS) should be designed to handle the total water volume used in the quarantine.

B) Carcass disposal by incineration :

- The dead animals shall be incinerated.

C) Disinfection of equipments:

- 200 ppm of free chlorine shall be applied overnight for disinfection of equipment.

D) Disinfection of Buildings:

- 17.5 gm potassium permanganate and 35 ml of 37% aqueous formalin per 100 cubic feet area should be used for disinfection of building.

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
REGULATIONS, 2008**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY REGULATIONS, 2008¹

ARRANGEMENT OF REGULATIONS

Sec. No.		Page No.
CHAPTER I – PRELIMINARY		
1.	Short title and commencement	... 211
2.	Definitions	... 211
CHAPTER II – MEETINGS OF THE AUTHORITY		
3.	Meetings of the Authority	... 212
4.	Power to call meetings	... 212
5.	Agenda	... 212
6.	Quorum	... 212
7.	Presiding over meetings	... 212
8.	Business by circulation in certain circumstances	... 212
9.	Record of business	... 213
CHAPTER III – METHOD OF RECRUITMENT, QUALIFICATIONS, ETC., FOR EMPLOYEES OF THE AUTHORITY		
10.	Method of recruitment of officers and employees of the Authority	... 213
11.	Conditions of service	... 213
CHAPTER IV – APPOINTMENT OF ADVISORS OR CONSULTANTS		
12.	Terms and conditions of appointment of officers or consultants	... 214
CHAPTER V – DISPOSAL OF APPLICATIONS		
13.	Disposal of applications	... 214
CHAPTER VI – PROCEDURE FOR TAKING SAMPLES		
14.	Laboratories recognised for testing samples	... 215
SCHEDULE-II		
	FORM I	... 217
	FORM II	... 218
	FORM III	... 219

1. Published in the Gazette of India, Pt. III. S. 4, dated 8.3.2008

Ministry of Agriculture Coastal Aquaculture Authority

New Delhi, the 7th March, 2008

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY REGULATIONS 2008

[23rd June, 2005]

In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) the Coastal Aquaculture Authority hereby makes the following regulations, namely.—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called **The Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008**¹.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “**Act**” means the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005);
- (b) “**Authority**” means the Coastal Aquaculture Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
- (c) “**Form**” means a form appended to these regulations;
- (d) “**member-secretary**” means the member-secretary of the Authority appointed under clause (h) of sub-section (3) of Section 4 of the Act;
- (e) “**member**” means a member of the Authority appointed under sub-section (3) of Section 4 and includes the Chairperson and the member-secretary;
- (f) “**Schedule**” means a Schedule appended to these regulations;
- (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

1. Published in the Gazette of India, Pt. III. Section 4, dated 08.03.2008

CHAPTER II

MEETINGS OF THE AUTHORITY

3. Meetings of the Authority.— The Authority shall hold at least one meeting within a period of two months on such date and at such place as the Chairperson may think fit and the interval between two ordinary meetings shall not in any case be longer than two months.

4. Power to call meetings.— (1) The Chairperson may, at any time, convene a special meeting of the Authority and shall do so if a requisition for a meeting is presented to him in writing by at least one-third of the total number of members or upon a special direction of the Central Government and no ordinary business shall be transacted in such special meetings.

(2) The Chairperson may require any officer of the Authority or invite any person who has sufficient knowledge, experience or background in a subject relating or relevant to any matter under consideration of the Authority, to attend any meeting of the Authority as special invitee, but such officer, or person shall not have the right to vote.

(3) The Chairperson shall give notice of not less than ten clear days before the meeting:

Provided that no such notice shall be necessary if business of urgent nature is to be considered.

5. Agenda.— No subject other than the subject included in the agenda shall be considered except with the permission of the Chairperson.

6. Quorum.— (1) No business shall be transacted at a meeting of the Authority unless one-third of the members, including the Chairperson and the member-secretary are present.

(2) If at any time, the number of members present at a meeting is less than the required quorum, the person presiding shall adjourn the meeting to a date not later than three days from that date.

(3) It shall be lawful in such adjourned meeting to consider the agenda for the meeting even if there is no quorum.

7. Presiding over meetings.— At every meeting of the Authority at which the Chairperson is present, he shall preside over and if for any reason the Chairperson is unable to attend a meeting of the Authority, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

8. Business by circulation in certain circumstances.— (1) Any business, which has to be transacted by the Authority urgently and cannot wait for the next ordinary meeting may, if the Chairperson so directs, be referred to the members by circulation of papers.

(2) Any such papers circulated and approved by a majority of the members in writing shall have the same effect as if such proposal or resolution were decided by the majority of the members at a meeting:

Provided that if three or more members propose or request that the proposal or resolution be placed in the meeting of the Authority, the proposal or resolution shall be placed in the next meeting of the Authority.

(3) Where a proposal or resolution is circulated to the members as referred to in sub-regulation (2), they shall have the right to file reply regarding the same and the Authority shall communicate the result of such proposal or resolution.

9. Record of business.— (1) A record shall be maintained of all items of business transacted by the Authority at its meetings or by circulation of papers.

(2) The decision arrived at by circulation shall be recorded in the next meeting of the Authority.

(3) The decision taken in a meeting of the Authority shall be confirmed in the subsequent meeting.

CHAPTER III

METHOD OF RECRUITMENT, QUALIFICATIONS, ETC., FOR EMPLOYEES OF THE AUTHORITY

10. Method of recruitment of officers and employees of the Authority.— (1) The name and number of officers and staff of the Authority, the scale of pay attached to each post and the method of recruitment shall be as provided in the Schedule.

(2) The Authority may till regulations providing the method of recruitment, age limit and qualifications, and other matters relating to the said posts are framed with the approval of the Central Government, follow the method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said posts for which the appointments are to be made on the basis or rules for analogous posts under the Central Government and with the prior approval of the Central Government.

11. Conditions of service.— The salary, allowances, leave, and other conditions of service and other facilities and concessions such as advances of pay, advances for purchase of conveyances, construction of houses and the like in respect of all employees of the Authority shall be the same as are for the time being applicable to officers and employees of the Central Government of the corresponding grade.

CHAPTER IV

APPOINTMENT OF ADVISORS OR CONSULTANTS

12. Terms and conditions of appointment of officers or consultants.— The terms and conditions of appointment of advisor or consultant under sub-section (2) of Section 9 of the Act shall be as follows :—

(i) The Authority shall decide in each case the consolidated fee payable for advisor or consultant.

(ii) The consultant or advisor shall be entitled for travelling allowance and dearness allowance as per rules applicable to any serving officer of an equivalent rank in the Ministries or Departments:

(iii) A consultant or an advisor shall not be entitled for telephone or transport facilities:

Provided that a consultant or an advisor shall be entitled for reimbursement of conveyance charges on the same terms and conditions as admissible to serving officers of equivalent rank under the Delegation of Financial Power Rules.

(iv) A consultant or an advisor shall not be entitled for residential accommodation from the Central Government pool.

CHAPTER V

DISPOSAL OF APPLICATIONS

13. Disposal of applications.— (1) The District and State level committees shall as far as practicable adhere to the following timeframe with a view to ensure time-bound disposal of applications submitted for setting up or for renewal of coastal aquaculture farms, namely :—

Sl. No.	Activity	Timeframe
(1)	(2)	(3)
1	Detailed examination of the application, site inspection and despatching application by the District Level Committee to the State level Committee or Coastal Aquaculture Authority, as the case may be.	Four weeks from the date of receipt of the application.
2	Consideration of the applications by the State Level Committee and dispatching application with recommendations to the Coastal Aquaculture Authority.	Two weeks from the date of receipt of the application from the District Level Committee.

(2) The Authority may consider the applications forwarded to it for registration—

(a) where the Authority is not required to make any enquiry before the grant of registration in the meeting convened immediately after the receipt of the application.

(b) where the Authority is required to make enquiry, in the meeting convened immediately after such enquiry made by the Authority.

(c) where the Authority is required to make enquiry, such enquiry shall be required to be completed within two months from the date of receipt of the application from the District level Committee or State Level Committee.

CHAPTER VI

PROCEDURE FOR TAKING SAMPLES

14. (1) The following Institutions or Laboratories are recognised and approved for testing of samples and analysis, namely :-

- (a) Government of India laboratories;
- (b) Indian Council of Agriculture Research laboratories;
- (c) Council of Scientific and Industrial Research laboratories;
- (d) The Marine Products Exports Development Authority laboratories;
- (e) Export Inspection Agency laboratories;
- (f) State Government National Accredited Board for Testing and Calibration laboratories; and
- (g) Private National Accredited Board for Testing and Calibration laboratories accredited laboratories.

(2) The officer authorised by the Authority shall serve the occupier of the coastal aquaculture farm or his agent the person in charge of the farm, a notice in Form I given in Schedule II of his intention to have the sample analysed.

(3) The officer authorised by the Authority to take samples shall collect the sample in sufficient quantity to be divided into two uniform parts, seal and mark the same and the officer shall permit the person from whom the sample taken to add his own seal or mark to all or any of the portions so sealed and marked.

(4) In case, the sample is made up in containers or small volumes and is likely to deteriorate or be otherwise damaged if exposed, the officer shall take two of the said samples without opening the containers, seal and mark the same in the same manner.

- (5) The officer taking samples shall—
- (a) hand over one portion of the sample to the person from whom the sample is taken under acknowledgement which if so desired, and be sent for analysis by him to any of the approved laboratories.
 - (b) send the other portion of the sample forthwith to the designated laboratory for analysis by registered post or through special messenger along with Form II as given in Schedule II.
 - (c) send a copy of the said Form II with specimen impression of seals of the farm or mark, if any, of the person from whom the sample is taken, separately in a sealed cover by registered post or through special messenger to a designated laboratory.
- (6) The findings of the analysis shall be recorded in Form III as given in Schedule II in triplicate and signed by the analyst and sent to the officer from whom the sample was received for analysis.
- (7) On receipt of the report of the analyst, the officer shall forthwith send one copy of the report to the person from whom the sample was taken, a copy shall be retained by him to be produced in the Court, if necessary and one copy shall be sent to the Authority.
- (8) Where the report of analysis by the Institution or Laboratory, reveals contravention of any of the provisions in the Act, rules, regulations or conditions of registration, the Authority may without prejudice to any other action that may be taken, cancel the registration of the farm.

SCHEDULE II

FORM I

[See Regulation 14(2)]

Notice of intention to have sample analysed

To

.....
.....

Take notice that it is intended to have analysed the sample of *.....
which has been taken today, the day of
from (Name and designation of the person who
takes the sample)

*Specify the place from where the sample is taken.

Date

(Seal)

FORM II

[See Regulation 14(5)(b)]

Memorandum to Government Analyst

From

.....
.....

To

.....
.....

Government Analyst

.....
.....

The portion of sample described below is sent herewith for analysis under Section 12 of Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

The portion of the sample has been marked by me with the following mark :
Details of the portion of sample taken.

Date

Name and designation of person
who sends sample
(Seal)

FORM III

[See Regulation 14(6)]

Report by the Analyst

Report No.....

Date.....

I hereby certify that I..... the Analyst duly designated by the Coastal Aquaculture Authority Act received on the day of from *..... a sample of for analysis.

The seal/marks, were compared and they tallied/did not tally with the specimen seal/marks fit/not fit for analysis.

I have analysed the aforementioned sample on and the result of the analysis is as follows:

**

Signed this day of

Witness

Signature
(Analyst)

To

.....
.....

* Here write the name of the officer/authority from whom sample was obtained.

** Here write full details of analysis and refer to method of analysis.

**OTHER NOTIFICATIONS
RELATED TO
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

OTHER NOTIFICATIONS RELATED TO CAA

ARRANGEMENT OF NOTIFICATIONS

Sl. No.	Page No.
1. No. 21 dated 20th December 2004 on Statement of objects and reasons of CAA Act 2005.	... 223
2. S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 on Establishment of CAA with effect from 22nd December 2005.	... 227
3. S.O. 1359(E), dated the 25th August, 2006 on appointment of Dr. A.G. Ponniah and Ms. Leena Nair as members of CAA	... 229
4. S.O. 2093(E), dated the 13th December 2006 on appointment of Dr. A. Senthil Vel as member of CAA	... 229
5. S.O. 1720(E), dated the 8th October, 2007 on appointment of Shri S.K. Bhattacharya as member of CAA	... 230
6. S.O. 1947(E), dated the 16th November, 2007 on appointment of Dr. P. Ravichandran as Member Secretary of CAA	... 230
7. S.O. 149(E), dated the 25th January, 2008 on appointment of Shri P. Madeswaran as member of CAA	... 231
8. S.O. 1069(E), dated the 25th April, 2008 on appointment of Dr. R. Paul Raj as Member Secretary of CAA	... 231
9. S.O. 1127(E), dated the 9th May, 2008 on appointment of Joint Secretary (Fisheries) as Member of CAA	... 232
10. S.O. 1523(E), dated the 17th June, 2009 regarding Reconstitution of CAA Members from 17th June, 2009.	... 232
11. S.O. 1438(E), dated the 26th June, 2012 regarding Reconstitution of CAA Members from 26th June, 2012	... 234
12. F.No. 9-4/2008-Fy. Admn., dated the 19th August, 2013 on appointment of Justice K. Raviraja Pandian as Chairperson of CAA.	... 235
13. S.O. 2714(E), dated 28th October, 2009 issued by Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) on export of fresh, frozen and processed fish and fishery products	... 236

THE COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY ACT, 2005 (24 of 2005)

Statement of Objects and Reasons.

The Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 561 of 1994 has held that aquaculture is an industry and hence it is covered by the prohibition imposed by the sub-paragraph (i) of paragraph 2 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 issued under sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986. The Supreme Court has further directed that an Aquaculture Authority shall be established to regulate aquaculture in coastal areas. The intention of the Government was not to treat coastal aquaculture as a prohibited activity within the meaning of the said notification. The effect of this judgment is to close all aquaculture farms, except traditional and improved traditional, in the coastal areas. The activity mainly utilises saline areas along the coastline, which areas are not suitable for other activities and provides employment to approximately three lakh workers. Larger investment of public and private funds has also been made in the farming activity. If these farms are closed down, it may lead to about three lakh workers being rendered unemployed. Hence, it was considered necessary to save the employment of the workers and also the investment already made in this economic activity and to provide for future growth of aquaculture farming in a manner, which is consistent with the requirement of safeguarding the environment. In order to achieve the above objects and to clear all doubts, it was decided to amend the said notification to clarify that aquaculture was not intended to be a prohibited activity within the meaning of that notification. Since it is necessary to validate all coastal aquaculture farms set up hitherto retrospectively, and achieve the above objects, a Bill titled as “The Aquaculture Authority Bill, 2000” was introduced in the Rajya Sabha on 28th February, 2000. The Bill was referred to the Department related Parliamentary Standing Committee on Agriculture for examination and report. The Standing Committee, after interaction with various Organisations/Departments, presented its report on 5th December, 2000 before the Parliament. Since some recommendations made by the said Standing Committee were substantive in nature, it has been considered appropriate by the Government to withdraw the said Bill and to introduce a fresh Bill on the lines recommended by the said Standing Committee.

2. The Notes on clauses appended to the Bill explain in detail the various provisions of the Bill.

1. *Vide* Gazette of India, Part II, Sec. 2, Issued No.21, dated 20th December 2004.

Notes on clauses

Clause 2 deals with the definitions of certain expressions used in the Bill.

Clause 3 confers certain powers on the Central Government to regulate coastal aquaculture by providing guidelines to ensure that coastal aquaculture shall not be detrimental to the coastal environment and to protect the livelihood of various sections of the people living in coastal areas.

Clause 4 provides for the establishment of the Coastal Aquaculture Authority and appointment of Chairperson and members. Sub-clause (3) of this clause provides that the Authority shall consist of a Chairperson and ten members to be appointed by the Central Government and sub-clause (5) deals with salaries, allowances, other terms and condition of service of the members.

Clause 5 deals with the disqualifications for being appointed as a member of Authority.

Clause 6 deals with the eligibility of members for reappointment.

Clause 7 provides for the meetings of the Authority for transaction of business. It also provides that in the absence of the Chairperson, any other member chosen by the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding, shall and exercise a second or casting vote.

Clause 8 lays down the circumstances, which will not invalidate the proceedings of the Authority.

Clause 9 deals with the appointment of officers and other employees and consultants of advisers of the Authority.

Clause 10 provides for authentication of the orders and other instruments of the Authority.

Clause 11 provides for the functions of the Authority. This clause provides that the Authority shall have various functions, *inter alia*, to make regulations for construction and operation of coastal aquaculture farms, their registration as well as removal or demolition of farms for specific reasons. It also provides for appointment of a one-man authority to determine the compensation to workers if the farms are to be removed or demolished as per the orders of the Authority.

Clause 12 empowers any person authorised by the Authority to enter into any coastal aquaculture land, pond, pen or enclosure and to make inspection, survey, measurement, valuation or inquiry and to remove or demolish any structure therein. This clause also provides that said person shall enter into any aquaculture land, pond, pen or enclosure after giving atleast twenty-four hours notice in writing of his intention to do so to the occupier of such aquaculture land, pond, pen or enclosure.

Clause 13 provides detailed procedures for registration of coastal aquaculture farms to undertake aquaculture activities including validity period, renewal, inquiry to ensure protection of coastal environment and the areas where the coastal aquaculture shall not be carried out.

Clause 14 provides for punishment for carrying out coastal aquaculture without registration.

Clause 15 provides that no court shall take cognizance of an offence without a written complaint filed by an officer of the Authority.

Clause 16 provides provision for payment of sum to the Authority by the Central Government to perform its functions under the proposed legislation.

Clause 17 provides that the Authority shall have its own fund, and all its receipts should be credited thereto and all payments should be made therefrom.

Clause 18 imposes obligation on the Authority to prepare the budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure and to forward the copies thereof to the Central Government.

Clause 19 imposes obligation on the Authority to prepare and submit to the Central Government, after the end of each financial year, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year. The report so submitted by the Authority shall be laid before both Houses of Parliament.

Clause 20 imposes obligation on the Authority to maintain books of account and other books in relation to its accounts.

Clause 21 provides that the Chairperson and other members, officers and employees of the Authority and the authority appointed by the Authority shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Clause 22 provides that no suit, prosecution or other proceedings shall lie against the Central Government or the Authority or the Chairperson and other members of the Authority or the authority appointed by the Authority or any other persons authorised by the Chairperson for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the Bill.

Clause 23 seeks to empower the Central Government to make such orders as are necessary for removal of any difficulty which may arise while giving effect to the provisions of this Bill within a period of two years from the date of the commencement of the proposed enactment.

Clause 24 empowers the Central Government to make rules for carrying out the provisions of the proposed enactment. The matters in respect of which rules may be made by the Central Government are enumerated in detail in sub-clause (2).

Clause 25 seeks to empower the Authority to make regulations consistent with the provisions of the proposed legislation and the rules made thereunder to carry out the provisions of the proposed legislation. The matters in respect of which

regulation may be made by the Central Government are enumerated in detail in sub-clause (2).

Clause 26 provides that every rule and regulation made under the proposed legislation shall be laid before each House of Parliament.

Clause 27 provides for amending the notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.114 (E), dated the 19th February, 1991 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 to clarify that aquaculture was not intended to be a prohibited activity within the meaning of that notification by inserting a sub-paragraph that nothing contained in the notification shall apply to coastal aquaculture. It also provides that this amendment to the above notification shall have and shall be deemed always to have effect for all purposes as if the amendment had been in force at all material times to validate all coastal aquaculture farms set up hitherto retrospectively.

FINANCIAL MEMORANDUM

Sub-clause (1) of clause 4 of the Bill provides for the establishment of a Coastal Aquaculture Authority and sub-clause (5) of the said clause relates to the salaries and allowances of the Chairperson and other members of the Authority. Clause 9 provides that the Authority shall appoint officers, consultants and other employees and the terms and conditions of such officers, consultants and other employees of the Authority may be specified in regulations.

2. It is estimated that the Bill, when enacted, will involve a recurring expenditure of rupees seventy-one lakhs and ninety-seven thousand and a non-recurring expenditure of rupees forty-six lakhs during every financial year.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 24 of the Bill empowers the Central Government to make rules to carry out the provisions of the Bill. The matters in respect of which rules may be made, *inter alia*, includes the terms and conditions of the appointment of the members, procedures to be followed by members in the discharge of their functions, the inspection of the aquaculture farms, the form and manner in which the budget and annual report are to be prepared by the Authority and the manner in which the accounts of the Authority are to be maintained.

2. Clause 25 of the Bill empowers the Authority to make regulations consistent with the provisions of the Bill and the rules made thereunder. The matters in respect of which regulations may be made, *inter alia*, relate to regulating the meetings of the Authority and procedure for conducting business thereat, the terms and condition of service of the officers and employees of the Authority, regulations for the construction and operation of aquaculture farms within the coastal areas.

3. The matters in respect of which the rules or regulations may be made are matters of procedure and administrative detail, the delegation of legislative powers are, therefore, of a normal character.

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby establishes an authority to be called the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and appoints the following persons to be the Chairperson and Members of the said Authority, namely :-]

- (a) Justice Shri A. K. Rajan – Chairperson
(Retired Judge of the Madras High Court),
No.5 (S-79), 16th Street,
Anna Nagar, Chennai-600040.
- (b) **Member appointed under Clause (b)
of sub-section (3) of Section 4:**
Dr. P. Ravichandran – Member
Director
Central Institute of
Brackishwater Aquaculture, Chennai.
Expert in the field of Coastal Aquaculture.
- (c) **Member appointed under Clause (c) of
sub-section (3) of Section 4:**
Dr. K.V. Sharma – Member
Scientist - D
Department of Ocean Development,
Block-11, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
Expert in the field of Coastal Ecology.
- (d) **Member referred to in Clause (d) of sub-section (3)
of Section 4:**
Representative of the Ministry – Member
of Environment and Forests, New Delhi.
(to be nominated by the Ministry of Environment and Forests).
- (e) **Member referred to in Clause (c) of sub-section (3)
of Section 4:**
Shri Ajay Bhattacharya – Member
Joint Secretary (Fisheries)
Representative of the Ministry
of Agriculture, New Delhi.
Nominated by the Ministry of Agriculture.

(f) Member referred to in clause (f) of sub-section (3) of Section 4:

Shri G. Mohan Kumar – Member
 Chairman,
 The Marine Products Export Development
 Authority, Kochi
 Representative of the Ministry of Commerce.
 Nominated by the Ministry of Commerce.

(g) Representatives of Coastal States appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 4:

(i) Shri Vishwanath Shegaonkar – Member
 Secretary to Government of
 Tamil Nadu, Animal Husbandry and
 Fisheries Department,
 Chennai-600009.

(ii) Shri P.K. Sen – Member
 Director of Fisheries,
 Government of West Bengal,
 63, N.S. Road, Jessop Building
 Kolkata-700001.

(iii) Shri D. Radha Krishna Reddy – Member
 President,
 Andhra Pradesh State
 Prawn Farmers' Welfare Association
 16-111-488, Ramamurthy Nagar,
 Nellore-524003 (Andhra Pradesh).

(iv) Shri Ajit Sinha Patil – Member
 (Pancham Aquaculture Farms,
 Jelasar, Taluka Palghar,
 District-Thane) 103 B, Mittal Towers
 Nairman Point, Mumbai-400021.

(h) Member referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. Y. S. Yadava – Member-
 Director, Secretary
 Bay of Bengal Programme – Inter
 Governmental Organisation,
 (BOBP-IGO), 91-St. Mary's Road,
 Abiramapuram, Chennai-600018.

NOTIFICATION

¹ [In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803 (E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for serial numbers (b) and (g) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- | | | |
|--|---|---------|
| <p>“(b) Dr. A.G. Ponniah
Director
Central Institute of Brackishwater
Aquaculture, Chennai (Expert in the
field of coastal aquaculture)</p> | – | Member” |
| <p>“(g) (i) Ms. Leena Nair
Secretary to Government of Tamil Nadu,
Animal Husbandry, Dairying and
Fisheries Department, Chennai-600 009.</p> | – | Member” |

NOTIFICATION

²[In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for serial number (d) and the entries related thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- | | | |
|---|---|---------|
| <p>“(d) Dr. A. Senthil Vel,
Additional Director,
Coastal Zone management Division,
Ministry of Environment and Forests
(Nominated by the Ministry of Environment
and Forests)</p> | – | Member” |
|---|---|---------|

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and *vide* number S.O.1803(E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S. O. 1359(E), dated the 25th August, 2006;

1. *Vide* S.O. 1359(E), dated 25.8.2006
2. *Vide* S.O.2093(E), dated 13.12.2006

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for item (ii) of serial number (g) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(ii) Shri Shyamal Kumar Bhattacharya – Member”
Director of Fisheries,
Government of West Bengal,
63, N. S. Road, Jessop Building,
Kolkata-700001

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and *vide* No. S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005, subsequently amended *vide* No. S.O. 1359(E), dated 25th August, 2006 and S.O. 2093(E), dated 13th December, 2006.

NOTIFICATION

²[In exercise of the powers conferred by Clause (h) of sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for serial number (h) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(h) Dr. P. Ravichandran, – Member Secretary”
Principal Scientist,
Central Institute of Brackishwater Aquaculture,
Chennai.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, subsection (ii) and *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S.O. 1359(E), dated the 25th August, 2006, S.O. 2093(E), dated the 13th December, 2006 and S.O. 1720(E), dated the 8th October, 2007.

1. *Vide* S.O.1720(E), dated 8.10.2007

2. *Vide* S.O.1947(E), dated 16.11.2007

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred by Clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for serial number (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(c) Shri Madeswaran – Member”
 Scientist - E,
 Ministry of Earth Sciences,
 Mahasagar Bhawan,
 Block-12, C.G.O. Complex,
 Lodhi Road, New Delhi-110003.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S.O. 1359(E), dated the 25th August, 2006; S.O. 2093(E), dated the 13th December, 2006; S.O. 1720(E), dated the 8th October, 2007 and S.O. 1947(E), dated the 16th November, 2007.

NOTIFICATION

²[In exercise of the powers conferred by Clause (h) of sub-section 3 of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803(E), dated 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section, 3 sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for serial number (h) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(h) Dr. R. Paul Raj – Member Secretary”

Note: The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and *vide* No. S.O.1803(E) dated the 22nd December, 2005, subsequently amended *vide* No. S.O. 1359(E) dated the 25th August, 2006, No. S.O. 2093(E) dated the 13th December, 2006, No. S.O. 1720 (E) dated the 8th October, 2007, No. S.O. 1947(E) dated the 16th November, 2007, and No. S.O. 149(E) dated the 25th January, 2008.

1. *Vide* S.O. 149(E), dated 25.1.2008
 2. *Vide* S.O. 1069(E), dated 25.4.2008

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred by Clause (e) of sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O.1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—]

In the said notification, for serial number (e) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(e) Joint Secretary (Fisheries) — Member”
 Representative of the Ministry
 of Agriculture, New Delhi
 Nominated by the Ministry of Agriculture

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and *vide* number S.O.1803(E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S. O. 1359(E), dated the 25th August, 2006; S.O.2093(E), dated the 13th December, 2006; S.O. 1720(E), dated the 8th October, 2007; S.O. 1947(E), dated the 16th November, 2007; S.O. 149(E), dated the 25th January, 2008 and S.O. 1069(E), dated the 25th April, 2008.

NOTIFICATION

²[In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoint the following person to be the Chairperson and Members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act]

(a) Justice Shri A.K. Rajan — Chairperson
 (Retired Judge of the Madras High Court),
 No. 5 (S-79), 16th Street, Annanagar, Chennai- 600 040.

(b) **Member appointed under Clause (b)
 of sub-section (3) of Section 4:**

Director — Member
 Central Institute of Brackishwater
 Aquaculture, Chennai,
 Expert in the field of Coastal aquaculture.

(c) **Member appointed under Clause (c)
 of sub-section (3) of Section 4:**

Shri P. Madeswaran — Member
 Scientist “E” Ministry of Earth Sciences,
 Block No. 12, CGO Complex,
 Lodhi Road, New Delhi-110003

1. *Vide* S.O.1127(E), dated 9.5.2008

2. *Vide* S.O. 1523(E), dated 17th June, 2009

-
- (d) **Member referred to in Clause (d) of sub-section (3) of Section 4:**
- Representative of the Ministry of Environment and Forest, New Delhi (to be nominated by the Ministry of Environment and Forests). – Member
- (e) **Member referred to in Clause (e) of sub-section (3) of Section 4:**
- Joint Secretary (Fisheries) Representative of the Ministry of Agriculture, New Delhi nominated by the Ministry of Agriculture. – Member
- (f) **Member referred to in Clause (f) of sub-section (3) of Section 4:**
- Chairman The Marine Products Export Development Authority, Kochi Representative of the Ministry of Commerce, Nominated by the Ministry of Commerce. – Member
- (g) **Representative of Coastal States and Union Territories appointed under Clause (g) of sub-section (3) of Section 4:**
- (i) Shri Pitambar M. Tandel, 759 Opp. Government Arts and Science College, Karwar, Kamataka. – Member
- (ii) Additional Chief Secretary (Fisheries), Government of Kerala, Thiruvananthapuram. – Member
- (iii) Principal Secretary Fisheries and Animal Resources Development, Government of Orissa, Bhubaneswar. – Member
- (iv) Development Commissioner-cum-Secretary (Fisheries), Andaman and Nicobar Administration Secretariat, Port Blair-744 101. – Member
- (h) **Member referred to in Clause (h) of sub-section (3) of Section 4:**
- Dr. R. Paul Raj Coastal Aquaculture Authority, 2nd Floor, Shastri Bhawan Annexe, 26, Haddow's Road, Chennai-600 006. – Member Secretary

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoint the following Members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose the said Act for a period of three years from the date of Notification :-]

(a) Member appointed under Clause (b) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. P. Ravichandran – Member
Principal Scientist,
Central Institute of Brackishwater Aquaculture,
Chennai, Expert in the field of Coastal Aquaculture.

(b) Member appointed under Clause (c) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. R. Kirubhakaran – Member
Scientist “F” National Institute of
Ocean Technology (NIOT),
Ministry of Earth Sciences, Chennai.

(c) Member referred to in Clause (d) of sub-section (3) of Section 4 :

Representative of the Ministry of Environment
and Forest, New Delhi (to be nominated
by the Ministry of Environment and Forests) – Member

(d) Member referred to in clause (e) of sub-section (3) of Section 4:

Joint Secretary (Fisheries) – Member
Representative of the Ministry
of Agriculture, New Delhi nominated
by the Ministry of Agriculture.

(e) Member referred to in clause (f) of sub-section (3) of Section 4 :

Shri D. S. Dhese – Member
Joint Secretary (EP-MP)
Ministry of Commerce,
Udhyog Bhawan, New Delhi.

(f) Representative of Coastal States and Union Territories appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 4:

- | | | | |
|-------|---|---|--------|
| (i) | Commissioner of Fisheries
Government of Andhra Pradesh,
AP Secretariat, Hyderabad. | – | Member |
| (ii) | Secretary, Department of Fisheries
Aquaculture, Aquatic Resources and
Fishing Harbours, Government of West Bengal,
GN-31, Benfish Tower Building, Kolkata, | – | Member |
| (iii) | Secretary (Fisheries)
Government of Gujarat,
Sachivalaya, Gandhi Nagar, Gujarat. | – | Member |
| (iv) | Secretary (Fisheries)
Government of Tamil Nadu,
Animal Husbandry, Dairying and
Fisheries Department, Secretariat, Chennai. | – | Member |

(g) Member referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 4:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| Dr. R. Paul Raj
Coastal Aquaculture Authority,
2nd Floor, Shastri Bhawan, Annexe,
26, Haddows Road, Chennai-600006. | – | Member
Secretary |
|--|---|---------------------|

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred under Section 4(3)(a) of Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 the Government of India is pleased to appoint Justice K. Raviraja Pandian (Retired Judge of Madras High Court) as Chairperson, Coastal Aquaculture Authority in the scale of pay of Rs. 80,000 for a period of three years with effect from the forenoon of 20th May, 2013.]

1. *Vide* F.No.9-4/2008-Fy. Admn., Ministry of Agriculture (DAHD&F) dated 19th August 2013 and published in Gazette of India, Extra Part I (3) dated 25th September, 2013

NOTIFICATION

¹[In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995 :-]

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2009.
- (2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control Inspection and Monitoring) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 6 after sub-rule 6.2 the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“6.3. The establishments shall procure aquaculture products only from farms registered with Coastal Aquaculture Authority of India (CAAI) / Designated Authorities and monitored under the surveillance of Competent Authority.”

3. In the said principal rules, in Annexure-VII, after sub-clause 1.2, the following clause shall be inserted namely :-

“2. The packages of Fresh, Processed, Frozen or chilled and packed Aquacultured Fish and Fishery products shall bear the registration number allotted by Coastal Aquaculture Authority of India / Designated Authorities to the farm from which the aquaculture products are procured.”

Note : The principal rules were published in the Gazette of India. Extraordinary *vide* notification Number S.O. 730(E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 415(E) dated 11th April, 2002, S.O. 1029 (E) dated 24th September, 2002, S.O. 1034 (E) dated 9th September, 2003, S.O. 717(E) dated 25th February, 2005, S.O. 612 dated 15th February, 2007 and S.O. 1519(E) dated 16th June, 2008.

1. *Vide* S.O. 2714(E), dated 28th October, 2009 issued by Ministry of Commerce and Industry, (Dept.of Commerce)

